मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2015

तारांकित प्रश्नोत्तर

नहरों का निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव

1. **(*क्र. 390) श्री सचिन यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन तालाबों की नहरें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विद्यमान हैं, के मरम्मत कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब, किस-किस कार्य हेतु वर्ष, 2008 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुई है? वर्षवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित राशि किस-किस स्थान पर किस-किस नहर के मरम्मत एवं रख-रखाव में खर्च की है? स्थानवार एवं नहरवार जानकारी दें। (ग) वर्तमान में प्रश्नांश (क) में दर्शित जीर्ण-शीर्ण नहरों का मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो कारणों का उल्लेख करें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) एवं (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्र में निर्मित सिंचाई परियोजनाओं की नहरों का संधारण एवं मरम्मत कर सिंचाई की जाना प्रतिवेदित है। परियोजनावार व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। (ग) आर.आर.आर. योजना के तहत अम्बकनाला एवं सरलाय परियोजना की नहरों के सुदृढ़ीकरण (लाईनिंग) का कार्य कराया गया है एवं सांगवी तथा साटक परियोजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। नहरों का संधारण एवं रखरखाव किया जाने से सिंचाई परियोजनाओं से रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई की जाना प्रतिवेदित है।

विद्युत देयकों की विसंगतियों की जाँच एवं सुधार

2. **(*क्र. 125) श्री मोती कश्यप :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 16.01.2015 द्वारा पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के अधीक्षण/कार्यपालन यंत्री कटनी को प्रस्तुत जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की सरपंच पानबाई के किसी ग्राम के ट्रांसफार्मर, बिजली बिल व मांग के सूचनापत्र आदि के संबंध में कोई लेख किया है? (ख) क्या

ग्राम के किन्हीं उपभोक्ताओं को, किसी बिजली खपत पर, किन्हीं को, किसी राशि के देयक और मांग के सूचनापत्र भेजे गये हैं? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 16.01.2015 द्वारा अधीक्षण/कार्यपालन यंत्री को ग्राम बांध के किन्हीं उपभोक्ताओं के बिजली देयकों पर कोई लेख किया है? (घ) क्या प्रश्नकर्ता ने श्री मोहनलाल आत्मज मिठाईलाल काछी के आवेदन सहित अपने पत्र दिनांक 17.01.2015 द्वारा पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. कटनी के किन्हीं अधिकारी को, वर्ष 2014 के किन्हीं माहों में, किन्हीं खपत पर, किन्हीं राशि के देयक भेजे जाने का लेख किया गया है? (ड.) क्या प्रश्नांश-क, ख, ग की विसंगतियों की जांच कर सुधार किया जावेगा और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हाँ, यह सही है कि माननीय विधायक महोदय का पत्र क्रमांक 1170 दिनांक 16.01.2015 अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) वृत्त, कटनी कार्यालय में दिनांक 11.02.2015 को प्राप्त हुआ, जिसमें जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के बिचुआ ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती पानबाई द्वारा ग्राम बिचुआ के उचेहरा टोला का ट्रांसफार्मर खराब होने एवं बिजली की आपूर्ति नहीं होने से बिजली के बिलों को निरस्त करने हेतु लेख किया गया है। श्रीमती पानबाई द्वारा टोला उचेहरा के वार्ड क्रमांक 1 में स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर के फेल होने की सूचना दिनांक 18.10.14 को दी गई थी। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा विद्युत का उपयोग कर रहे उपभोक्ताओं को नियमानुसार बिजली का बिल जारी किया गया एवं उनके द्वारा बिल का भुगतान भी किया गया है। (ख) जी हाँ, यह सही है कि प्रश्नाधीन ग्राम बिचुआ के उचेहरा टोला के उपभोक्ताओं को उनके मीटरों में दर्ज खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किये गये हैं। (ग) जी हाँ, उत्तरांश (क) में उल्लेखानुसार माननीय विधायक महोदय का पत्र क्रमांक 1170 दिनांक 16.01.2015 अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा.) वृत्त, कटनी कार्यालय में दिनांक 11.02.2015 को प्राप्त हुआ है, जिसमें कथित रूप से ग्राम बांध के तीन व्यक्तियों को बिना कनेक्शन के जारी किये गये बिजली के बिलों का तत्काल निराकरण कर बिल माफ करने एवं उन्हें विद्युत कनेक्शन देने हेतु लेख किया गया है। ग्राम बांध में उक्त 03 उपभोक्ताओं यथा श्री नंदलाल गन्नू, श्री सतई राम रामकुमार एवं श्री शंभू नंदूप्रसाद द्वारा उन्हें दिये गये विद्युत कनेक्शनों से किये गये विद्युत के उपयोग के विरूद्ध ही बिजली के बिल जारी किये गये हैं। (घ) जी हाँ, माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा अपने प्रश्नाधीन पत्र से श्री मोहन लाल आत्मज श्री मिठाई लाल काछी के आवेदन सहित कथित रूप से वर्ष 2014 के मई माह में उन्हें 1747 यूनिट खपत पर रूपये 15,629/- के भेजे गये त्रुटिपूर्ण बिजली बिल में सुधार कर राशि जमा कराने का लेख किया गया है। श्री मोहन लाल आत्मज श्री मिठाईलाल काछी का ग्राम मुरवारी में घरेलू प्रकाश कनेक्शन है उपभोक्ता द्वारा अधिक खपत का बिल आने के कारण शिकायत की

गई थी। बिल में स्लेब के अनुसार बिलिंग पुनरीक्षित कर आवश्यक सुधार कर दिया गया है तथा रू. 10,385/- का पुनरीक्षित बिल जारी किया गया है, जिससे उपभोक्ता संतुष्ट है। (ड.) उत्तरांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में अन्य कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

वनमण्डल (कावेरी) द्वारा कराये जा रहे कार्यों का भुगतान/निरीक्षण

3. **(*क्र. 2649) श्री विजय सिंह सोलंकी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वनमण्डल (कावेरी) खण्डवा द्वारा भगवानपुरा, जिला खरगोन क्षेत्र में कराए जा रहे कार्यों की सूची राशि सहित क्षेत्रवार देवें? (ख) क्या उक्त कार्य कोई तकनीकी दक्ष व्यक्ति की देखरेख में सम्पन्न हो रहे हैं? इन कार्यों में हो रहे खर्च नगद या ई-पेमेंट होने के संबंध में कोई आदेश हैं? (ग) उक्त सभी कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? इन सभी कार्यों का कभी निरीक्षण किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) जी हाँ। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ/1-11/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 16 सितम्बर 2010 अनुसार कार्यों का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा किया जा रहा है। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित सरदार सरोवर परियोजना जलग्रहण क्षेत्र का उपचार कार्य प्रगति पर है। इन सभी कार्यों का समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है।

परिशिष्ट – "एक"

उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर बार-बार बदले जाने का आधार

4. **(*क्र. 1574) श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रा.लि. सागर के शासन से किए गये अनुबंध (एम.ओ.यू.) में पूंजीगत व्यय के रूप में कितनी राशि व्यय करना प्रस्तावित थी, तथा किन-किन कार्यों पर, किन स्थानों पर, कितनी राशि व्यय की गई? अनुबंध दिनांक से वर्षवार बताएं। (ख) एस्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रा.लि. सागर में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं आधार क्या है? उपभोक्ताओं के घरों में मीटर रीडिंग करने वाले, मीटर का निरीक्षण एवं मीटर बदलने वाले कर्मचारियों को चिन्हित करने हेतु क्या परिचय पत्र जारी किए गये हैं और उन्हें टांगने के लिए निर्देशित किया है या नहीं? (ग) क्या उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रानिक मीटर एस्सेल विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा बार-बार बदले जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या शासन द्वारा किए गये अनुबंध में मीटर बदलने की शर्त शामिल है? उपभोक्ताओं के सुचारू रूप से चल रहे मीटरों को बदलने का आधार क्या है? क्या शासन इसके लिये कोई नीति निर्धारित करेगा? (घ) क्या उपभोक्ताओं के मीटर निरीक्षण के समय अधिकांशत: पंचनामा में हस्ताक्षरकर्ता

कम्पनी से जुड़े लोगों को शामिल किया जाता है, तथा मनगढ़ंत बिल बनाकर भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को भेजा जाता है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) वितरण फ्रेन्चाइजी कंपनी मे. एस्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रायवेट लिमिटेड से किये गये अनुबंध के अनुसार उक्त कंपनी को पहले पांच वर्ष में रूपये 30 करोड़ का एवं प्रतिवर्ष कम से कम 10 प्रतिशत राशि का पूंजीगत व्यय करना प्रस्तावित था जिसमें से वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-2014 एवं 2014-15 (दिनांक 31.01.2015 तक) में क्रमश: 1.95, 1.68 एवं 1.91 करोड़ रूपये के मीटरीकरण, वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, निम्नदाब लाईन का विस्तार, व्ही.सी.बी. की स्थापना, वितरण ट्रांसफार्मरों के रिनोवेशन एंव मिड पोल लगाने आदि, के कार्यों में पूंजीगत व्यय हेतु अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुमोदन प्रदान किये गये जिसके विरूद्ध क्रमश: 1.95, 1.65 एवं 0.005 करोड़ रूपये की राशि व्यय कर उक्त वितरण फ्रेन्चाइजी कंपनी क्षेत्र में उक्त कार्य किये गये हैं। (ख) वितरण फ्रेन्चाइजी कंपनी मे.एस्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रा.लि. में कर्मचारियों की नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कार्मिक नीतियों के तहत् की जाती है। उपभोक्ताओं के घरों में मीटर रीडिंग करने वाले, मीटर का निरीक्षण एवं मीटर बदलने वाले कर्मचारियों को परिचय पत्र जारी किये गये हैं, और उन्हें निर्देश हैं कि परिचय पत्र हमेशा प्रदर्शित होना चाहिए। (ग) उपभोक्ताओं के मीटर, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी की गई विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 8.5 और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी अनुबंध के अन्तर्गत नि:शुल्क बदले गये हैं। उक्त वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत वितरण कंपनी द्वारा पूर्व में स्थापित मीटरों के स्थान पर अतिरिक्त विशिष्टताओं वाले अत्याधुनिक मीटर व सुदूर विद्युत मापक यंत्र स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मीटर के खराब होने पर भी इसके स्थान पर नया मीटर स्थापित किया गया। उक्तानुसार निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के तारतम्य में अन्य कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। (घ) उपभोक्ताओं के मीटर निरीक्षण के समय पंचनामा में हस्ताक्षर उपस्थित लोगों के कराये जाते हैं तथा विद्युत उपभोक्ताओं के देयकों का निर्धारण म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा लागू टैरिफ आदेश के अनुसार किया जाता है।

<u>अरण्या बहादुर जलाशय का संधारण</u>

5. **(*क्र. 1869) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में अरण्या बहादुर जलाशय के संधारण के लिए शासन ने कितना बजट एवं समय निर्धारित किया है? (ख) महिदपुर के ही काजीखेड़ी जलाशय पर आधुनिकीकरण के लिए/ संधारण के लिए विगत 5 वर्षों में वर्षवार कितना व्यय हुआ है? (ग)

प्रश्नांश (ख) अनुसार इतना व्यय होने के बाद भी जलाशय की स्थिति इतनी खराब क्यों है? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) लघु सिंचाई परियोजनाओं के संधारण के लिए परियोजनावार प्रावधान नहीं किया जाता है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) जलाशय अच्छी स्थिति में है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट – "दो"</u>

<u>विद्युत ट्रांसफार्मर्स की खरीदी में अनियमितता</u>

6. **(*क्र. 1648) पं. रमेश दुबे :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विद्युत ट्रांसफार्मर्स की क्षमतावार गुणवत्ता के क्या मापदण्ड है, उन्हें खरीदने एवं उपलब्ध कराने हेतु कौन लोग सशक्त हैं? जले एवं खराब विद्युत ट्रांसफार्मर्स को कितने दिनों में बदलने के शासन के आदेश निर्देश है? प्रति सहित जानकारी दें। (ख) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक छिंदवाड़ा जिले के विकास खण्ड चौरई एवं बिछुवा में कुल कितने वितरण ट्रांसफार्मर्स जले एवं खराब हुए, एवं कितने बदल दिये गये हैं, तथा कितने वितरण ट्रांसफार्मर ओवर लोडेड हैं? क्षमता सहित संख्या देवें। (ग) क्या स्तरहीन एवं अनुपयुक्त गुणवत्ता के विद्युत ट्रांसफार्मर्स छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं बिछुवा में भारी संख्या में स्थापित किये गये हैं, जिससे उनके बार-बार जलने व खराब होने व समय पर नहीं बदलने के कारण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं और उनकी फसलें खराब होने की कगार पर हैं? (घ) यदि हाँ, तो अनुपयुक्त एवं गुणवत्ताहीन विद्युत ट्रांसफार्मर्स की खरीदी में हुए भ्रष्टाचार के लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं तथा क्या शासन उक्त प्रकार की गुणवत्ताहीन की गयी खरीदी की शासन स्तर से प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में जांच करवाने का आदेश देकर दोषियों को दण्डित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों, कारण स्पष्ट करें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा सामान्यत: क्रय किये जाने वाले 25, 63, 100, 200, 315, 5000 व 8000 के.व्ही.ए. क्षमता के ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता के मापदण्ड भारतीय मानक 1180 व 2026 में निहित मापदण्डों के अनुरूप होते हैं। उन्हें खरीदने एवं उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित अधिकार प्रत्यायोजन के तहत् क्रय समिति/प्रबंध संचालक/संचालक मण्डल सशक्त हैं। जले एवं खराब ट्रांसफार्मर्स को संभागीय मुख्यालय में 12 घण्टे के अन्दर, संभागीय मुख्यालय को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर, ग्रामीण क्षेत्रों में शुष्क मौसम के दौरान 72 घण्टे के अन्दर तथा मानसून (माह जुलाई से सितम्बर तक) के दौरान 7 दिवस के अन्दर बदलने हेतु दिनांक 22 जुलाई 2011 को म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों से संबंधित अधिसूचना का प्रश्नांश से संबंधित अंश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक

तक छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई में 152 एवं विकासखण्ड बिछुवा में 69 ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए हैं। विकासखण्ड चौरई के समस्त 152 ट्रांसफार्मर एवं विकासखण्ड बिछुवा के समस्त 69 ट्रांसफार्मर बदल दिए गए हैं। विकासखण्ड चौरई एवं बिछुवा में स्थापित कोई ट्रांसफार्मर ओवर लोडेड नहीं है। (ग) जी नहीं। ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता की जांच विभिन्न स्तरों पर सुनिश्चित की जाती है। क्रय आदेश जारी करने के उपरांत ट्रांसफार्मर में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्टेज इन्स्पेक्शन किया जाता है। पूर्णरूपेण ट्रांसफार्मर निर्माण होने के पश्चात् निर्धारित मानकों के अनुसार अंतिम निरीक्षण (फाइनल इन्स्पेक्शन) के दौरान 10 प्रतिशत ट्रांसफार्मरों के नमूने का रूटीन/एक्सेप्टेन्स टेस्ट, टेम्प्रेचर राईज टेस्ट इत्यादि परीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की जाती है। संतोषजनक पाए जाने के उपरांत ही फर्म को ट्रांसफार्मर प्रदाय की अनुमति/निर्देश दिए जाते हैं। ट्रांसफार्मर प्रदाय होने के उपरांत प्रत्येक लॉट में से 5 प्रतिशत ट्रांसफार्मरों का एन.ए.बी.एल. प्रयोगशाला में भारतीय मानक के अनुसार परीक्षण कराया जाता है। सभी परीक्षणों में सफल होने के बाद ही ट्रांसफार्मर को मैदानी उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाता है। ट्रांसफार्मर खराब होने पर उन्हें पहुंच मार्ग उपलब्ध होने पर निर्धारित समयावधि में बदला गया है, अतः किसी उपभोक्ता के परेशान होने अथवा फसल खराब होने का प्रश्न नहीं उठता। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट – "तीन"

लवकुशनगर मण्डी अंतर्गत कृषि जिन्स का परिवहन

7. **(*क्र. 1276) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से दिसम्बर 2014 तक लवकुशनगर मण्डी क्षेत्रान्तर्गत कितने जिन्स (कृषि जिन्स) वाहनों की निकासी हुयी, कितने वाणिज्यिक कर विभाग में इन्द्राज किये गये? ट्रक क्रमांक, दिनांक, मण्डी का अनुज्ञप्ति क्रमांक, जिन्स का नाम, वाणिज्यिक नं. 1 बहती की सम्पूर्ण जानकारी सहित देवें। (ख) वाणिज्यिक कर विभाग छतरपुर/नौगांव क्षेत्रान्तर्गत मण्डी लवकुशनगर जिला-छतरपुर में व्यापारियों द्वारा फार्म क्र. 49, एवं बहती विवरण अनुसार जिन्स का नाम दिनांकवार, ब्यौरेवार प्रदाय करें। (ग) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लवकुशनगर मण्डी की रजिस्टर्ड फर्मों के नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, प्रो. का नाम, पता, वैधता दिनांक सहित वर्षवार प्रदाय करें। (घ) वर्ष 2013-14 में मण्डी लवकुशनगर की कितनी फर्म निरस्त की गयी? फर्म का नाम, पता, जारी दिनांक, नवीनीकरण, वैधता दिनांक सहित सूची प्रदाय करें।

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) कृषि विभाग से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ई" अनुसार है**। बहती संबंधित जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। (ख) वाणिज्यिक कर विभाग छतरपुर/नौगांव क्षेत्रान्तर्गत मण्डी लवकुशनगर

जिला छतरपुर में व्यापारियों द्वारा फार्म क्रमांक 49 एवं विवरण अनुसार जिन्स का नाम, दिनांकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ए", "बी" अनुसार है**। बहती का उपयोग व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाता है। बहती का उपयोग ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रदेश के बाहर से प्रदेश से होकर प्रदेश बाहर जाने वाले अधिसूचित माल के परिवहन हेतु परिवहनकर्ता द्वारा किया जाता है। अतः मण्डी से निकासी होने वाले माल से संबंधित कोई बहती वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित न होने के कारण चाही गई जानकारी संधारित नहीं होती है। (ग) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लवकुशनगर मण्डी की रजिस्टर्ड के फर्मों के नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, प्रो. का नाम, पता, वैधता दिनांक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"सी" अनुसार है**। (घ) वर्ष 2013-14 में मण्डी लवकुशनगर की निरस्त फर्म का नाम, पता जारी दिनांक, नवीनीकरण व वैधता दिनांक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"डी" अनुसार है**।

ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर विभक्तिकरण कार्य एवं विद्युत आपूर्ति

8. **(*क्र. 1942) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत प्रवाह दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो बड़वाहा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं, जहाँ विद्युत प्रवाह 24 घण्टे दी जा रही है, तथा ऐसे कितने ग्राम हैं जहाँ यह विद्युत प्रवाह दिये जाने में कटौती हो रही है? सम्पूर्ण ग्राम की सूची दी जावे। (ग) बड़वाहा विधान सभा क्षेत्र में फीडर सेपरेशन का कार्य कितने ग्रामों का हो चुका है एवं कितने ग्राम शेष है? जो ग्राम शेष हैं, वहाँ कब तक हो जावेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हाँ, अटल ज्योति अभियान के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू फीडरों को 24 घण्टे एवं कृषि फीडरों को 10 घण्टे विद्युत प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। (ख) बड़वाह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विद्यमान कुल 216 ग्रामों में से 187 ग्राम विद्युत लाईन विस्तार कर पारम्परिक रूप से विद्युतीकृत किये गये हैं, 02 ग्राम सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत हैं तथा 27 ग्राम वीरान ग्राम हैं। विद्युत लाईन विस्तार कर पारम्परिक रूप से विद्युतीकृत किये गये 187 ग्रामों को विद्युत प्रदाय कर रहे घरेलू फीडरों पर 24 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, ग्रामों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। किसी भी ग्राम में विद्युत कटौती नहीं की जा रही है। (ग) बड़वाह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत फीडर विभक्तिकरण योजना में 52 फीडरों के विभक्तिकरण के कार्य में से 39 फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। फीडर विभक्तिकरण में उक्त कार्य में सम्मिलित 187 ग्रामों में से 142 ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है, 45 ग्रामों का कार्य शेष है, जिसे माह अप्रैल-2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

मूंझरी बांध के निर्माण का सर्वे/प्राक्कलन की स्वीकृति

9. **(*क्र. 1195) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के अता.प्रश्न संख्या-62 (क्रमांक 764) दिनांक 09.12.2014 के प्रश्नांश (घ) में अवगत कराया गया है कि श्योपुर जिले में मूंझरी बांध के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि की मांग कार्यपालन यंत्री जल संसाधन श्योपुर द्वारा किये जाने की व्यवस्था हैं, तो बतावे कि कार्यपालन यंत्री द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना व कलेक्टर मुरैना, श्योपुर को कब-कब पत्र लिखे गये और आयुक्त/दोनों कलेक्टरों ने कार्यपालन यंत्री को क्या अवगत कराया? इन सब अधिकारियों के मध्य हुए पत्राचार में क्या कोई सकारात्मक तथ्य सामने आया? यदि हाँ, तो बतावें। (ख) क्या मूंझरी बांध के निर्माण कराने की साध्यता हेतु विभाग द्वारा प्राथमिक सर्वे कराया जा चुका है? यदि हाँ, तो सर्वे उपरांत क्या परिणाम सामने आये? (ग) उक्त प्राथमिक सर्वे उपरांत क्या विभाग द्वारा विस्तृत प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार कर विभाग/शासन को प्रेषित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो यह वर्तमान में किस स्तर पर लंबित हैं? जिले के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर इस प्रेषित प्रस्ताव/प्राक्कलन को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर द्वारा आरक्षित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त चंबल संभाग/कलेक्टर जिला मुरैना एवं भिण्ड को कार्यालयीन पत्र क्रमांक-2168/कार्य/मूंझरी/वन दिनांक 23.09.1994 से एवं कार्यालयीन पृ.क्र.-23/कार्य/2010-11 श्योपुर दिनांक 03.01.2011 एवं पत्र क्रमांक-658/कार्य दिनांक 25.06.2014 से कलेक्टर श्योपुर को लिखा गया है। कलेक्टर जिला श्योपुर ने उनके पत्र क्रमांक-2010/श्योपुर दिनांक 31.12.2010 से ग्राम जाखदा जागीर में 345.374 हेक्टर एवं पत्र क्रमांक-2014 दिनांक 01.07.2014 से श्योपुर जिले के विभिन्न ग्रामों में से और भूमि देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर को चयनित कर भूमि देने हेतु प्रस्ताव दिया है। भूमि पर्याप्त नहीं होने से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भूमि स्वीकार करने की कार्रवाई नहीं की है। (ख) जी हाँ। मूंझरी बांध के निर्माण कराने की साध्यता हेतु प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान डूब क्षेत्र एवं अन्य कार्यो में 675 हेक्टर आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित होने से वन विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य रोका जाने से सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है। (ग) जी नहीं। प्रभावित वन भूमि 675 हेक्टर के समतुल्य उपयुक्त राजस्व भूमि उपलब्ध न होने से विस्तृत सर्वेक्षण संभव नहीं हो सका है। वन भूमि के उपयोग की अनुमति हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

<u>मुरैना जिले के आई.टी.आई. में पदस्थ अधीक्षक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच</u>

10. **(*क्र. 1373) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न क्रं. 947 दि. 9/12/14 में उल्लेखित बिंदुओं पर विभागीय

मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों ने कलेक्टर मुरैना से जांच प्रतिवेदन प्राप्ति उपरांत भी आज दिनांक तक दोषी अधिकारियों के विरूद्ध निलंबन/कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्यों? (ख) क्या अजाक्स के चंबल संभागीय अध्यक्ष से.नि.पे. ने पत्र क्रं. 117/5.11.13 एवं 119/9.11.13 से मुरैना आई.टी.आई. में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत विभागीय अधिकारियों को की थी जिस पर संभागीय संयुक्त संचालक ग्वालियर सहित विभागीय अधिकारियों ने शिकायती पत्रों को लंबित रखा तदोपरांत उक्त पत्रों पर जांच अधिकारी शिवपुरी के जांच प्रतिवेदन क्रं. 2180/24.7.14 में की गई शिकायतें सत्य पाई गईं जिसको संयुक्त संचालक ग्वालियर द्वारा अमान्य कर दोषी अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से पुनः अपनी मंशा अनुरूप जांच प्रतिवेदन क्रं. 3329/16.10.14 तैयार कराकर नोटशीट आदेश निर्देश कर्मचारियों के विरूद्ध टिप्पणी फर्जी तैयार की गई, क्यों? क्या इनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्या यह सही है कि पी.जी. क्रं. 252801/2014 जांच उपरांत सत्य पाई जाकर उक्त पी.जी. के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरैना ने पत्र क्रं. 252801/2014/531 दि. 16.6.14 से अधीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कलेक्टर मुरैना को लिखा गया है, लेकिन कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं हो पाई है, कारण सहित बतावें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी नहीं। कलेक्टर मुरैना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति उपरांत श्री पी.के.ओरिया प्रशिक्षण अधीक्षक एवं संस्था प्रमुख औ.प्र.संस्था को संचालनालय के पत्र क्रमांक 109 दिनांक 18.02.2015 द्वारा विभागीय जाँच का आरोप पत्र जारी किया गया एवं संचालनालय के पत्र क्रमांक 757 दिनांक 20.02.2015 द्वारा निलंबित किया गया है। (ख) अजाक्स के चंबल संभागीय अध्यक्ष से प्राप्त शिकायत पत्र क्रमांक 117 दिनांक 05.11.2013 एवं पत्र क्रमांक 119 दिनांक 09.11.2013 की जाँच हेतु संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर को निर्देशित किया गया है। संयुक्त संचालक ग्वालियर द्वारा शिकायत की जाँच हेतु श्री सी.एल. कटारे, प्राचार्य आईटीआई शिवपुरी, श्री व्ही.के.राव प्रशिक्षण अधीक्षक आईटीआई पोहरी एवं श्री नितिन मंदसोरवाले, प्रशिक्षण अधीक्षक कोलारस की टीम गठित कर जाँच के निर्देश दिये गये। कमियाँ पाये जाने के कारण संयुक्त संचालक ग्वालियर द्वारा जाँच प्रतिवेदन समिति को लौटाया गया। जाँच समिति द्वारा पूर्ण जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने से संयुक्त संचालक द्वारा जाँच प्रतिवेदन समिति को लौटाये गये है तथा कमियों को दूर कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। जाँच कार्य में हुये विलम्ब के लिये संयुक्त संचालक ग्वालियर को संचालनालय के पत्र क्रमांक 759 दिनांक 20.02.2015 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।

<u>अवैध उत्खनन की जांचोपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही</u>

11. **(*क्र. 1847) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की गोहद तहसील के ग्राम डांगपहाड़, विरखड़ी, कीरतपुरा, डांग सरकार एवं झांकरी में होने वाले अवैध उत्खनन आदि की जांच हेतु कलेक्टर भिण्ड ने दिनांक 07.03.2014 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार के नेतृत्व में तथा शासन के आदेश दिनांक 23.08.2014 के तहत संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया था? यदि हाँ, तो गठित दोनों जांच दलों के सदस्यों के पद व नाम सहित बतायें। (ख) उपरोक्त दोनो जांच दलों ने कब-कब कलेक्टर भिण्ड एवं शासन को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? दोनों जांच दलों के प्रतिवेदनों से अवगत करायें। (ग) क्या शासन द्वारा गठित जांच दल एवं कलेक्टर द्वारा गठित जांच दलों ने अवैध उत्खनन की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद केवल कलेक्टर भिण्ड द्वारा अवैध उत्खननकर्ताओं को दिनांक 22.10.2014 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर वर्तमान समय तक अवैध उत्खनन कराने की साजिश नहीं है? (घ) यदि नहीं, तो अभी तक अवैध उत्खनन न रोककर शासन को लाखों की क्षति पहुंचाने के दोषियों के विरूद्ध शासन कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन जांच दल के आदेशों की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' में दर्शित है** (जिसमें जांच दल के सदस्यों की जानकारी दर्शायी गई है। (ख) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2014 तथा संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा दिनांक 27.11.2014 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' एवं 'द' में दर्शित है**। (ग) जी नहीं। कलेक्टर भिण्ड द्वारा पट्टेदारों को दिनांक 22.10.2014 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके पश्चात 7 उत्खनिपट्टे निरस्त किए गए है। खनि निरीक्षक भिण्ड को स्वीकृत क्षेत्र के आसपास किए गए अवैध उत्खनन की मात्रा का मौका निरीक्षण कर प्रकरण तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इन कार्यवाहियों के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश 'ग' में दिए गए उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>घटिया निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त तालाब/स्टापडेम</u>

12. **(*क्र. 1595) श्रीमती संगीता चारेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा 01 जनवरी 2011 के पश्चात कब-कब, कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से निर्माण कार्य किये गये? स्थलवार कार्य करने वाले अधिकारी का नाम एवं प्रोजेक्ट पर खर्च की गयी राशि सहित जानकारी देवें। (ख) उक्त स्थल पर उक्त अवधि में कितने तालाब/स्टापडेम है जो वर्षाकाल के दौरान घटिया निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं एवं इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार की कब-कब, किस-किस व्यक्ति द्वारा

शिकायत दर्ज की गयी? (ग) सैलाना विधान क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी किस-किस ग्रेड में कार्यरत है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) प्रश्नाधीन अवधि में पूर्ण कराई गई लघु सिंचाई परियोजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है**। (ख) निरंक। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**।

सिंचाई से वंचित ग्रामों में लघु सिंचाई परियोजनाएं

13. **(*क्र. 1306) श्रीमती सरस्वती सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र चितरंगी अन्तर्गत कई ग्राम सिंचाई से वंचित हैं, तथा प्रमुख-प्रमुख नालों में सुलखान मटिहनी के मध्य गोतान नाला और धानी के मध्य डोंगहा नाला में तथा अमिलहवा और भैंसहार (कपुरदेई) गोतान नाला में बांध निर्माण हो जाने से हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो जाएगी? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त नालों में बांध निर्माण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) एवं (ख) चितरंगी विधान सभा अन्तर्गत निर्मित जल संसाधन विभाग की 6 लघु सिंचाई परियोजनाओं की रूपांकित सिंचाई क्षमता 1173 हेक्टर है। प्रश्नाधीन नालों में लघु सिंचाई परियोजनाएं तकनीकी कारणों से प्रथम दृष्ट्या साध्य नहीं है। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

समस्त स्त्रोतों से कुल ऋण की जानकारी

14. **(*क्र. 568) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने 1 अप्रैल 2013 से 31/03/2014 तक केन्द्र सरकार, जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, अन्य संस्थाओं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, साधारण बीमा निगम, क्षतिपूर्ति एवं बॉण्ड्स, बैंकों से उधार एवं अल्प बचत निधि से कितनी-कितनी राशि तक का कर्ज लिया है? (ख) दिनांक 31/03/2014 की स्थिति में उपरोक्त संस्थाओं का कितना ऋण राज्य सरकार पर है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल ऋण पर कितनी राशि ब्याज के रूप में सरकार द्वारा भुगतान की जा रही हैं? (ग) दिनांक 31/03/2014 तक समस्त स्त्रोतों से कुल कितना ऋण राज्य सरकार पर है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) दिनांक 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि में प्राप्त ऋण का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	संस्था/स्त्रोत का नाम	राशि (करोड़ रूपये में)
1	वित्तीय संस्थाओं (जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, साधारण बीमा निगम, क्षतिपूर्ति एवं बॉण्डस, बैंकों से उधार)	1331.98
2	अल्प बचत निधि	1996.40
3	केन्द्र सरकार	1212.44

(ख) दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में उपरोक्त संस्थाओं से रूपये 37134.52 करोड़ का ऋण हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल ऋण पर रूपये 6391.32 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में भुगतान की गई है। (ग) 31-03-2014 तक समस्त स्त्रोतों से कुल रूपये 72113.31 करोड़ का ऋण राज्य सरकार पर है।

अनुबंध के विपरीत कृषि पंपों का लोड बढ़ाकर विद्युत देयक जारी करना

15. **(*क्र. 940) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषक एवं विद्युत कंपनी के बीच संविदा के आधार पर कनेक्शन प्रदाय किया जाता है, जिसे दोनों पक्षों की सहमति के बिना अनुबंध नहीं बदला जा सकता? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो यह बतलावें कि मार्च 2014 से अनुबंध के आधार अनुसार दसों सालों से बिल देने वाले पाटन विधान सभा क्षेत्र के कृषकों के कृषि पंपो के बिल किस आधार पर लोड बढ़ा कर 3 H.P की जगह 5 H.P एवं 5 H.P के स्थान पर 7 एवं 10 H.P के भुगतान हेतु जारी किये गये एवं कुछ उपभोक्ताओं के बिलों का भुगतान भी धमकी व चोरी का केस लगाने का डर बताकर कम्पनी ने प्राप्त कर लिये? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कृषकों व कृषक संगठनों द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में की गई शिकायत का विवरण देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शिकायतों के संदर्भ में फोरम द्वारा समय-समय पर दिये आदेश क्या है? प्रश्नांश (ख) में वर्णित कार्यों द्वारा कृषकों को आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर शासन कब तक क्या कार्यवाही करेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हाँ, (ख) उपभोक्ताओं के कृषि पंपों का भौतिक निरीक्षण करने पर भार बढ़ा हुआ पाये जाने पर ही भार बढ़ाया गया है। टैरिफ के सामान्य नियम एवं शर्तों की कंडिका क्रमांक 6 (बी) के अनुसार निरीक्षण के उपरांत भार वृद्धि पाये जाने पर बढ़े भार के अनुसार बिलिंग का प्रावधान है। अतः निरीक्षण के उपरांत भार वृद्धि पाये जाने पर बढ़े भार की बिलिंग की गयी है। यह सच नहीं है कि कुछ उपभोक्ताओं के बिलों के भुगतान

धमकी व चोरी का केस लगाने का डर बताकर कंपनी ने प्राप्त कर लिये हैं। (ग) कृषकों एवं कृषक संगठनों द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में की गई शिकायतों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार है**। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शिकायतों के संदर्भ में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेशानुसार प्रतिवादी वादी को अनुबंध के अनुसार पूर्व की भांति बिल जारी करेगा जिसका भुगतान उपभोक्ता निर्धारित समय-सीमा में करना सुनिश्चित करेगा। फोरम के उक्त आदेश पर म.प्र. विद्युत नियामक आयोग में अपील की गई है, जिसकी सुनवाई/निर्णय प्रतीक्षित है। चूँकि सभी भार व़द्धि के प्रकरणों में नियमानुसार जाँच करने के उपरांत ही भार वृद्धि की गई है, अतः कृषकों को आर्थिक/मानसिक प्रताड़ना देने का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट – "चार"

अलग-अलग अश्वशक्ति अनुसार विद्युत बिलों की वसूली

16. **(*क्र. 512) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में शाहपुर, चिचौली, घोड़ाडोंगरी, पाठर में कितने विद्युत उपभोक्ता हैं? (ख) क्या म.प्र.वि.वि.क.लि. (मध्यक्षेत्र) में विद्युत कनेक्शन में अलग-अलग अश्वशक्ति में विभिन्न राशि वसूली की गई है? (ग) विद्युत बिल की वसूली-बिना मीटर वाचक द्वारा क्यों की जाती है? (घ) ग्राम भौरा (शाहपुर-बैतूल) में अवैध बिजली कनेक्शन की वसूली क्या लाईन मेन खुद के लिये करते हैं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में शाहपुर वितरण केन्द्र में 21788 चिचौली वितरण केन्द्र में 17162, घोड़ाडोंगरी वितरण केन्द्र में 11607 एवं पाढ़र (पाठर नहीं) वितरण केन्द्र में 8787 विद्युत उपभोक्ता हैं। (ख) जी हाँ, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी खुदरा टैरिफ आदेश दिनांक 23.03.2013 में वर्णित टैरिफ दरों के अनुसार औद्योगिक पावर, गैर घरेलू पावर, जलप्रदाय आदि विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को उनके संयोजित/स्वीकृत भार के अनुरूप एवं उनकी खपत के आधार पर बिल जारी किये जाते हैं। फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं को रू. 100/- प्रति अश्वशक्ति प्रति माह के अनुसार उनके संयोजित भार के अनुरूप छमाही बिले दिये जाते हैं तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुरूप उपभोक्ता द्वारा देय शेष राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। (ग) मीटर युक्त उपभोक्ताओं की विद्युत बिलिंग मीटर वाचक द्वारा ली गई रीडिंग के आधार पर की जाती है। अनमीटर्ड घरेलू उपभोक्ताओं को म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत आंकलित खपत एवं अनमीटर्ड कृषि पंप उपभोक्ताओं को संयोजित भार के अनुरूप म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार विद्युत बिल जारी किये जाते हैं। (घ) जी नहीं, अपितु विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों

के अनुरूप विद्युत का अवैधानिक रूप से उपयोग पाए जाने पर नियमानुसार राशि वसूल की जाती है एवं तदनुसार प्रश्नाधीन क्षेत्र में भी कार्यवाही की जाती है।

बांध की सुरक्षा हेतु कराये गए ग्राउटिंग कार्य में अनियमितता

17. **(*क्र. 1103) श्री प्रहलाद भारती :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2014-15 में सिंध परियोजना मड़ीखेड़ा बांध स्थल पर ग्राउटिंग का कार्य सम्पन्न कराया गया? यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्य डीपीआर में शामिल है? यदि नहीं, तो बिना विधिवत शासन की स्वीकृति के उक्त कार्य किस आधार पर संपादित कराया गया? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त कार्य हेतु राशि 357 लाख रूपये को बढ़ाकर 497 लाख रूपये का कार्य संपादित कराया गया? यदि हाँ, तो किस आधार पर उक्त राशि बढ़ायी गयी? (ग) क्या ग्राउटिंग का कार्य अंधा (हिडन) मेजरमेंट होते हैं तथा इसमें किसी दूसरी संयुक्त टीम से मेजरमेंट जाँच कराई जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो किस टीम से जांच कराई गयी? क्या ऐजेन्सी को दिया गया ग्राउटिंग कार्य शेड्यूल की मात्रा से अधिक कराया गया? यदि हाँ, तो इसमें मात्रा किस आधार पर बढ़ाई गयी? क्या इसकी जांच किसी अन्य अधिकारी से कराई गयी है? यदि हाँ, तो विवरण दें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या भुगतान अधिकारी ऐजेन्सी के कार्य के समय सेवानिवृत्त होने वाले थे? यदि हाँ, तो क्या एजेन्सी को उक्त कार्य का लाभ दिलाये जाने के उद्देश्य से कार्य संपादित कराया गया? क्या शासन उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उक्त कार्य की निष्पक्ष जांच करायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी हाँ। जी हाँ। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ख) जी नहीं। तकनीकी स्वीकृति राशि रूपये 517.85 लाख की दी जाकर निविदा राशि रूपये 493.19 लाख की आमंत्रित की गई। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ग) ग्राउटिंग कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का माप लेने की व्यवस्था होती है। माप की सुस्पष्ट व्यवस्था होने से टीम बनाकर जांच कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। निर्माण कार्य का प्राक्कलन अनुमान पर आधारित होता है, अतः प्राक्कलन और किए गए कार्य में कमीबेशी स्वाभाविक है। कार्य आवश्यकता के आधार पर संपन्न कराया गया है। कार्य निष्पादन के दौरान कार्यपालन यंत्री (रूपांकन), सिंध परियोजना नहर मण्डल, शिवपुरी द्वारा सत्यापन किया जाना प्रतिवेदित है। (घ) ग्राउटिंग कार्य दिनांक 31.10.2014 को पूर्ण किया गया तथा भुगतानकर्ता कार्यपालन यंत्री दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत्त हुए। जी नहीं, ग्राउटिंग बांध की सुरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार कराया गया है। जांच की आवश्यकता नहीं है।

खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन के प्रकरण

18. **(*क्र. 1702) श्री प्रताप सिंह :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में वर्ष 2012 से प्रश्नांश दिनांक तक कहाँ-कहाँ कितनी पत्थर एवं मुरम खदानें

किस अवधि तक के लिए किस-किस को लीज पर दी गयी हैं? लीज पर दी गई खदानों से कितनी रायल्टी वसूली गई है? रायल्टी की दरों का क्या मापदण्ड है? (ख) रेत परिवहन के लिए शासन की क्या नीति है? रायल्टी भुगतान न करने वालों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई, तथा उनके ऊपर कितनी रायल्टी की राशि बकाया है? (ग) प्रश्न दिनांक तक अवैध रूप से खनिज परिवहन करते हुए कितने प्रकरण पंजीयत किये गये, तथा उन पर कितना जुर्माना अधिरोपित किया गया? खनिज अमले द्वारा दमोह जिले में संचालित खदानों का कब-कब निरीक्षण किया, तथा निरीक्षण में क्या पाया? स्थान एवं दिनांक बतलावें। राजस्व एवं वन विभाग द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण पंजीयत किये गये? निराकृत पंजीयन प्रकरणों की संख्या तथा किये गये जुर्माने की राशि बतलावें। (घ) जिले में ऐसे कितने लीजधारी हैं, जिनकी लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात नवीनीकरण हेतु कार्यालय में आवेदन दिये जाने के बावजूद नवीनीकरण न होने पर भी उनके द्वारा अवैध रूप से उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है? समय पर लीज नवीनीकरण न होने का क्या कारण रहा है? शासन को कितनी राशि की आर्थिक क्षति हुई है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रकरणवार बतलावें।

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन जिले में प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत पत्थर खनिज के उत्खनिपट्टों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" में दर्शित है**। प्रश्नाधीन जिले में मुरम खनिज के कोई भी उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। पत्थर खनिज के स्वीकृत उत्खनिपट्टा से प्राप्त रायल्टी की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" में दर्शित की गई है**। गौण खनिज की रायल्टी म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 की अनुसूची 2 के अनुसार प्रभावशील है। यह नियम अधिसूचित नियम है। (ख) रेत खनिज हेतु परिवहन की कोई पृथक से नीति लागू नहीं है। खनिज का परिवहन म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में निहित प्रावधानों के तहत किया जाता है। वर्तमान में रेत खनिज की कोई राशि बकाया नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) खनिज विभाग द्वारा 01 जनवरी 2012 से 31.01.2015 तक खनिजों के अवैध परिवहन के 392 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए तथा इन प्रकरणों में राशि रूपये 52.01 लाख वसूल किए गए। खदानों के निरीक्षण से संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" में दर्शित है**। दमोह जिले में 01 जनवरी 2012 से 31.01.2015 तक राजस्व विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन के 23 प्रकरण पंजीबद्ध एवं निराकृत किए गए जिनमें 10.7 लाख रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। वन विभाग द्वारा 01 जनवरी 2012 से 31.01.2015 तक खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन के कुल 217 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये जिसमें से 194 प्रकरणों का निराकरण कर रूपये 9.71 लाख का जुर्माना वसूल किया गया। (घ) प्रश्नाधीन जिले में लीज अवधि समाप्ति उपरांत प्रस्तुत नवकरण आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। जिले में नवकरण के कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। अतः प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पांच"

उत्खनित खनिज एवं अप्राप्त रायल्टी राशि की अनुपातिक वसूली

19. **(*क्र. 691) श्री अनिल फिरोजिया :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खनिज रायल्टी वसूली हेतु विभाग द्वारा खदान ठेकेदार को रायल्टी बुक जारी की जाती है यदि हाँ, तो वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में उज्जैन जिले मे किस ठेकेदार को कितनी रायल्टी बुक जारी की गई? (ख) क्या खदान आवंटन के समय संभावित खनिज उत्खनन एवं प्राप्त होने वाली रायल्टी की संभावित राशि का निर्धारण किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या संभावित रायल्टी राशि विभाग को प्राप्त हो रही है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रतिवर्ष खदानों के भौतिक सत्यापन के समय प्राप्त रायल्टी एवं किये गये खनिज उत्खनन का कोई मिलान किया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या विभाग उत्खनित खनिज एवं अप्राप्त रायल्टी की अनुपातिक राशि की वसूली करेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी नहीं। अभिवहन पार पत्र खनिज परिवहन हेतु अग्रिम रायल्टी जमा करने उपरांत जारी किये जाते हैं। (ख) जी नहीं। खनिज उत्खनन हेतु खनन योजना में प्रस्तावित खनिज मात्रा दी जाती है। इसके आधार पर संभावित राशि के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। कर निर्धारण के समय प्रश्नाधीन कार्य किये जाने की प्रक्रिया है। (घ) अग्रिम रायल्टी भुगतान के आधार पर अभिवहन पार पत्र प्रदान किये जाने की प्रक्रिया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माण एवं रिक्त पदों की पूर्ति

20. **(*क्र. 196) श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय बैढ़न तथा सिंगरौली मोरवा संचालित है? यदि हाँ तो क्या भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हाँ तो भवन हेतु बजट एवं निर्माण कराये जाने के संबंध में क्या स्थिति है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में भवन निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कराया जा सकेगा? समय सीमा बतायें? (ग) क्या जिला सिंगरौली स्थित महाविद्यालय सरई, रजमिलान माड़ा एवं चितरंगी में प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हाँ तो इनकी पूर्ति कब तक की जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हाँ। शासकीय कन्या महाविद्यालय, बैढ़न को 03.00 (तीन) एकड़ एवं शासकीय महाविद्यालय, सिंगरौली को 04.00 (चार) एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी है। कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग पीआईयू को नक्शा एवं प्राक्कलन तैयार करने हेतु लिखा गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) नवीन स्थापित शासकीय महाविद्यालयों में

स्वीकृत रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। पद पूर्ति की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "छः"

निजी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बार-बार विद्युत मीटर बदलना

21. **(*क्र. 1012) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में निजी विद्युत वितरण एस्सेल कंपनी द्वारा उप नगरीय क्षेत्र मकरोनिया एवं सदर कैंट में जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर बदले गये? (ख) कितने विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक एक से अधिक बार बदले गये? (ग) विद्युत एस्सेल कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर किस कारणवश बार-बार बदले गये?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) सागर जिले में विद्युत वितरण हेतु नियुक्त फ्रेंचाइजी कंपनी में. एस्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रायवेट लिमिटेड द्वारा प्रश्नाधीन क्षेत्र एवं अवधि में कुल 4189 उपभोक्ताओं के मीटर बदले गये हैं। (ख) प्रश्नाधीन क्षेत्र एवं अवधि में कुल 250 उपभोक्ताओं के मीटर एक से अधिक बार बदले गये हैं। (ग) विद्युत वितरण हेतु नियुक्त प्रश्नाधीन फ्रेंचाइजी कंपनी द्वारा मीटर विभिन्न कारणों यथा- मीटर जलने, मीटर का डिस्पले खराब होने, उपभोक्ताओं से मीटर में त्रुटि की शिकायत प्राप्त होने, मीटर रीडिंग अथवा विजिलेंस चैंकिग के दौरान मीटर से छेड़छाड़/त्रुटि पाए जाने, विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अतिरिक्त विशिष्टताओं वाले मीटरों की स्थापना किये जाने के निर्णय आदि के परिप्रेक्ष्य में बदले गये हैं।

बांध से सिंचाई हेतु नहर निर्माण कार्य में अनियमितता

22. **(*क्र. 1961) श्रीमती अनीता सुनील नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पृथ्वीपुर जनपद पंचायत में बरूआ नाले पर सतीघाट परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण किया गया? यदि हाँ, तो कार्य ऐजेंसी का नाम, कार्य प्रारंभ होने का वर्ष एवं कार्यपूर्ण होने का दिनांक एवं वर्ष व प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पद बतावें? (ख) क्या सतीघाट बांध से किसानों की सिंचाई हेतु नहरें निकाली जानी थी एवं इसका सर्वे किया जाना था? यदि हाँ, तो सर्वे करने वाली एजेंसी का नाम एवं सर्वे किये गये खसरा नंबर क्या थे, बतायें एवं जहाँ से नहरें निकाली गयी है, उनके खसरा नंबर क्या है? खसरावार बतावें? (ग) क्या सतीघाट बांध के सर्वे के खसरा नंबर एवं जहाँ से नहरें निकाली गयी हैं, उनके खसरा नंबर भिन्न है? यदि हाँ, तो क्यों एवं इस अनियमितता के लिए कौन अधिकारी दोषी है? क्या दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों और होगी तो क्या एवं

कब तक? (घ) क्या सतीघाट बांध से नहरें निकालने के सर्वे को अंतिम रूप देने से पूर्व मा. राज्यपाल महोदय की अनुमति के बाद ही टेण्डर जारी करने थे? यदि हाँ, तो अनुमति दिनांक, टेण्डर जारी करने का दिनांक बतावें? यदि नहीं, तो क्यों एवं कौन दोषी हैं एवं दोषी पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों और होगी तो क्या एवं कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी हाँ। निर्माण एजेंसी मेसर्स सार्थी कन्सट्रक्शन ग्वालियर है। निर्माण कार्य वर्ष 2011 में प्रारंभ होकर वर्ष 2013-14 में पूर्ण किया गया। कार्यपालन यंत्री श्री एस.के. पाण्डे, श्री पी.के. त्रिपाठी, सहायक यंत्री श्री एस.के. मिश्रा और उपयंत्री श्री ए.के. तिवारी तथा श्री एम.के. मित्तल। (ख) जी हाँ, सर्वे मेसर्स सिसकॉन इंजी. छतरपुर द्वारा किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। (ग) जी हाँ, सतीघाट बांध के सर्वे के खसरा नंबर एवं जहाँ से नहर निकाली गई है उनमें कुल 162 खसरा नंबरों में से 10 खसरा नंबरों में भिन्नता है। नहर के एलाइनमेंट में परिवर्तन तकनीकी आवश्यकता पर कृषकों की सहमति से किया गया है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं। (घ) जी नहीं, कार्यविभाग नियमावली के प्रावधान अनुसार कार्यपालन यंत्री सक्षम अधिकारी हैं। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।

<u>तालाबों एवं स्टापडेमों की स्वीकृति</u>

23. **(*क्र. 1348) श्री रणजीतसिंह गुणवान :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आष्टा विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में कितने तालाबों एवं स्टाप डेमों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई? नाम, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का दिनांकवार विवरण दें? (ख) प्रश्नांकित स्वीकृत कार्यों में से कितने तालाबों एवं स्टापडेम के कार्य पूर्ण हो गये एवं कितने अपूर्ण हैं? (ग) प्रश्नांकित कार्य अपूर्ण होने के क्या कारण हैं तथा अभी तक इन कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई तथा कब तक किसानों को लाभ मिलेगा? अवधि बतायें। (घ) अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) आष्टा विधान सभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षो में बड़खोला लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 25-4-2012 को राशि रू. 1118.25 लाख की एवं गुराड़िया वर्मा लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 25-4-2012 को राशि रू. 2002.25 लाख की दी गई। (ख) से (घ) भू-अर्जन की लागत में अत्याधिक वृद्धि हो जाने से प्रश्नाधीन दोनों परियोजनाएं असाध्य होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। निर्माण पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।

<u>विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों की नीति</u>

24. **(*क्र. 878) श्रीमती ममता मीना :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायकों की निधि के आवंटन एवं आवंटित कार्यों के संबंध में विभाग

की कोई निर्धारित नीति है? यदि हाँ, तो विवरण दें। विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों के भुगतान की क्या नीति है? (ख) क्या विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने एवं उनके भुगतान की कोई निर्धारित समय सीमा निश्चित है? गुना जिले में विगत तीन वर्ष में निर्धारित समय सीमा में कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने कार्यों का भुगतान हुआ? (ग) क्या विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों का भुगतान, विभाग प्रमुख के खाते मे सर्वर के माध्यम से डाले जाने का नियम है? यदि हाँ, तो उसकी समय सीमा और क्या नीति है? (घ) गुना जिले में विधायक निधि से वर्तमान में ऐसे कितने कार्य स्वीकृत हुए जो पूर्ण हो गये, क्या निर्धारित समय पर उनका संबंधित एजेंसियों को भुगतान हुआ? विधायक निधि के कितने कार्य अपूर्ण हैं, जो पूर्ण हो गये, उनका कितना भुगतान नहीं हुआ, कब और कैसे होगा? जानकारी दें।

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–"अ" अनुसार है**। (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना मार्गदर्शिका 2013 की कंडिका 2.3,2.8 एवं 3.12 में स्वीकृत कार्य एवं भुगतान के संबंध में प्रावधान है **जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर है**। वित्तीय वर्ष, 2011-12 से 2013-14 तक 565 कार्य पूर्ण हुए तथा क्रियान्वयन एजेन्सी को सभी पूर्ण कार्यों का भुगतान किया गया। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है**। (घ) वित्तीय वर्ष, 2014-15 में 121 स्वीकृत कार्यों में से 11 निर्माण कार्य पूर्ण हुए, जिनका भुगतान संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी को कर दिया गया है। शेष 110 कार्य अपूर्ण हैं।

<u>योजनाओं पर व्यय</u>

25. **(*क्र. 948) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संस्कृति विभाग द्वारा जिला रतलाम में किन-किन योजनाओं के तहत किस-किस मद में वर्ष 2013-2014 में कितना-कितना व्यय किया गया? मदवार ब्यौरा क्या है? (ख) विभाग द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं उपरोक्त अवधि तक प्रचलित थी? उसमें से किस-किस योजना के क्या-क्या लाभ जिला रतलाम को प्राप्त हो सके?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) संस्कृति विभाग द्वारा रतलाम जिले में विभिन्न योजनाओं पर राशि रू. 10,17,186-/ कुल व्यय हुआ. तत्संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है**. (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" के अनुसार है**.

<u>परिशिष्ट – "सात"</u>

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

नागदा में आई.टी.आई. की स्थापना

1. **(क्र. 12) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु आई.टी.आई. विद्यालय अथवा अन्य कोई मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है? (ख) क्या शासन की उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र में आई.टी.आई. विद्यालय खोलने के लिए कोई योजना हैं? यदि हॉ तो विद्यालय की स्थापना कब तक की जावेगी? (ग) आई.टी.आई. विद्यालय खोलने हेतु शासन के क्या नियम एवं नीतियाँ हैं?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी नहीं। नागदा में दो प्रायवेट आई.टी.आई. क्रमश: श्री कन्हैया प्रायवेट आईटीआई तथा व्ही-टेक प्रायवेट आईटीआई संचालित है। खाचरौद में शासकीय आई.टी.आई. संचालित है। (ख) राज्य शासन की घोषित तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास नीति में यह प्रावधान है कि पीपीपी मोड में निजी निवेश से ऐसे विकासखण्डों में स्थापित किये जायेंगे जहां एनसीव्हीटी से संबद्ध कम से कम 6 ट्रेड तथा 240 सीटों की प्रवेश क्षमता की कोई भी शासकीय या निजी आईटीआई संचालित नहीं हो। (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के तहत आई.टी.आई. खोलने के नियम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक, दो एवं तीन अनुसार** है।

महाविद्यालय का भवन निर्माण

2. (क्र. 13) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नागदा खाचरौद विधानसभा अंतर्गत नागदा में कन्या महाविद्यालय वर्तमान में प्रारंभ हो गया है, लेकिन महाविद्यालय का भवन अभी तक नहीं है? (ख) क्या शासन द्वारा भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है? यदि चिन्हित कर ली गई है तो कहां पर एवं भवन निर्माण हेतु बजट प्रावधान कितना राशि का किया गया है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। भूमि ग्राम कस्बा नागदा, पटवारी हल्का नं.13, रकबा नं.354/1, 354/3, 355/356/1 में से 4 हेक्टेयर भूमि खाचरौंद रोड चामुण्डा माता मंदिर के पास, नागदा में चिन्हित कर ली गई है। महाविद्यालय को भूमि आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात् भवन निर्माण हेतु राशि का बजट प्रावधान किया जावेगा।

लिपिक वर्ग की वेतन विसंगति

3. (क्र. 97) श्री अरूण भीमावद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि चौधरी वेतन आयोग की अनुशंसा लागू होने के पूर्व सहायक शिक्षकों एवं लिपिक वर्ग-3 के कर्मचारियों का वेतनमान एक समान रुपये 169-300 लागू था? (ख) यदि हाँ, तो फिर चौधरी वेतन आयोग में शिक्षकों का वेतनमान रुपये 545-975 तथा लिपिकों का वेतनमान रुपये 515-800 अलग-अलग क्यों किया गया? (ग) उक्त वेतन विसंगति के संबंध में क्या माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कोई निर्णय लिपिकों के पक्ष में पारित किया गया है? क्या उक्त निर्णय के संबंध में शासन द्वारा लिपिकों के आर्थिक हित में कोई आदेश पारित किये गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) शासन लिपिकों की उक्त विसंगति को कब तक दूर करेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी हॉ। (ख) शासकीय अमले में विभिन्न पदों/संवर्गों की कार्य प्रणाली, उनके पदोन्नति के अवसर, मिलने वाली सुविधाएं आदि का विश्लेषण कर वेतन पुनरीक्षण की अनुशंसा करने के लिए ही वेतन आयोग का गठन किया जाता है। और इसी उद्देश्य से चौधरी वेतन आयोग का गठन किया गया है। आयोग द्वारा परीक्षणोपरांत दोनों संवगों के लिए अलग-अलग वेतनमान की अनुशंसा की गई थी। (ग) जी हॉ। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13/07/2011 द्वारा निर्णय पारित किया तथा इसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में अवमानना याचिका क्रमांक 1918/2011 दायर की थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षणोपरांत आदेश दिनांक 08.02.2013 द्वारा समाप्त की गई। लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ द्वारा पुन: रिट पिटीशन क्रमांक 6555/2013 दायर की है, जो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। (घ) उपरोक्त प्रश्नांश "ग" में उल्लेखानुसार प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

जिला सिंगरौली में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना

4. (क्र. 198) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगरौली जिले में दिनॉक 14 फरवरी 2014 को प्रवास के दौरान सिंगरौली में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई थी, यदि हाँ तो इसे कब तक में आरंभ किया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में सिंगरौली जिले के किस स्थान पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए भूमि का चयन किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध कब तक में किस कॉलेज को प्रारंभ करने की योजना है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी नहीं।(ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खराब ट्रान्सफारमर बदला जाना

5. (क्र. 208) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 14 ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने ट्रान्सफारमर कब से खराब है या जले हुये है? उनको बदलने का कार्य क्यो नहीं किया जा रहा? कारण बतायें? (ख) जिस ट्रान्सफारमर पर 10 कृषकों के कनेक्शन है जिसमें से 6 कृषक समय-समय पर बिजली बिल अदा कर रहें एवं शेष 4 कृषक बिल अदा करने की स्थिति में न हो या करना न चाहें तो ऐसी स्थिति में क्या जले हुये ट्रान्सफारमर को बदलने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यो? कारण स्पष्ट करें? (ग) जो कृषक लगातार नियमानुसार बिजली बिलों का भुगतान कर रहें है इसके बाद भी उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही जिससे नुकसान हो रहा क्या ऐसे किसानो के बिजली देने के संबंध में शासन विचार करेगा? (घ) ऐसी स्थिति में किस प्रकार ऐसे किसानों को शासन बिजली उपलब्ध करायेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में 9 जले/खराब वितरण ट्रांसफार्मर संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विद्युत बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण बदलने हेतु शेष हैं। उक्त ट्रांसफार्मरों के फेल होने की दिनांक की ट्रांसफार्मरवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार** है। (ख) वर्तमान में फेल ट्रांसफार्मर से संबंद्ध उपभोक्ताओं द्वारा निम्नानुसार विद्युत बिल की बकाया राशि जमा करने पर ट्रांसफार्मर बदलने का प्रावधान है :-

बकाया राशि			फेल ट्रांसफार्मर बदलने हेतु आवश्यक राशि
(i)	रू. 25000/- या उससे कम।	-	संपूर्ण राशि
(ii)	रू. 25000/- से अधिक एवं रू. 1.00 लाख से कम।	-	रू. 25000/- अथवा बकाया राशि का कम से कम 50 प्रतिशत, जो भी अधिक है।
(iii)	रू. 1.00 लाख या उससे अधिक।	-	कम से कम बकाया राशि का 50 प्रतिशत

उक्तानुसार विद्युत बिल की बकाया राशि जमा होने पर फेल ट्रांसफार्मर प्राथमिकता के आधार पर बदल दिये जायेंगे। (ग) एवं (घ) प्रश्नाधीन उल्लेखित बकाया राशि वाले फेल वितरण ट्रांसफार्मरों को छोड़कर, बिजली के बिलों का भुगतान करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को नियमानुसार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

परिशिष्ट – "आठ"

ग्वालियर स्थित स्वर्ण रेखा नाले का निर्माण

6. (क्र. 213) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाले का निर्माण पूर्ण हो चुका है? उक्त नाले के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई? क्या डी.पी.आर. अनुसार कार्य पूर्ण हुआ? (ख) स्वर्ण

रेखा का निर्माण किस परिपेक्ष एवं मकसद से कराया गया था? (ग) क्या इस योजना में ग्वालियर महानगर के 84 नालों को व्यवस्थित करने हेतु विभाग द्वारा कोई प्लान तैयार किया गया, नहीं तो क्यों? क्या भविष्य में इस संबंध में कोई प्लान तैयार किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी हाँ।रूपये 4830.27 लाख। जी हाँ। (ख) जल गुणवत्ता उन्नयन एवं ग्वालियर शहर के बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से। (ग)जी हाँ, कार्ययोजना तैयार कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य कराए गए है। कार्य पूर्ण कर परियोजना नगर निगम, ग्वालियर को वर्ष-2011-12 में हस्तांतरित की गई है।

राजस्व ग्राम गोड़ा के बाँध में पानी रोका जाना

7. (क्र. 283) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नागौद विकासखण्ड अन्तर्गत उसरार ग्राम पंचायत में राजस्व ग्राम गोड़ा में गोड़ा बाँध सन् 1977 से 1980 के मध्य बना था? किन्तु आज तक उस बाँध में पानी नहीं रुका है? यदि हां तो क्यों? (ख) क्या उक्त बाँध में पानी भी नहीं रुकने से बाँध औचित्यहीन हो गया है? (ग) क्या उक्त बाँध में पानी रोकने की व्यवस्था तत्काल की जाएगी जिससे वहाँ के निवासी इस बाँध का लाभ पा सके?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी हॉ। जलाशय के डूब क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना के कारण तल से जल का रिसाव हो जाने के कारण जलाशय में क्षमता अनुसार पानी नहीं रूकताहै। (ख) जी नहीं। जलाशय के तल से रिसाव होने वाले जल से भू'जल का भरण होता है। (ग) जलाशय के पूरे तल का उपचार तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों को यू.जी.सी. वेतन मान का प्रदाय

8. (क्र. 367) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों को यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 से दिये जाने के निर्णय के पालन में इसका क्रियान्वयन 01 अप्रैल 2010 से किया गया है किन्तु 01.01.2006 से तक की अवधि का बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? (ख) क्या यह सही है कि दिनांक 01.01.2006 से 31.03.2010 तक की अवधि में उच्च शिक्षा विभाग के ऐसे प्राचार्य एवं प्राध्यापक जो सेवा निवृत्त हो गये हैं उन्हें भी उक्त अवधि का यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि अन्य शासकीय कर्मचारियों को छटवें वेतनमान में सेवा निवृत्ति के साथ ही लाभ देने के निर्देश है? (ग) क्या यह सही है कि उल्लेखित अवधि के सेवा निवृत्त प्राचार्य एवं प्राध्यापक को स्वीकृति यू.जी.सी. का वेतनमान का लाभ देने हेतु भारत सरकार से वित्त विभाग द्वारा राशि प्राप्त कर ली है? इसके बाद भी संबंधितों को राज्य

सरकार के द्वारा उक्त लाभ से वंचित रखा जा रहा है? ऐसा क्यों एवं शासन कब तक संबंधितों के लंबित वेतन एरियर का भुगतान करने के आदेश प्रसारित करेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हां। विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.05.13 में दिये गए निर्देशों के अनुक्रम में प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/अन्य शैक्षणिक अधिकारियों को यू.जी.सी. छठवें पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर (01.01.2006 से 31.03.2010 तक) की प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है। आगामी किश्त का भुगतान भारत सरकार से 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति होने के पश्चात किया जाना संभव हो पायेगा। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश "क" में उल्लेखित एरियर राशि अवधि में सेवानिवृत हुए यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त प्राचार्य एवं प्रध्यापकों को भी कार्यरत शिक्षकों के समान प्रथम किश्त की राशि का भुगतान नियमानुसार किया गया है। (ग) जी नहीं। उल्लेखित एरियर राशि अवधि की शेष द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं है। राशि प्राप्त होते ही कार्यरत एवं सेवानिवृत प्राचार्य/प्राध्यापकों को भी एरियर राशि का भुगतान किया जाना संभव होगा। निश्चित तिथि बतायी जाना संभव नहीं है।

तालाब के निर्माण की स्वीकृति

9. (क्र. 391) श्री सचिन यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड भीकनगांव के ग्राम अदंड में एदलाबाद तालाब के निर्माण की मांग प्रश्नकर्ता एवं स्थानीय ग्राम वासियों द्वारा करने पर क्या सिंचाई विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा खरगोन द्वारा उक्त तालाब का सर्वे किया गया था हां तो प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाहीवार एवं दिनांकवार जानकारी बतायें? (ख) प्रश्न (क) अनुसार एदलाबाद तालाब के निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ होने के उपरांत भी स्वीकृति समय पर नहीं मिलने के क्या कारण है? इनमें कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है, के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में कब तक कार्यवाही पूर्ण कर उक्त तालाब की स्वीकृति कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा समय सीमा बतायें नहीं तों कारणों का उल्लेख करें और बतायें की तालाबों के इस जनहित मामले पर शासन व संबंधित विभाग उदासीन क्यों है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) से (ग) एदलाबाद तालाब निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण दिनांक 08-06-2014 पर यह पाया गया कि जल ग्रहण क्षेत्र अत्यन्त कम होने से सिंचाई हेतु पर्याप्त जल संग्रहण संभव नहीं होने के कारण परियोजना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

ग्रीन कार्डधारियों से ली जा रही ट्यूशन फीस

10. **(क्र. 453) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रीन कार्डधारी पालकों के बच्चों से महाविद्यालय प्रबंधक ट्यूशन फीस नहीं ले सकते? संबंधी आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या यह सही है कि शासन के आदेश के पश्चात् भी इन्दौर जिले के कई महाविद्यालय प्रबंधकों द्वारा ग्रीन कार्डधारी पालकों के बच्चों से ट्यूशन फीस ली जा रही है? (ग) यदि हां, तो इन्दौर जिले के ऐसे कितने महाविद्यालयों द्वारा विगत 3 वर्ष में ग्रीन कार्डधारी पालकों से ट्यूशन फीस ली गई है व इन महाविद्यालयों हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हां। जी हां। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार**। (ख) जी नहीं। आदेश 2006 से 2009 तक ही मान्य था। प्रश्नांश "क" के उतरांश में उल्लेखित आदेश को 2009 में निरस्त कर दिया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता है।

<u>परिशिष्ट - "नौ"</u>

<u>घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में बांध निर्माण</u>

11. **(क्र. 513) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में कितने बांध प्रस्तावित हैं? (ख) क्या खण्ड शाहपुर में ढ़ोडरामऊ में नागदेव कोल का बांध के लिये सर्वे हुआ है? यदि हां, तो कब तक कार्य के लिए चयन होगा? (ग) कितने प्रस्तावित बांधों पर वनविभाग की आपत्ति है? (घ) क्या निर्माणाधीन बांध मिरियाडोल की प्रक्रिया पुन: प्रारंभ होगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) एवं (ग) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में सिंचाई परियोजना की स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ख)जी नहीं। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) जी नहीं, परियोजना असाध्य होने के कारण।

<u>शासन के ऋण की जानकारी</u>

12. **(क्र. 569) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 मार्च, 2014 तक प्रदेश पर कुल ऋण कितना था एवं प्रतिवर्ष उसके द्वारा कितने ब्याज रकम का भुगतान किया गया? क्या मूल ऋण राशि का भुगतान भी हुआ, तो कृपया बतायें? (ख) बैंक ऋण, राष्ट्रीय बैंकों से कितना, नाबार्ड से कितना ऋण, लोक ऋण, विदेशों से ऋण एवं कर्मचारियों के जमा अंश से कितना ऋण लिया गया? 31 मार्च, 2014 तक की जानकारी दें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) 31 मार्च 2014 की स्थिति में रू 72113.39 करोड़ का ऋण था। वर्ष 2013-14 में रू 6391.32 करोड़ ब्याज एवं मूल ऋण राशि रू 4004.64 करोड़ का भुगतान किया गया। (ख) 31 मार्च 2014 तक लिये गये ऋण निम्नानुसार है -

सरल क्र	संस्था का नाम	राशि (करोड़ रूपये में)
1	बाजार ऋण	34978.79
2	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	1051.98
3	वितीय संस्थाओं से ऋण	5288.48
4	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	18075.83
5	केन्द्र सरकार से ऋण	12718.23
6	लोक लेखा	24711.90
7	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये कर्ज	4028.03

भंवरनाथ मंदिर को पर्यटन के नक्शे पर सम्मिलित किया जाना

13. **(क्र. 698) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के भौरासा नगर के भंवरनाथ मंदिर को पर्यटन के नक्शे में सम्मिलित किया जा रहा है यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ख) क्या भौरासा नगर के प्राचीन व सिद्ध भंवरनाथ मंदिर को भविष्य में पर्यटन नक्शे पर लाया जा सकेगा? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों नही?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी नहीं। विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटन के नक्शें में सम्मिलित किये जाने की कोई नीति नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय महाविद्यालय टोकखुर्द में प्रबंधन कोर्सेस शुरू किया जाना

14. **(क्र. 699) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टोंकखुर्द शासकीय महाविद्यालय में सत्र 2015-16 में प्रबंधन कोर्स बी.बी.ए व एम.बी.ए को शुरू करने की योजना बनाई गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या

भविष्य में टोंकखुर्द नगर के महाविद्यालय में प्रबंधन कोर्स शुरू किया जायेगा? नहीं तो क्यों नही किया जा सकता है? (ग) जिले के अन्य शासकीय महाविद्यालय में यह कोर्स चल रहे है या नहीं?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी नहीं। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः शासकीय महाविद्यालय टोकखुर्द में बी.बी.ए. प्रारंभ किये जाने में अभी कठिनाई है तथा एम.बी.ए. को शुरू करने की अनुमति इस विभाग द्वारा नहीं दी जाती है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं।

श्योपुर जिले में सिंचाई रकवा बढ़ाने हेतु सर्वेक्षित योजनाएं

15. **(क्र. 743) श्री रामनिवास रावत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 की स्थिति में श्योपुर जिले में सिंचाई रकवा/सुविधाएं में वृद्धि के लिए कौन-कौन सी सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराया है? सर्वेक्षण में कौन-कौन सी योजनाएं साध्य पायी गयी है? कौन-कौन सी असाध्य? तहसीलवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार साध्य परियोजनाओं में से किन-किन परियाजनाओं की डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है अथवा की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार डी.पी.आर. तैयार होने के पश्चात् कितनी-कितनी लागत की कौन-कौन सी परियोजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है? स्वीकृति में विलंब के क्या कारण है? कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार** है। (ग) चेंटीखेड़ा मध्यम परियोजना की लागत 2009 के एस.ओ.आर. पर रू. 192.57 करोड़ आंकलित है। भू-अर्जन,पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सहरिया अनुसूचित जनजाति के डूब प्रभावित परिवारों को पुनर्विस्थापन के लिए भूमि के बदले भूमि देने हेतु वैकल्पिक कृषि भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। पुनर्विस्थापन के कानूनी प्रावधानों के पालन की व्यवस्था के बिना चेंटीखेड़ा परियोजना की स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है और इस हेतु समयसीमा नियत करना भी संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "दस"

दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

16. **(क्र. 813) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 9.12.2014 के तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 861) में मा. तकनीकी शिक्षा मंत्री जी ने म.प्र. भोज (मु.) वि.वि. में पदस्थ निदेशक, केमिकल साईंस के विरूद्ध आर्थिक

अनियमितता एवं गबन की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं जांच अधिकारियों के स्तर पर लंबित रहने के संबंध में जवाब दिया है कि ब्यूरो द्वारा क्रमांक 29/14, दिनांक 3-4-14 पर प्रकरण पंजीकृत किया जाकर सत्यापन में लिया गया है एवं शिकायत अभी सत्यापनाधीन है? (ख) उक्त प्रश्नांश (क) में मौखिक चर्चा के दौरान मान. उच्च शिक्षा राज्य मंत्रीजी ने प्रश्न के (ख) भाग में, बताया था कि हमने शिकायत को प्रमुख सचिव कुलाधिपति को भेजकर जांच का अनुरोध किया है? जबकि उक्त प्रश्न में ही (ख) भाग में कार्यवाही पर प्रश्न उपस्थित नहीं होने का उत्तर दिया है उक्त प्रश्न के भाग क एवं ख के परिप्रेक्ष्य में जांच की अद्यतन स्थिति क्या है, क्या तत्काल कार्यवाही कर दोषियों को दण्डित करेंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की स्थिति यथावत है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही

17. **(क्र. 816) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भोज (मु.) वि.वि. भोपाल में पदस्थ निदेशक एवं प्रोफेसर केमिकल साइंस के विरूद्ध कितनी जांच? शिकायतें किन-किन स्तरों पर लंबित है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन अधिकारियों द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? (ग) निदेशक एवं प्रोफेसर कैमिकल साइंस की शिकायतों की जांच हेतु किन-किन अधिकारियों को जांच हेतु अधिकृत किया गया एवं उनके द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में जांच अधिकारियों द्वारा जांच में विलम्ब के क्या कारण है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय स्तर पर 01, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ स्तर पर 01, एवं शासन स्तर पर 01, इस प्रकार कुल 03 शिकायते लंबित हैं। (ख) (1) विश्वविद्यालय स्तर पर जांच समिति गठित की गई। किन्तु डब्ल्यू.पी. नं. 2369/13 में मा. उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्णय दिनांक 20.2.13 के अधीन जांच समिति के अंतिम निर्णय लेने पर स्थगन दिया गया। इसी तारतम्य में विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड के निर्णय 56(43.3) दिनांक 07.09.13 अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया। (2) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत क्र. 29/14 का सत्यापन निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। (3) शासन स्तर पर प्राप्त शिकायत क्र. आर-254/14 की जांच क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा जांच की जा रही है। (ग) उत्तर प्रश्नांश "ख" अनुसार। (घ) माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम निर्णय प्राप्त नहीं होने एवं जांचकर्ता अधिकारियों से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण।

उज्जैन संभाग में विद्युत कर्मियो की करंट से मौत

18. **(क्र. 832) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2010 के पश्चात उज्जैन संभाग में कितने लाईन मैन या अन्य कर्मियों की मृत्यु कार्य करने के दौरान करंट लगने से हुई है? नाम सहित जानकारी देवें तथा उज्जैन संभाग में लाईनमेन विद्युत कर्मियों के कितने पद रिक्त है, अवगत करावें? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित मृत व्यक्तियों में ऐसे कितने व्यक्ति है जो विद्युत कार्य के दौरान मृत हुये वे विभाग के कर्मचारी नहीं थे? (ग) क्या यह सही है कि संभाग में लार्इनमेनो द्वारा बिना विभाग की इजाजत गॉव के अनुभवहीन युवको से जोखिम भरा काम कराया जा रहा है? यदि हॉ तो ऐसी कितनी शिकायत विभाग के पास लंबित है जिनमें विद्युत कार्य करने वाले अशासकीय युवको को मृत उपरांत विभाग द्वारा मुआवजा प्रदान नहीं किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें विद्युतकर्मी द्वारा कार्य के दौरान विभाग के अन्य कर्मचारी द्वारा विद्युत प्रदाय कर दिया गया है? जिससे विद्युतकर्मियों की मृत्यु हुई है? इसमें कितने अधिकारियों को दोषपूर्ण पाकर उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) उज्जैन राजस्व संभाग के अंतर्गत 01 जनवरी 2010 के पश्चात म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कुल 22 कर्मियों की कार्य के दौरान करण्ट लगने से मृत्यु हुई है, जिनमें लाईन सहायक, वरिष्ठ लाईन परिचारक, परीक्षण सहायक एवं लाईन परिचारक सम्मिलित है। उक्त की नामवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। वर्तमान में उज्जैन राजस्व संभाग के अंतर्गत लाईन कर्मचारियों का कोई भी पद रिक्त नहीं है। (ख) उत्तरांश "क" में उल्लेखित विद्युत कार्य के दौरान मृत हुए सभी कर्मचारी वितरण कंपनी के कर्मचारी थे। (ग) जी नहीं, अतः प्रश्न नहीं उठता। (घ) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें अन्य कर्मचारी द्वारा विद्युत प्रदाय चालू कर देने से विद्युत दुर्घटना हुई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट – "ग्यारह"

शा.महा.वि. की भूमि पर अतिक्रमण

19. **(क्र. 833) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में विभिन्न शा. महाविद्यालयों के पास कितनी-कितनी शा. भूमि कहां-कहां पर रिक्त है? महाविद्यालय वार जानकारी दें? (ख) क्या महाविद्यालयों की जमीन को अन्य विभाग के निर्माण कार्य के लिए कलेक्टर द्वारा बिना उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति से स्थानान्तरित किया जा सकता है? यदि हाँ तो कहां-कहां पर कलेक्टर द्वारा किस-किस विभाग को किस आदेश के तहत भूमि प्रदान की उज्जैन संभाग की जानकारी देंवे? (ग) शा. महाविद्यालय की भूमि पर निजी एवं अन्य शा. विभाग के भवनों को लेकर विगत तीन वर्षों में कब-कब, किस-किस व्यक्ति द्वारा कहां-कहां पर शिकायत की गई? व्यक्तिवार जानकारी देंवे? (घ) क्या उज्जैन के समस्त शा.महाविद्यालय भूमि का सीमांकन किया जा चुका है? यदि

हां तो बताए संभाग के प्रत्येक महाविद्यालय के पास वर्तमान में कितनी-कितनी भूमि रिक्त है तथा कितनों पर अतिक्रमण है? अतिक्रमणकर्ता का नाम सहित जानकारी दें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) जी नहीं। किन्तु सीमांकन न होने के कारण शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर की भूमि में से, कलेक्टर, उज्जैन द्वारा अनुसूचित-जाति/जनजाति छात्रावास के लिए बिना अनुमति के भूमि दी गई है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

पिपलौदा में शासकीय महाविद्यालय की स्वीकृति

20. **(क्र. 856) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलौदा नगर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने बावत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्ताव/मांग पत्र प्राप्त हुए है? (ख) यदि हां तो क्या पिपलौदा एवं उसके आसपास से लगे हजारों छात्र-छात्राओं के अध्यापन हेतु शासन/विभाग विचार कर रहा है? (ग) यदि हां तो क्या इस हेतु शासन/विभाग द्वारा प्रस्तावों एवं मांगों पर विचार करते हुए कोई कार्ययोजना बनाते हुए कोई निर्णय लिया गया है? (घ) यदि हां तो कब तक पिपलौदा में शासकीय महाविद्यालय की स्वीकृति दी जाकर शासन/विभाग उसे प्रारंभ करेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हां। (ख) वर्तमान में विभाग द्वारा विद्यमान महाविद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने एवं उनके सुदृढीकरण का कार्य किया जा रहा है। अतः पिपलौदा नगर में शासकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने में अभी कठिनाई है। (ग) प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश "ख" एवं "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नही होता।

जावरा नगर में इंजीनियरिंग कालेज प्रारंभ किया जाना

21. **(क्र. 857) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर में पॉलीटेक्निक कालेज होकर पर्याप्त उपकरण संसाधनों एवं मशीनों के साथ ही पर्याप्त भूमि एवं रिक्त भूमि होकर सैकड़ों छात्र - छात्राएं अध्यापन कर रहे हैं? (ख) यदि हां, तो क्या विगत कई वर्षों से क्षेत्र के छात्र - छात्राओं द्वारा इंजीनियरिंग कालेज की आवश्यकता महसूस करते हुए शासन/विभाग से लगातर लम्बे समय से मांग की जा रही है? (ग) यदि हां, तो क्या जावरा नगर में प्रदेश में विकसित हो रहे रतलाम जिला अंतर्गत जिले के मध्य स्थित जावरा नगर में इंजीनियरिंग कालेज की अत्याधिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है? (घ) यदि हां, तो रतलाम जिले में एक भी शासकीय इंजीनियरिंग कालेज

नहीं होने की स्थिति में शासन/विभाग द्वारा कब स्वीकृति दी जाकर कब प्रारंभ किया जाएगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हां। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) वर्तमान में रतलाम जिले में 02 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित है। उज्जैन संभाग में 12 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित है। अतः प्रवेश के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

सोलर प्लांट व पवन चक्की की स्वीकृति

22. **(क्र. 872) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सोलर प्लांट तथा पवन चक्की किन कम्पनियों द्वारा स्थापित की जा रही है, उन कम्पनियों के नाम बतावें? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सोलर प्लांट तथा पवन चक्की हेतु उपयोग की जाने वाली भूमि किन शर्तों पर कम्पनी को उपलब्ध करवाई गई है? (ग) विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में किन-किन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सोलर प्लांट तथा पवन चक्की के कार्य के लिए शासन द्वारा भूमि पर स्वीकृति प्रदान की गई है? जो स्वीकृति प्रदान की गई है वह भूमि कम्पनी द्वारा क्रय की गई है या शासकीय भूमि लीज पर उपलब्ध कराई गई है? यदि क्रय की गई है तो भूमि की रजिस्ट्री या लीज के दस्तावेज उपलब्ध करावें? (घ) शासन द्वारा प्लांट हेतु जो भूमि स्वीकृत की गई है उसमें चरनोई भूमि का हिस्सा भी उसमें सम्मिलित किया गया है या नहीं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) शासन द्वारा सोलर प्लांट एवं पवन चक्की हेतु भूमि उपयोग की अनुमति "भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध" की शर्तों के आधार पर दी जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। स्वीकृत परियोजनाओं की निजी भूमि कम्पनी द्वारा क्रय की गयी है। राजस्व भूमि लीज पर नहीं दी जाती है। नीति के अनुसार भूमि उपयोग की अनुमति दी जाती है। परियोजनाओं हेतु क्रय की गयी निजी भूमि के क्रय-दस्तावेज एवं राजस्व भूमि उपयोग अनुज्ञा अनुबंध की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है। (घ) जी नहीं।

मंदसौर में पर्यटन स्थलों का विकास

23. **(क्र. 873) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में कौन-कौन से स्थान पर्यटन स्थल घोषित है? (ख) पर्यटन विभाग मंदसौर द्वारा इन पर्यटन स्थलों के विकास हेतु क्या योजनाएँ बनाई गई है? (ग) विगत 5 वर्षों में पर्यटन विभाग को पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा कितनी राशि

व्यय की गई है? विधान सभाक्षेत्रवार जानकारी दें? (घ) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में पर्यटन विभाग द्वारा कौन-कौन से विकास कार्य कराए गए हैं? किये गए विकास कार्यों की व्यय राशि सहित पर्यटन स्थलवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) विभाग में किसी भी स्थाल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -ब अनुसार** है। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -स अनुसार** है।

परिशिष्ट – "बारह"

विधान सभा चांचौड़ा जिला गुना के अंतर्गत पुराने एवं नवीन स्वीकृत तालाब

24. **(क्र. 879) श्रीमती ममता मीना :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले के चांचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में कितने तालाब एवं नहरें निर्मित है कितनी कच्ची नहरें है जिन पर नहरों में पानी रिसाब होता है तो क्या उन्हें पक्की नहरों में परिवर्तन करने की कोई कार्य योजना है कि नहीं यदि हाँ तो कब तक? (ख) गुना जिले के चांचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 से 2014 तक नवीन तालाब निर्माण के कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पेंडिंग है? यदि हाँ तो कब तक स्वीकृत मिलेगी? (ग) चांचौड़ा विधान सभा के कुम्भराज में नदी किनारे प्रोटेक्शन दीवार स्वीकृत है कि नहीं कब तक कार्य चालू होगा? (घ) चांचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कौन-कौन से कार्यों की घोषणा की है जिनमें कौन से कार्य स्वीकृत हुए है या कब तक स्वीकृत होंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। कच्ची नहरों के रूपांकन में पानी के रिसाव का प्रावधान होता है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ख) कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) नदी किनारे प्रोटेक्शन दीवार बनाने की घोषणा की गई है। परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण पूर्ण होने पर।

परिशिष्ट – "तेरह"

कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई सुविधा

25. **(क्र. 912) श्री राम सिंह यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं है? जिनकी नहरों में मुरम क्षेत्र में सीपेज होने के कारण सिंचाई सुविधा प्रभावित हो रही है? सिंचाई परियोजनाओं एवं सिंचित क्षेत्र/भूमि सहित जानकारी दें? (ख) क्या शासन/विभाग

नहरों में मुरम क्षेत्र में होने वाले सीपेज को रोकने के लिए सीमेंट कंक्रीट की लाईनिंग कराएगा? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब तक कराएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) निरंक,कोलारस विधानसभा क्षेत्र में गुरिल्ला एवं कूड़ापाड़ोन लघु सिंचाई परियोजनाओं की नहरें मुरम क्षेत्र से निकलती है जिनकी नहरों के रूपाकंन में पानी के रिसाव का प्रावधान होने से रूपांकित सिंचाई क्षमता पर विपरीत प्रभाव की स्थिति नहीं है। इस वर्ष गुरिल्ला परियोजना से रूपांकित क्षमता अनुसार 250 हेक्टर में सिंचाई की गई है। कुड़ापाड़ोन परियोजना के जलाशय में जल की आवक जल संग्रहण क्षमता के 10 प्रतिशत से भी कम होने के कारण रूपांकित सैच्य क्षेत्र 212 हेक्टर के विरूद्ध 60 हेक्टर में सिंचाई की जा सकी है। (ख) जी नहीं,नहरों के रूपाकंन में पानी के रिसाव का प्रावधान होने के कारण आवश्यक नहीं है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

<u>उपभोक्ताओं को बढ़े हुये बिजली के बिल का प्रदाय</u>

26. **(क्र. 941) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों एवं अनु.जाति, आदिवासियों को घरेलू उपयोग हेतु बिजली कनेक्शन देने के क्या नियम है एवं यह भी बतलावें कि इस हेतु उन्हें कितना भुगतान करना पड़ता है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना अन्तर्गत पाटन विधान सभा अन्तर्गत कुल कितने उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक प्रदान किये गये? (ग) क्या यह सच है कि प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कनेक्शनधारियों एवं अन्य घरेलू उपभोक्ता जो पाटन विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आते है को मीटर की जाँच किये बिना अधिक राशि के बिल भेजे गये? एवं इन बिलों का भुगतान न होने पर विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिये गये? यदि हाँ, तो बढ़े हुये बिलों का भुगतान न होने पर पाटन विधान सभा अन्तर्गत मार्च 2014 से प्रश्न दिनांक तक काटे गये, विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि सहित संख्या देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रकरणों की तरह कटनी जिले के कनेक्शनधारियों की तरफ से ए.के.खान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका पर दिया गया फैसला क्या था? फैसले की छायाप्रति देवें एवं यह भी बतलावें की क्या शासन बढ़े हुये बिल वापस लेकर कनेक्शन पुन: जोड़ने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणी में हितग्राहियों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रावधानों के अनुसार शामिल होने पर घरेलू उपयोग हेतु बिजली कनेक्शन देने हेतु म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेग्यूलेशन आर.जी.-31 (विभिन्न संशोधनों सहित) के अनुसार निम्नानुसार भुगतान लेने का प्रावधान है :-

क्र.	श्रेणी	उपभोक्ता श्रेणी	संयोजन प्रभार राशि (नियामक आयोग द्वारा दरें पुनरीक्षित करने पर पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।)				
			पंजीयन शुल्क	अधोसंरचना प्रभार	सुरक्षा निधि	रेवेन्यू स्टाम्प शुल्क	योग
सिंगल फेज निम्नदाब घरेलू (बी.पी.एल.) कनेक्शन 500 वाट तक	अनु.जाति/अनु. जनजाति	0.00	रू. 5/- 500 वाट तक	100/-	1/-	106/-	
	सामान्य	30.00	रू. 5/- 500 वाट तक	100/-	1/-	136/-	

इस योजना में शामिल नहीं होने की स्थिति में निम्नदाब लाईन से 30 मीटर के अन्दर होने पर सर्विस लाईन की लागत एवं निम्नदाब लाईन से 30 मीटर से अधिक दूरी होने पर विस्तार की जाने वाली निम्नदाब लाईन की लागत भी आवेदक को वहन करनी होती है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनान्तर्गत पाटन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 16984 आवेदकों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये गये हैं। (ग) जी नहीं। पाटन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर में दर्ज हुई खपत के आधार पर ही विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं एवं यदि किसी उपभोक्ता से रीडिंग गलत होने या अधिक बिल आने की शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार आवश्यक बिल सुधार की कार्यवाही कर बिल भुगतान लिया जाता है। समय अवधि में भुगतान नहीं किए जाने पर नियमानुसार कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्यवाही की जाती है। अतः त्रुटिपूर्ण बिल का भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन विच्छेदित करने अथवा विच्छेदित कनेक्शनों पर बकाया राशि की जानकारी दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कटनी जिले के उपभोक्ताओं की तरफ से श्री ए.के.खान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पिटीशन क्रमांक 18970/2014 में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2015 द्वारा वितरण कंपनी के पक्ष में निर्णय देते हुए पिटीशन खारिज कर दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2015 के द्वारा पिटीशन खारिज किये जाने के उपरांत जाँच में जिन उपभोक्ताओं के बिलों में त्रुटियां पाई गई थी उनमें सुधार कर दिया गया है एवं ग्राम बांघा में 02 नं., ग्राम इमलाज में 52 नं. ग्राम तिलगवा में 22 नं., ग्राम थनौरा में 08 नं. एवं ग्राम चिखला में 12 नं. कनेक्शन पुनः जोडने की कार्यवाही की गई है। शेष ग्रामों में बकाया राशि का भुगतान होने के उपरांत कनेक्शन पुनः जोडने की कार्यवाही की जाएगी।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा प्लांट की स्थापना

27. **(क्र. 949) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कहां-कहां पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए प्लांट की स्वीकृति शासन ने वर्ष 2012-2013 एवं दिसंबर 2014 तक प्रदान की? वर्षवार ब्यौरा देवें? (ख) उपरोक्त प्लांट्स की स्थापना किन-किन संस्थाओं को स्वीकृत की गई? कितने प्लांट स्थापित हो चुके एवं कितने स्वीकृत होकर भी अब तक स्थापित नहीं हो सके व किस कारण? (ग) मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर आदि स्थानों पर कितने एवं कौन-कौन से ऊर्जा उत्पादन प्लांट प्रस्तावित है? (घ) वर्ष 2012 से 2014 तक उपरोक्त (क) में वर्णित प्लांट्स से कितनी ऊर्जा उत्पादित हुई? वर्षवार-प्लांटवार ब्यौरा देवें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है।

अवैध खनन करने वालों पर कार्यवाही

28. **(क्र. 983) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिले में खनिज विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण बनाए गए? पृथक - पृथक जानकारी दी जाए? (ख) क्या विभाग द्वारा इन प्रकरणों में अर्थदण्ड/राजस्व वसूली के आदेश जारी किए हैं? यदि हां, तो कुल कितनी राशि के अर्थदण्ड के आदेश जारी किए गए हैं? (ग) अवैध खनिज उत्खनन/परिवहन से शासन को कितनी राजस्व आय की प्राप्ति हुई है? कितनी राशि वसूली की जाना शेष है? राशि जमा नहीं करने वालों पर खनिज विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) ऐसे अवैध प्रकरणों में वसूली नहीं करने वाले कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके नाम, पद एवं उनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जिले में खनिज विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में अवैध परिवहन के 103 प्रकरण एवं अवैध उत्खनन के 26 प्रकरण बनाये गये हैं जिनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। (ख) अवैध परिवहन के प्रकरणों में कलेक्टर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाते हैं एवं अवैध उत्खनन से संबंधित राजस्व न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये जाते हैं। रूपये 2,46,17,040/- (दो करोड़ छियालिस लाख सत्रह हजार चालीस) अर्थदण्ड के आदेश जारी किये गये हैं। (ग) अवैध खनिज उत्खनन/परिवहन से शासन को रूपये 34,09,353/- (चौंतीस लाख नौ हजार पांच सौ तिरेपन) आय प्राप्त हुई है। राशि रूपये 20,07,687/- (बीस लाख सात हजार छः सौ सतासी) वसूली किया जाना शेष

है। वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं एवं 1 प्रकरण में 1.92 करोड़ पर राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा स्थगन है। (घ) शेष वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं, कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

नेशनल/स्टेट हाईवे पर स्थित देशी/अंग्रेजी मदिरा दुकानें

29. **(क्र. 1013) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिला अंतर्गत देशी एवं अंग्रेजी मदिरा दुकानें नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे मार्गो पर 100 मीटर के अंदर की दूरी पर स्थित हैं? (ख) यदि हॉ, तो म.प्र. उच्च न्यायालय का इस संबंध में क्या दिशा निर्देश है? (ग) यदि म.प्र. उच्च न्यायालय का आदेश हाईवे मार्ग से 100 मीटर के अंदर की दूरी पर मदिरा दुकान संचालित न करने हेतु निर्देश है तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी हॉ। सागर जिले के अन्तर्गत देशी मदिरा की 27 एवं विदेशी मदिरा की 17 दुकाने नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे मार्गो पर 100 मीटर के अन्दर की दूरी पर स्थापित है। (ख) रिट याचिका क्रमांक 7369/2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 01.04.2015 से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग पर स्थापित मदिरा दुकानों की दूरी राजमार्ग के केन्द्र बिन्दु से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थापित/अवस्थित किया जाना आदेशित किया गया है। (ग) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 06.02.2015 अनुसार दिनांक 01.04.2015 से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के केन्द्र बिन्दु से मदिरा दुकानों को 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थापित/अवस्थित कराया जायेगा।

निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के पत्रों का उत्तर

30. **(क्र. 1027) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिला स्तर पर अधिकारियों को लिखे गए पत्रों की पृथक पंजी संधारित किए जाने, प्राप्त पत्रों की अभिस्वीकृति प्रेषित किए जाने, पत्रों का उत्तर दिए जाने, पत्रों में चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में वर्तमान में क्या-क्या प्रावधान प्रचलित हैं प्रति सहित बतावें? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा गत एक वर्ष में विदिशा जिले के किस विभाग के किस अधिकारी को किस दिनांक को किस विषय पर पत्र लिखा गया, पत्र को किस पंजी में विभाग ने संधारित किया, पत्र का किस दिनांक को प्रश्नकर्ता को उत्तर प्रेषित किया गया? (ग) प्रश्नकर्ता के द्वारा लिखे गए पत्रों का प्रश्नकर्ता को उत्तर प्रेषित न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? समय पर पत्र का उत्तर प्रेषित न किए जाने के लिए शासन किसे जिम्मेदार मानता हैं? (घ) निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिखे जाने वाले पत्रों के संबंध में

शासन द्वारा जारी आदेश /निर्देश का विदिशा जिले में कब तक अधिकारियों से पालन सुनिश्चित करवाया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) प्रश्नकर्ता के द्वारा लिखे गये पत्रों का उत्तर देने के निर्देश जिले के सभी विभागों को है। विगत माहों में नगर पालिका निर्वाचन एवं पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया गतिशिल प्रभावशील रहने से आचार संहिता के कारण उन्हें उनके पत्रों का जवाब प्रेषित नहीं किया गया। (घ) शासन के आदेश/ निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को द्वितीय समयमान वेतनमान

31. **(क्र. 1028) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन के मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा उनके अधिनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 की सीधी भर्ती के नियम एक समान है या नहीं? यदि नहीं, तो कारण बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हां है तो म.प्र. राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से अ, ब एवं स संवर्ग के लिपिक संवर्ग (सहायक ग्रेड-3) के संवर्ग में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24.01.2008 के द्वारा आदेश प्रसारित किये गये हैं? (ग) क्या यह सही है कि राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 11-2/2013/नियम/चार, भोपाल दिनांक 28 फरवरी 13/04 मार्च 2013 के द्वारा पृथक से आदेश जारी करते हुये संवर्ग स में अंकित प्रारंभिक वेतनमान रूपये 3050-4590 पाने वाले केवल म.प्र. मंत्रालय के तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को द्वितीय समयमान वेतनमान रूपये 4500-7000 के स्थान पर रूपये 5500-9000 स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर हां है तो राज्य शासन के विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के अधीन कार्यरत सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों के साथ भेदभाव हुआ है या नहीं? यदि हां, तो भेदभाव नीति समाप्त करते हुए भर्ती के नियम एक समान होने पर इन सहायक ग्रेड-3 को प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित आदेश अनुसार लाभ दिये जाने हेतु शासन आदेश प्रसारित करेगा? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) एवं (ख) जी हां। (ग) जी हां। मंत्रालय के विशेष कार्य स्थितियों के आधार पर राज्य शासन द्वारा म.प्र.मंत्रालय के तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को द्वितीय समयमान वेतनमान रूपये 5500-9000 स्वीकृत किया गया है। (घ) जी नही। प्रश्न उपस्थित नही होता।

मुख्यमंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन

32. **(क्र. 1074) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.तारांकित प्रश्न संख्या-15 दिनांक 09.12.14 मंगलवार में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 मई 2008 को की गई घोषणाओं में से दो घोषणायें की जानकारी प्राप्त होने की जानकारी दी गई है? शेष घोषणाओं में क्या कार्यवाही की गई जानकारी दें? (ख) भिण्ड गोरी तालाब के सम्पूर्ण जीर्णोद्धार 2 करोड़ रू. कलेक्टर भिण्ड के खाते में 29.07.11 से जमा है प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई? (ग) कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास अनुशंसा पत्र क्रं. 41 दिनांक 20.01.14 में भिण्ड शहर की लंबित सीवर प्रोजेक्ट में प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) दिनांक 2 मई 2008 को की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक समय व्यतीत होने के क्या कारण है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी हॉ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हॉ। कलेक्टर के खाते में रूपये 52.50 लाख जमा है। सरोवर में हरियाली क्षेत्र विकसित करने, विद्युत व्यवस्था, घाटों का निर्माण एवं सी.सी. रोड के निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। (ग) भिण्ड जिले से प्राप्त प्रस्ताव को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है। (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति शासन की एक सतत प्रक्रिया है। जिसके क्रियान्वयन की समय सीमा निश्चित नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "चौदह"</u>

<u>पोहरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत फीडर सेपरेशन का कार्य</u>

33. **(क्र. 1104) श्री प्रहलाद भारती :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधान सभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से ग्रामों में फीडर सेपरेशन /केवलीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें 24 घंटे अटल ज्योति योजना का लाभ मिल रहा है एवं किस-किस ग्रामों में फीडर सेपरेशन/केवलीकरण का कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं किया गया है? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है व शेष कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? समय अवधि बतावें? (ख) पोहरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कौन-कौन से ग्राम है जो कि विद्युत विहीन है व उसके क्या कारण है? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावायें। उक्त ग्राम में कब तक विद्युतीकरण कर दिया जावेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल):(क) पोहरी विधानसभा क्षेत्र में सभी विद्युतीकृत ग्रामों में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। प्रश्न दिनांक तक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** 236 ग्रामों में फीडर सेपरेशन/केबलीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब-1 एवं ब-2 में दर्शाए** गए कुल 160 ग्रामों में फीडर सेपरेशन/केबलीकरण का कार्य प्रगति पर है। जिनमें से पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब-1 में दर्शाए गए 138 ग्रामों में संघन विद्युतीकरण एवं प्रपत्र ब-2 में दर्शाए गए 22 अविद्युतीकृत

ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य टर्नकी आधार पर करने हेतु कार्यादेश मेसर्स एन.सी.सी. लिमिटेड, हैदराबाद को दिनांक 11.08.2011 को दिया गया था, जिसके अनुसार शिवपुरी जिले में फीडर विभक्तिकरण का कार्य दिनांक 11.02.2013 तक पूर्ण करना था किंतु ठेकेदार एजेंसी के अनुरोध पर कांट्रेक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्य पूर्ण करने की समयावधि दिनांक 28.07.2014 तक बढ़ाई गई। ठेकेदार कंपनी द्वारा कार्य में विलम्ब करने के कारण उक्त ठेकेदार कंपनी के देयकों में से रू. 290.90 लाख की राशि (लिक्विडेटेड डैमेज) के रूप में पेनल्टी स्वरूप काटी जा चुकी है। उक्त कार्य माह अक्टूबर 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। (ख) पोहरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब-2 में दर्शाए गए** 22 ग्राम अविद्युतीकृत है जिनके विद्युतीकरण का कार्य परंपरागत रूप से लाईन विस्तार कर अक्टूबर 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नाधीन क्षेत्र में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** 2 वन बाधा वाले ग्राम अविद्युतीकृत है, जिनमें विद्युतीकरण का कार्य परंपरागत रूप से लाईन विस्तार कर पूर्ण किया जाना संभव नहीं है।

बिजावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित

34. **(क्र. 1133) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभाग की कौन-कौन सी योजनाएँ, परियोजना, निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण नहीं हुए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त योजनाएँ, परियोजनाएँ एवं कार्य कौन-कौन से हैं? यह कहां-कहां पर प्रस्तावित हैं? इनका कुल बजट कितना था? कब प्रारंभ की गई? कुल कितनी राशि व्यय कर दी गई? इनके अधूरे रहने के क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त योजनाएँ, परियोजनाएँ कार्य कब तक पूर्ण कर ली जावेंगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति से 5 वर्ष में और लघु सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के वर्ष को छोड़कर 2 वर्ष में पूरी करने की नीति है। अत: निर्माण में विलंब की स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट – "पंद्रह"

बिजावर महाविद्यालय में छात्र/शिक्षक अनुपात

35. **(क्र. 1134) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बिजावर नगर में शासकीय महाविद्यालय संचालित है? यदि हॉ तो इसमें कौन-कौन से पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार महाविद्यालय में कितने शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत है? एवं कितने पद स्वीकृत है? (ग) शासन के नियमानुसार महाविद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? क्या बिजावर महाविद्यालय में उक्त

नियम का पालन किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) नहीं है तो शासन उक्त कालेज में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती हेतु क्या करेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हाँ। कला/वाणिज्य विषय के पाठ्यक्रम संचालित हैं। (ख) बिजावर महाविद्यालय में वर्तमान में नियमित 03 शिक्षक एवं 08 कर्मचारी कार्यरत हैं एवं स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत हैं:

प्रथम श्रेणी	01
द्वितीय श्रेणी	08
तृतीय श्रेणी	05
चतुर्थ श्रेणी	05

(ग) शासन ने कोई भी शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित नहीं किया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की समग्र पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है, पूर्ति की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्योपुर शहर में बिजली व्यवस्था का सुदृढीकरण

36. **(क्र. 1196) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर शहर में RAPDRP योजनांतर्गत बिजली व्यवस्था का सुदृढीकरण कार्य वर्तमान तक कितने प्रतिशत पूर्ण/अपूर्ण रह गया है? इसे समय-सीमा मार्च 2013 तक पूर्ण न कराने के क्या कारण हैं? इस हेतु कौन उत्तरदायी है? उसके विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ख) उक्त कार्य कराने के दौरान शहर में वर्तमान तक पूर्व में खींचे तारों, ट्रांसफारों, मीटरों व कंडक्टरों को कितनी-कितनी मात्रा में लाईन से उतारा गया तत्पश्चात इस विद्युत सामग्री को किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कब-कब किस-किस इण्डेंट क्रमांक/दिनांक द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में स्टोर में जमा कराया गया एवं जमा सामग्री को अन्यत्र उपयोग करने की स्थिति में कब-कब, किस-किस इण्डेंट क्रमांक/दिनांक द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इश्यू कराया गया? (ग) क्या यह सच है कि कंपनी के अमले ने स्वयं की स्वार्थपूर्ति के लिये प्रश्नांश (ख) में वर्णित उतारी गई संपूर्ण सामग्री में से न्यूनतम मात्रा में सामग्री स्टोर में जमा कर शेष अधिकांश सामग्री को अनियमित तरीके से खुर्द-बुर्द करके शासन को क्षति पहुंचाई? यदि नहीं तो क्या शासन उतारी

गई संपूर्ण सामग्री के लेखे-जोखे का भौतिक सत्यापन कराकर पाये गये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) श्योपुर शहर में आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। उक्त योजनान्तर्गत चल रहे कार्यो को पूर्ण करने की मार्च 2013 तक की अवधि निर्धारित थी, किन्तु ठेकेदार एजेंसी के अनुसार उन्हें समुचित संख्या में श्रमिक उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सका। ठेकेदार एजेंसी द्वारा कांट्रेक्ट की शर्त के अनुसार समयावधि बढाने के अनुरोध पर म.प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्य पूर्ण करने की समयावधि बढ़ाकर दिनांक 20.12.14 कर दी गई थी तथा उक्तानुसार पुनरीक्षित समयावधि में योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के उत्तरदायी होने अथवा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। (ख) कार्य के दौरान पूर्व स्थापित विद्युत अद्योसंरचना से उतारी गई एवं स्टोर में जमा कराई गई सामग्री का विवरण **संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार** है। उक्त कार्य के दौरान कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं उतारा गया है। जमा सामग्री का उपयोग अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया गया है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश ख में वर्णित उतारी गई अधिकांश सामग्री ठेकेदार एजेंसी द्वारा क्षेत्रीय भंडार गुना में जमा कर दी गई हैं एवं कुछ उतारी गई सामग्री निर्माण एजेंसी के स्टोर में सुरक्षित रखी है, जो जमा करने की प्रक्रिया में हैं। जमा सामग्री का उपयोग अन्य कार्य के लिए नहीं किया गया हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

<u>परिशिष्ट – "सोलह"</u>

<u>मेसर्स रियोटिंटो कंपनी द्वारा वन भूमि में उत्खनन हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति</u>

37. **(क्र. 1277) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेसर्स रियोटिण्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. बंदर डायमंड माइन्स तहसील वक्स्वाहा जिला छतरपुर को उत्खनन सर्वेक्षण हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति में दिए गए भूमियों के खसरा नं. रकवा एवं उनकी नोइयत बतलावे? (ख) यदि राजस्व या वन विभाग की वन भूमियों पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु अनुमति दी गई है तो उसका भी विवरण दिया जावें? (ग) क्या भारत सरकार की अनुमति के बिना खनिज तथा पर्यावरण विभाग वन भूमियों पर अनुमति देने के लिए अधिकृत है? कलेक्टर एवं वनमण्डाधिकारी छतरपुर ने उक्त संदर्भित वन भूमियों पर भी कोई अनुमति दी है या अनुशंसा की है? (घ) क्या चरनोई, गोठान, मरघट खलिहान, नदी, नाले के खसरा क्रमांकों की भूमियों पर भी उक्त कंपनी को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु अनुमति दी गई है यदि हॉं तो उसकी भी जानकारी प्रदाय की जावे तथा क्या उक्त भूमियों पर की गई अनुमतियां वैधानिक है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट में दर्शित** है। (ख) प्रश्नाधीन कम्पनी को स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में राजस्व विभाग की वन भूमि शामिल है तथा वन विभाग की भूमि की **पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट में दर्शित** है। (ग) जी नहीं। प्रश्नाधीन कम्पनी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त अनुमति तथा भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत राज्य शासन द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है। वन भूमि पर स्वीकृति हेतु कलेक्टर एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है उनके प्रस्ताव अनुरूप कार्यवाही की गई है। (घ) खनि रियायत नियम 1960 में प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़कर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्नाधीन कम्पनी को स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में प्रश्नाधीन नोईयत की भूमियां शामिल है। जिनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित** है। खनि रियायत नियम 1960 के नियम 14 तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अनुबंध प्रारूप 'एफ' के भाग दो की कंडिका 5 में सार्वजनिक क्षेत्र पूर्वेक्षण कार्य हेतु प्रतिबंधित है। शासन द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति पूर्ण रूप से वैधानिक है।

<u>विभागीय मंत्री के निर्देशो के पालन में कार्यवाही</u>

38. **(क्र. 1314) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत शासकीय महाविद्यलाय ब्यावरा परिसर में 100 सीटर कन्या छात्रावास, ब्यावरा नगर में कन्या महाविद्यालय तथा नगर पंचायत सुठालिया में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृत संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2014 के पत्रों के तारतम्य में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा को दिनांक 21 अक्टूबर 2014 द्वारा परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा जिसकी सूचना प्रश्नकर्ता को पत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2014 से दी गई थी? (ख) यदि हां तो माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? पृथक-पृथक बतावें? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में छात्र-छात्राओं के भविष्य को दृष्टिगत क्या शासन उक्त प्रस्तावों को इसी बजट सत्र में स्वीकृति प्रदान करेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हाँ। (ख) शासकीय महाविद्यालय, ब्यावरा परिसर में 100 सीटर कन्या छात्रावास के संबंध में प्राचार्य द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों को सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत ब्यावरा नगर में कन्या महाविद्यालय एवं नगर पंचायत सुठालिया में नवीन महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है। (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>33/11 के.व्ही. नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्वीकृति</u>

39. **(क्र. 1315) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुख्य महाप्रबंधक (कार्य एवं योजना) मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/ प्रं.सं./म.क्षे./कार्य एवं योजना/शिका./ व्ही.आई.पी. /394 भोपाल दिनांक 06 अगस्त 2014 द्वारा माननीय विभागीय मंत्री जी को संबोधित पत्र में उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2015-16 की प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजनांतर्गत ग्राम सेमलापार में 33/11 के.व्ही. नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव सम्मिलित कर लिया है? कार्य की स्वीकृति उपरांत कार्य का निष्पादन शीघ्रतिशीघ्र कर दिया जावेगा? (ख) यदि हां, तो क्या ग्राम सेमलापार में 33/11 के.व्ही. नवीन विद्युत उपकेन्द्र कार्य की स्वीकृति की जा चुकी है? यदि हां, तो कार्य का निष्पादन कब तक कर दिया जावेगा? (ग) उपरोक्तानुसार यदि कार्य की स्वीकृति नहीं की गई है तो इसके क्या कारण है तथा कब तक स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हाँ। (ख) ग्राम सेमलापार में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के कार्य की स्वीकृति अभी प्रक्रियाधीन है। (ग) म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्राम सेमलापार में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के कार्य को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में प्रस्तावित किया गया है। उक्त योजना की स्वीकृति केन्द्र शासन से प्राप्त होने पर वित्तीय उपलब्ध ता अनुरूप कार्य आरंभ किया जा सकेगा, जिस हेतु वर्तमान में समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आष्टा वि.स. क्षेत्र अंतर्गत तालाबों की स्वीकृति

40. **(क्र. 1349) श्री रणजीतसिंह गुणवान :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आष्टा विधानसभा क्षेत्र के कान्याखेड़ी, गुराड़िया वर्मा बड़खोला आदि तालाबों के निर्माण हेतु टेण्डर स्वीकृत हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये गये? क्यों? (ख) यदि हॉ, तो कब तक कार्य प्रारंभ कर दिये जायेंगे? अवधि बतायें? (ग) इसके लियि कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या शासन इनके विरूद्ध कार्यवाही करेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) प्रश्नाधीन परियोजनाओं की निविदाएं स्वीकृत नहीं है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

जल उपभोक्ता संस्था को मरम्मत शुल्क में बढोत्तरी

41. **(क्र. 1401) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल उपभोक्ता संस्था को 40 रूपया प्रति हेक्टेयर मरम्मत राशि दिये जाने का प्रावधान है? उक्त नियम कब बनाये गये थे? तिथि बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रावधान कई वर्षों के हो जाने के कारण क्या विभाग नवीन निर्देश जारी करने पर विचार करेगा? (ग) यदि हां तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) जल उपभोक्ता संस्था का स्वरूप स्व–सहायता समूह का है। शासन द्वारा जल उपभोक्ता संस्था को दिया जाने वाला अनुदान सहयोग है, न कि व्यय की प्रतिपूर्ति। सिंचाई हेतु जलकर की दरों में दिनांक 31.12.2005 के पश्चात कोई वृद्धि नहीं की गई है। जल उपभोक्ता संस्था से यह अपेक्षित है कि संस्था मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम,1999 के नियम 13 के तहत सदस्य कृषकों पर फीस आरोपित कर धनराशि की व्यवस्था करें।

जबलपुर स्थित आई क्वाटरों में शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण

42. **(क्र. 1419) श्री तरूण भनोत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लोधी सागर एल.बी.सी. संभाग क्र. 2 जबलपुर द्वारा बरगी हिल्स कॉलोनी जबलपुर में आई 2 क्वार्टरों में शौचालयों एवं स्नानागार निर्माण हेतु राशि 54,96,000/- का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव शासन को किस दिनांक को प्राप्त हुआ एवं इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) वर्णित (क) के शौचालयों एवं स्नानागार निर्माण हेतु क्या उक्त राशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है? यदि नहीं, तो राशि कब तक स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी हॉ, मुख्य अभियंता आर.ए.बी.एल.एस. जबलपुर से दिनांक 27/09/2014 को आई-2 क्वाटरों में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण हेतु रूपये 55.00 लाख का प्रस्ताव प्राधिकरण में प्राप्त हुआ था, जिसे त्रुटियों के सुधार हेतु वापिस मुख्य अभियंता, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना जबलपुर को दिनांक 09/10/2014 को लौटाया गया था, जोकि सुधार पश्चात दिनांक 13/02/2015 को प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

नियमित कार्यपालन यंत्री की नियुक्ति

43. **(क्र. 1420) श्री तरूण भनोत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 4 सिहोरा, जिला जबलपुर में दायी तट नहर के अंतर्गत नियमित कार्यपालन यंत्री की नियुक्ति कितने वर्षों से नहीं की गई है? क्या यह सही है कि विभाग में कई नियमित कार्यपालन यंत्री के होते हुए भी प्रभारी कार्यपालन यंत्री के रूप में अनुविभागीय अधिकारी को कार्यपालन यंत्री का प्रभार दिया गया है? (ख) यदि वर्णित (क) सत्य है तो कब तक प्रभारी कार्यपालन यंत्री को हटाकर विभाग में मौजूद नियमित कार्यपालन यंत्री को पदस्थ कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान):(क) लगभग 07 वर्ष से। जी नहीं, विभाग की जल संसाधन संरचनाओं में कार्यपालन यंत्री के स्वीकृत 88 पदों के विरूद्ध केवल 53 कार्यपालन यंत्री पदस्थ है एवं 35 पद रिक्त है। कार्यपालन यंत्रियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु अनुविभागीय अधिकारियों को कार्यपालन यंत्री का प्रभार दिया गया है। (ख) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का स्वयं का कोई केडर नहीं होने के कारण यंत्रियों के पदों की पूर्ति जल संसाधन विभाग से, अधिकारियों की सेवा प्राप्त कर की जाती है। विभाग में स्वीकृत पदों के मान से कार्यपालन यंत्रियों की सेवाऐं प्राप्त होने पर ही नियमित कार्यपालन यंत्री की पदस्थापना संभव है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अवैध खनन में बाजार मूल्य का निर्धारण

44. **(क्र. 1456) श्रीमती रेखा यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अता.प्रश्न संख्या 93 दिनांक 9 दिसम्बर 2014 में प्रश्नाधीन नियम में बाजार मूल्य निर्धारित के कोई प्रावधान नहीं होने से प्रश्नानुसार शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है की जानकारी दी गई है, तो छतरपुर एवं बैतूल जिले में गत दो वर्षों में खनिज विभाग ने अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के किस दिनांक को किसके विरूद्ध प्रकरण बनाए उसमें से किस प्रकरण में प्रति क्यूबीक मीटर कितना बाजार मूल्य मान्य करते हुए कितना अर्थदण्ड किस अधिकारी के समक्ष प्रस्तावित किया? किस दिनांक को, किस प्रकरण में कितना अर्थदण्ड किया गया? (ख) अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के बनाए गए प्रकरणों में बाजार मूल्य का निर्धारण करने या बाजार मूल्य मान्य करने का अधिकार किस कानून, किस नियम, किस पत्र, किस परिपत्र के तहत खनिज विभाग के किस अधिकारी या निरीक्षक को प्रदान किया गया है? प्रति सहित बतावें? (ग) अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के प्रकरणों में रायल्टी का बीस गुना अर्थदण्ड प्रस्तावित न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है इस बावत किस नियम में क्या प्रावधान दिया है? प्रकरणों में बाजार मूल्य का दस गुना अर्थदण्ड प्रस्तावित किए जाने का क्या कारण रहा है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नांश से संबंधित जिला छतरपुर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** एवं जिला बैतूल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में दर्शित** है। (ख) खनिज नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाजार मूल्य के निर्धारण के संबंध में शासन/संचालक से किसी प्रकार के कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। (ग) अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के प्रकरणों में रायल्टी का 20 गुना अर्थदण्ड प्रस्तावित न किये जाने का कारण यह है कि म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(5) के अंतर्गत खनिज के बाजार मूल्य के 10 गुने अथवा खनिज की रायल्टी के 20 गुने इनमें से जो भी अधिक हो अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। खनिज की रायल्टी

के 20 गुने से अधिक खनिज के बाजार मूल्य का 10 गुना होता है। जिस कारण रायल्टी का 20 गुना अर्थदण्ड प्रस्तावित न किया जाकर बाजार मूल्य का 10 गुना अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया। इस बावत म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (5) में प्रावधान दिया गया है। प्रकरण में बाजार मूल्य का 10 गुना अर्थदण्ड प्रस्तावित किये जाने का कारण उपरोक्तानुसार स्पष्ट किया गया है।

गौण खनिज का बाजार मूल्य

45. **(क्र. 1457) श्रीमती रेखा यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अता.प्रश्न संख्या-93 दिनांक 9 दिसम्बर 2014 में प्रश्नाधीन संभाग के जिलों में गौण खनिज का बाजार मूल्य स्थानीय स्तर पर बाजार की मांग के अनुसार मान्य करते हुये प्रकरणों में कार्यवाही प्रस्तावित की गई है की जानकारी दी गई, तो भोपाल संभाग के किस-किस जिले में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक किस गौण खनिज का बाजार मूल्य प्रति क्यूबीक मीटर कितना मान्य करते हुये अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के प्रकरणों में कार्यवाही खनिज विभाग के द्वारा प्रस्तावित की गई है? (ख) गौण खनिज का बाजार मूल्य स्थानीय स्तर पर बाजार की मांग के अनुसार मान्य करते हुए प्रकरणों में कार्यवाही प्रस्तावित किए जाने का अधिकार किस प्रचलित नियम या शासनादेश या निर्देश या परिपत्र के तहत खनिज विभाग के किस-किस श्रेणी के निरीक्षण या अधिकारी को प्रदान किया गया है प्रति सहित बतावें? (ग) गौण खनिज का बाजार मूल्य निर्धारित कर या बाजार मूल्य मान्य कर अर्थदण्ड प्रस्तावित किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हां, जानकारी दी गई थी। प्रश्नाधीन संभाग के जिलों में गौण खनिज का बाजार मूल्य खदानों की अवस्थिति, खनन की तकनीक एवं स्थानीय मांग के आधार पर निर्धारित होने के कारण पूरे जिले में एक समान नहीं होता है। फलस्वरूप प्रश्नानुसार जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नाधीन प्रावधान म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 अधिसूचित है। खनिज का बाजार मूल्य निर्धारण संबंधित कोई प्रावधान प्रचलित खनिज नियमों में नहीं है और न ही इस विषय पर कोई विशिष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अतः प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर अनुसार।

डूब में आई भूमि का मुआवजा

46. **(क्र. 1493) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं देवास जिले में विगत 3 वर्षों में कितने जलाशय बांध कहां-कहां स्वीकृत किये गये? वर्तमान समय में कहां-कहां बांध निर्माण का कार्य चल रहा है? (ख) उक्त बांध निर्माण कार्य तथा डूब क्षेत्र नहर निर्माण में जिन किसानों की भूमि डूब में आई? उनकों किस

दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया गया? (ग) कितने किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हुआ तथा क्यों कारण बतायें? (घ) प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में विभाग तथा जिला प्रशासन को विगत एक वर्ष में किन-किन विधायकों के पत्र प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1'** एवं **'2' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'3' एवं '4' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'5' एवं '6' अनुसार** है। (घ) जनप्रतिनिधियों से जिला स्तर पर प्राप्त पत्र शासन स्तर पर संधारित नहीं किए जाते। जिला स्तर पर प्राप्त रायसेन जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'7' अनुसार** है। देवास जिले में कोई पत्र प्राप्त होना प्रतिवेदित नहीं है।

गैर बकायादारों की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाना

47. **(क्र. 1494) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2015 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिलों में किन-किन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति बिजली का बिल बकाया होने या ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बन्द है? ग्रामों की सूची, बकाया राशि सहित दें? (ख) ऐसे ग्रामों में जिन उपभोक्ताओं/कृषकों का बिजली बिल बकाया नहीं है उनको बिजली उपलब्ध कराने हेतु क्या व्यवस्था की गई है? नहीं तो क्यों कारण बतायें तथा बिजली बन्द अवधि के बिल का क्या होगा? (ग) किसान समृद्धि योजना तथा बकाया बिजली बिल के समझौता हेतु कौन-कौन सी योजना संचालित है तथा उनमें क्या-क्या प्रावधान है? (घ) पुराना बिजली बिल बकाया समझौता हेतु विभाग कोई योजना बनाने पर विचार करेगा यदि नहीं तो क्यों कारण बतायें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) रायसेन जिले में जनवरी 2015 की स्थिति में बिजली का बिल बकाया होने के कारण विद्युत प्रदाय बंद होने तथा बिजली का बिल बकाया होने एवं ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण विद्युत प्रदाय बंद होने का ग्रामवार एवं बकाया राशि की जानकारी सहित विवरण क्रमशः **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। जनवरी-2015 की स्थिति में देवास जिले में बिजली का बिल बकाया होने के कारण जिन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति आंशिक रूप से बंद है, उनकी बकाया राशि सहित ग्रामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण देवास जिले के किसी भी गांव में विद्युत प्रदाय बंद नहीं है। (ख) ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिजली बिल की राशि बकाया नहीं है उन्हें यथासंभव वैकल्पिक व्यवस्था से विद्युत प्रदाय का प्रयास किया जाता है तथा बकायादार उपभोक्ताओं से राशि जमा करने की कार्यवाही की जाती है ताकि नियमानुसार बकाया राशि का भुगतान होने पर ट्रांसफार्मर चालू किया जा सके, अतः प्रश्न नहीं उठता। (ग) विद्युत वितरण कंपनी मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र में स्थाई पंप

कनेक्शन पर बकाया राशि में राहत देने के लिए किसान समृद्धि योजना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बकाया राशि में राहत देने के लिए दीनबंधु योजना संचालित हैं। योजनाओं के प्रावधान का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में क्रमशः प्रपत्र 'द' एवं प्रपत्र 'ई' अनुसार** है। (घ) पुराना बिजली बिल बकाया हेतु वर्तमान में कृषकों हेतु लागू किसान समृद्धि योजना एवं बी.पी.एल.श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु दीनबंधु योजना में प्रावधान किया गया है जिसके अधीन उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है।

खदानों से कोयले का परिवहन

48. **(क्र. 1543) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डब्ल्यू.सी.एल पाथाखेड़ा (सारनी) बैतूल में कोयला ट्रको द्वारा किस मार्ग से ढुलाई की जाती है? (ख) क्या ट्रक संचालकों का कोई संगठन है? (ग) सड़क मार्ग से ट्रक कोयला भरकर सायंकाल 07.00 बजे ही क्यों निकलते हैं? (घ) क्या ट्रक द्वारा अवैध कोयला परिवहन किया जा रहा है, यदि हां, तो कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं? क्या अवैध कायेला ढुलाई राशि की वसूली की जा रही है? यदि हां, तो पुलिस विभाग द्वारा जांच की जाती है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) डब्ल्यू.सी.एल. पाथाखेड़ा खदानों से ट्रकों द्वारा कोयले का परिवहन बगडोना से सारनी पावर हाउस मार्ग, घोड़ाडोंगरी-बरेठा एवं राज्य परिवहन मार्ग क्रमांक 43 से किया जाता है। शोभापुर एवं सारनी खदान का लगभग 95 प्रतिशत कोयला बेल्ट के माध्यम से सारनी पावर हाउस को जाता है। (ख) हां, ट्रक संचालकों का संगठन "काली माई ट्रक आनर्स एसोसिएशन" है। (ग) सड़क मार्ग से ट्रक कोयला भरकर सारनी पावर हाउस को 24 घंटे ही निकलते / परिवहन करते हैं एवं रोड सेल के ट्रक सुबह 8.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक ही निकलते हैं। (घ) पाथाखेड़ा से ट्रक द्वारा अवैध कोयला परिवहन नहीं होता है और न ही इस संबंध में जिला स्तर पर किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है। अवैध कोयला ढुलाई की कोई राशि की वसूली नहीं की जाती है।

मतदाता सूची की जांच

49. **(क्र. 1551) श्री मधु भगत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बालाघाट नगर पालिका चुनाव में प्रयुक्त मतदाता सूची में ऐसे मतदाता के नाम दर्ज कर लिये गये जिसकी नागरिकता भारत वर्ष की नहीं है? (ख) बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड क्र. 06 में लगभग 150 मूल ईरानी एवं पाकिस्तानी नागरिकता के लोगों को भी मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है? आधार तथ्य एवं अनुशंसा क्या थी? (ग) नगर पालिका बालाघाट में महाराष्ट्र के नागरिकों को भी मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है? आधार तथ्य एवं अनुशंसा उपलब्ध कराये? (घ) प्रश्न क्रमांक (क) (ख) (ग) के संबंध में जिला कलेक्टर को कितने शिकायत एवं ज्ञापन प्राप्त हुये तथा उक्त संबंध में क्या कार्यवाही हुई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) से (घ) जी नहीं।

कर वसूली की शिकायत

50. **(क्र. 1555) श्री मधु भगत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विगत सात वर्षों से बालाघाट के मुख्य खेल मैदान में आयोजित होने वाले रोटरी क्लब द्वारा आयोजित बालाघाट उत्सव से प्रश्न दिनांक तक किसी भी प्रकार का (वाणिज्यिक कर, मनोरंजन कर आदि) वसूली नहीं हुई है? (ख) यदि किसी प्रकार की कर वसूली नहीं हुई तो यह छूट किस आधार पर हुई? (ग) क्या यह सही है कि बालाघाट उत्सव के आयोजन में विगत सात वर्षों के आयोजन में नागरिको को शुल्क सहित टिकट के आधार पर प्रवेश दिया गया? प्रदर्शनी स्थल के (बालाघाट उत्सव) में व्यापारी प्रतिष्ठानों के स्टॉल (दुकानें) पचास हजार रूपये प्रति व्यवसाय की दर से लिया गया? (घ) क्या यह सही है इस प्रकार की कर चोरी में प्रकरण दर्ज कर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किये जा रहे है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) विगत सात वर्षों से बालाघाट के मुख्य खेल मैदान में रोटरी क्लब बालाघाट द्वारा आयोजित बालाघाट उत्सव से वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक किसी भी प्रकार के मनोरंजन कर की वसूली नहीं हुई है। (ख) मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत एक वर्ष में सकल प्राप्तियां 10 लाख की होने पर कर दायित्व आता है। अत: मनोरंजन कर के देयता के संबंध में रोटरी क्लब बालाघाट को कर दायित्व हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है। उत्सव में आवंटित किए गए व्यापारियों के स्टॉलों पर वाणिज्यिक कर देयता की कोई छूट नहीं दी गई है। रोटरी क्लब को इस संबंध में सूचना पत्र जारी किया गया है। (ग) बालाघाट उत्सव के आयोजन में नागरिकों से शुल्क सहित टिकिट के आधार पर प्रवेश तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के स्टॉलों पर शुल्क लेने संबंधित जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग में संधारित नहीं की जाती है। (घ) संबंधित रोटरी क्लब बालाघाट को मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 की धारा-4 की उपधारा-1 के तहत प्रारूप 1 में कर दायित्व हेतु सूचना पत्र मनोरंजन कर के संबंध में जारी किया गया है एवं उत्सव में आवंटित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लगाए गए स्टॉलों (दुकानों) के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

निर्माण कार्यों की जानकारी

51. **(क्र. 1556) श्री मधु भगत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग जिला बालाघाट में वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये? नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकासखण्डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्यौरा देवें? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार प्रचलित कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण है? कितने अपूर्ण है एवं उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार, कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें? (ग) प्रश्नांक (क) में वर्णित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य है जिनके पूर्ण किये बिना अथवा कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया? कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौरा देवें? (घ) प्रश्नांक (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें जिला एवं राज्य स्तर पर प्राप्त हुई? इनमें से कितनी शिकायतों की जांच कराई गई एवं जांच के पश्चात क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) से (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। प्राप्त शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। शिकायतें निराधार पाई गई है।

<u>सागर नगर की विद्युत व्यवस्था</u>

52. **(क्र. 1575) श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर की विद्युत व्यवस्था हेतु जब से एस्सेल विद्युत वितरण कंपनी (सागर) प्रा.लि. को हस्तांतरित हुई, तब से प्रश्नांश दिनांक तक कितनी शिकायतें उपभोक्ताओं की प्राप्त हुई एवं कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया, तथा कितनी लम्बित है? (ख) एस्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रा.लि. सागर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु कौन सी प्रक्रिया बनाई गई है? जनसुनवाई फोरम में कौन सदस्य हैं? क्या इस फोरम में जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है? (ग) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में विगत जिला योजना समिति की बैठक में प्रश्नकर्ता द्वारा मा. प्रभारी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करने पर मा. प्रभारी मंत्री महोदय ने व्यवस्था दी थी कि जन प्रतिनिधियों को पूर्व सूचना देकर जन शिकायतों का निवारण किया जायेगा एवं मीटर बदलने की कार्यवाही के पूर्व भी अवगत कराया जायेगा? क्या इस पर अमल किया गया है? यदि नहीं, तो कारण क्या हैं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल):(क) सागर जिले में विद्युत वितरण व्यवस्था हेतु अनुबंधित फ्रेन्चाइजी कंपनी मे.एस्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रा.लिमि. को विद्युत वितरण व्यवस्था हस्तान्तरित करने की तिथि से दिनांक 31.01.2015 तक उपभोक्ताओं की 22468 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सभी 22468 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है तथा तदुपरांत

प्राप्त 76 शिकायतें लंबित हैं, जो कि पिछले सात दिनों के अन्दर प्राप्त हुई है। (ख) डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी अनुबंध के तहत फ्रेन्चाइजी कंपनी मे.एस्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रा.लिमि. द्वारा अपने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु एक उपभोक्ता सेवा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है जिसमें कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। प्रत्येक शिकायत के लिए एक शिकायत संख्या प्रदान की जाती है। जो भी उपभोक्ता, उपभोक्ता सेवा केन्द्र के निराकरण से संतुष्ट नहीं होते हैं वे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी अनुबंध में वर्णित प्रावधानों के अनुसार एक सदस्यीय आंतरिक उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कर सकता है जिसके अध्यक्ष श्री सी.एल.स्वर्णकार (सेवानिवृत मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल) हैं। इस प्रकोष्ठ में किसी भी जनप्रतिनिधि को सम्मिलित किये जाने का प्रावधान डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी अनुबंध में नहीं है। (ग) माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा जिला योजना समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के परिपालन में फ्रेन्चाइजी से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु विद्युत शिकायत निवारण फोरम म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर द्वारा समय-समय पर शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया जाता है एवं इसकी पूर्व सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती है। मीटर बदलने की कार्यवाही सतत प्रक्रिया के तहत की जा रही है, अतः तत्संबंध में पृथक से अवगत कराए जाने में व्यवहारिक रूप से कठिनाई है।

पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस से प्राप्त राजस्व

53. **(क्र. 1582) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रश्न दिनांक की स्थिति में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कितनी-कितनी खुदरा दरें हैं? उत्पादवार बताएं एवं राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस पर प्रति लीटर कितनी-कितनी दर से कौन-कौन सा टेक्स प्रत्यारोपित किया जाता है? उत्पादवार बताएं? (ख) प्रदेश में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस पेट्रोलियम ईंधन उत्पादन की कितनी-कितनी खपत हुई, उक्त अवधि में किस-किस उत्पाद से राज्य सरकार को कितनी-कितनी राशि का राजस्व प्राप्त हुआ? उत्पादवार बताएं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) वाणिज्यिक कर विभाग में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की खुदरा दरों का संधारण नहीं किया जाता है। प्रदेश में प्रश्न दिनांक की स्थिति में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस पर वेट प्रति लीटर के हिसाब से नहीं होकर मूल्य आधारित है। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस पर कर की दरें **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** हैं। (ख) प्रदेश में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक पेट्रोलियम ईंधन उत्पादन की खपत की जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग में संधारित नहीं की जाती है तथा उत्पादवार प्राप्त राजस्व की जानकारी भी संधारित नहीं की जाती है।

परिशिष्ट – "सत्रह"

सिवनी जिले में अवैध रेत उत्खनन और भण्डारण

54. **(क्र. 1585) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खनिज साधन विभाग एवं एम.पी. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के तहत 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले के अंतर्गत किस प्रक्रिया के तहत रेत खनिज की कौन सी खदानें संचालित है? किस अनुबंध के तहत रेत उत्खनन किया जा रहा है? (ख) सिवनी जिले में रेत उत्खनन के लिये कितनी रायल्टी (राजस्व) किस पर कब से बकाया है? राजस्व वसूली के लिए क्या प्रक्रिया प्रश्नांश दिनांक तक अपनाई गई है? कौन लोग डिफाल्टर घोषित किए गए हैं? क्या उनके द्वारा रेत का उत्खनन किया जा रहा है? (ग) सिवनी जिले के अंतर्गत वर्ष 2012 से प्रश्नांश दिनांक तक अवैध रेत उत्खनन भण्डारण परिवहन करते हुए वाहनों के कौन-कौन से प्रकरण बनाये गये? प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? चालकों परिवहन और परिवहन मालिकों सहित जानकारी दें? (घ) सिवनी जिले के अंतर्गत विगत तीन वर्ष में केवलारी विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुर्सीपार से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन से कितने राजस्व की क्षति हो रही है? विगत तीन वर्षों 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में खुर्सीपार में कितना अवैध रेत भण्डारण जप्ती की कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन अवधि से 30.06.2014 तक प्रश्नाधीन जिले में संचालित रेत खदान की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में दर्शित** है। इन खदानों का संचालन म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में निहित प्रावधानों तथा शर्तो के अनुरूप किया गया। जून 2014 के पश्चात कोई भी रेत खदान का संचालन नहीं किया जा रहा है। प्रश्नाधीन जिले में म.प्र. राज्य खनिज निगम द्वारा किसी भी रेत खदान का संचालन नहीं किया जा रहा है। (ख) प्रश्नाधीन जिले में रेत खनिज के ठेकेदारों पर बकाया की जानकारी एवं इसकी अवधि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर दर्शित** है। बकाया वसूली हेतु इन ठेकेदारों को सूचना पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में बकायादारों को डिफाल्टर घोषित करने के प्रावधान नहीं है। इन ठेकेदारों द्वारा वर्तमान में रेत का उत्खनन नहीं किया जा रहा है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नाधीन जिले में रेत खनिज के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन के प्रकरण की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' में दर्शित** है। जिसमें प्रश्नांश से संबंधित जानकारी दी गई है। (घ) प्रश्नाधीन जिले के प्रश्नाधीन ग्राम से रेत के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन के कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आए है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पंचम नगर योजना का संचालन

55. **(क्र. 1603) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिला अंतर्गत पंचमनगर योजना कब स्वीकृत हुई थी? आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें इस योजना से कितने किसान लाभान्वित होंगे? (ख) स्वीकृति दिनांक से आज दिनांक तक कितनी-कितनी राशि किस-किस एजेंसी को इस योजना के सर्वे कार्य, निर्माण कार्य हेतु प्रदाय की गई? राशिवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) इस पंचमनगर योजना से कब तक किसानों को लाभ प्राप्त होगा? समय सीमा बतावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया):(क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। परियोजना की स्वीकृति के समय रूपांकित सैच्य क्षेत्र का आंकलन किया जाता है, लाभान्वित किसान संख्या की गणना नहीं। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) नहर निर्माण के लिए भू-अर्जन पूरा नहीं हुआ है और निर्माण एजेंसी नियत नहीं हुई है। अत: परियोजना के निर्माण की पूर्णता अथवा सिंचाई प्रारंभ होने के लिए समय-सीमा नियत करना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "अठारह"</u>

<u>बुंदेलखण्ड पैकेज के कार्यों में अनियमितताएं</u>

56. **(क्र. 1607) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हटा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बुंदेलखण्ड पैकेज अंतर्गत वर्ष 2011 से 2014 तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत किये व कार्य एजेंसी किसको बनाया गया? (ख) दमोह जिले की हटा विधान सभा क्षेत्र में बुंदेलखण्ड पैकेज के वन विभाग द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ताहीन हुये हैं? जांच समिति बनाकर जांच कराकर संबंधित संलग्नित कर्मचारियों/अधिकारियों पर कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान करेंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण</u>

57. **(क्र. 1627) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अपर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 1400 दिनांक 04.09.13 द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों से जानकारी संकलित की गई है? (ख) यदि हां, तो प्राप्त जानकारी में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई जानकारी देवें? यदि नहीं तो प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को कब तक नीति निर्धारण कर नियमितीकरण किया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) अपर सचिव नहीं, अपितु अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के स्मरण पत्र क्रमांक 1400 दिनांक 04.09.2013 द्वारा भारत सरकार के वित्त पोषित कार्यक्रमों /योजनाओं तथा उनमें नियुक्त संविदा अमले की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी। (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित जानकारी 16 विभागों से प्राप्त हुई है। यह जानकारी संविदा नियुक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बुलाई गई थी। किसी योजना/ कार्यक्रम के लिए संविदा पर स्वीकृत पदों पर एक निश्चित अवधि के लिए संविदा नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही

58. **(क्र. 1639) श्री आरिफ अकील :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये रा.प्र.से. के तत्कालीन अधिकारी ने प्रदेश के लगभग 25 जिलों में 75 से अधिक वक्फ संपत्तियों में अवैध रूप से किरायेदारियां किए जाने के मामले/शिकायतें उजागर हुई है? (ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने अपने कार्यकाल में वक्फ संपत्तियों को न केवल गंभीर क्षति पहुंचाई बल्कि स्थाई नुकसान पहुंचाया? उक्त अधिकारी के विरूद्ध अब तक कितने प्रकरण उजागर हुए? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड एवं अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा उक्त अधिकारी के द्वारा लगभग 75 प्रकरण के अवैध लीज एवं किरायेदारी के प्रकरणों में उसके निलंबन और कठोर अनुशासनात्मक प्रस्ताव माह मई 2014 में विभाग को प्रेषित किये गये थे? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) (ग) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही में विलंब करने के क्या कारण हैं तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? तथा कार्यवाही किन-किन लोगों के द्वारा किन-किन कारणों से लंबित रखी जा रही है इस नियम विपरीत एवं लापरवाही के लिए कौन-कौन दोषी है और शासन ऐसे लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। अब तक कुल 79 प्रकरण उजागर हुए हैं। (ग) पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग को वक्फ संपत्तियों के संक्रामण में अनियमितता के लिए श्री शफीकउद्दीन (सैयद) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव दिनांक 24.02.2014, दिनांक 02.06.2014, दिनांक 25.06.2014 और दिनांक 02.12.2014 को प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सभी प्रस्तावों के क्रम में श्री शफीकउद्दीन(सैयद) के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत आरोप पत्रादि जारी किए जा चुके हैं। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय महाविद्यालय इछावर का संचालन

59. **(क्र. 1656) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय इछावर जिला सीहोर की स्थापना कब की गई थी? इस महाविद्यालय में कौन-कौन से संकाय संचालित किये जा रहे हैं? (ख) क्या इस महाविद्यालय में बी.एस.सी., बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस एवं अन्य संकाय के संचालन हेतु जिला स्तर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? अगर हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या शैक्षणिक सत्र 2015-16 में नये संकाय शुरूआत करने की योजना है? अगर नहीं, तो इछावर विकासखण्ड की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए शुरूआत करने की कब तक योजना है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) महाविद्यालय की स्थापना 16 अगस्त, 1983 को हुई थी। वर्तमान में कला एवं वाणिज्य संकाय संचालित है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अभी कोई योजना नहीं है।

इछावर विधानसभा के अंतर्गत ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

60. **(क्र. 1657) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इछावर विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं या किये जा रहे है? इन संयंत्रों की कितनी लागत है? कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे? (ख) किस योजना के अंतर्गत इन संयंत्रों की स्थापना की गई है? इन संयंत्रों को कितना अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त हुआ? (ग) इन संयंत्रों की स्थापना से कितना रोजगार सृजन हुआ? क्या स्थानीय नागरिकों को रोजगार दिया जायेगा? (घ) इन संयंत्रों की स्थापना हेतु जमीन खरीदी की क्या प्रक्रिया अपनाई गई? कितने किसानों से किस दर में जमीन खरीदी गई?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) प्रदेश की पवन ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीति-2012, सौर ऊर्जा परियोजना क्रियान्यन नीति-2012 एवं बायोमास ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीति-2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत संयंत्रों की स्थापना निजी इकाईयों द्वारा की जा रही है। सरकार द्वारा परियोजना स्थापना पर नीति प्रावधान के अनुसार कोई अनुदान राशि नहीं दी जाती है। (ग) परियोजना स्थापना निजी इकाईयों द्वारा की जाती है। परियोजना निर्माण के दौरान निजी विकासक द्वारा स्थानीय स्तर पर 80 कुशल एवं 460 अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय स्तर पर रोजगार जल प्रदाय, मैकेनिक, सफाई, संयंत्र सुरक्षा यातायात इत्यादि में उपलब्ध होता है। (घ) विकासकों द्वारा परियोजना हेतु जमीन खरीदी राजस्व विभाग के प्रचलित दिशा-निर्देशों के आधार पर की जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

61. **(क्र. 1664) श्री संजय पाठक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2014 में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जिला कटनी के भोपाल स्थित कार्यालय में महानदी पर संगम बराज (सिंचाई हेतु) विभागीय स्टीमेट सहित जल संसाधन विभाग हेतु पत्र प्रेषित किय गया था? (ख) क्या यह भी सत्य है कि माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जिला कटनी द्वारा उक्त पत्र के तारतम्य में जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित भी किया गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में विभागीय अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की छायाप्रति दें? कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) से (ग) मा.प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा प्रेषित पत्र की जानकारी विभाग संधारित नहीं करता है। मान. उर्जा मंत्री जी के कार्यालयीन अभिलेख के मुताबिक प्रश्नाधीन पत्र प्राप्त होना प्रतिवेदित नहीं है। अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

पुल निर्माण पर व्यय राशि

62. **(क्र. 1665) श्री संजय पाठक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि बाणसागर परियोजना द्वारा कटनी जिले में जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के अंतर्गत ग्राम चौरी में सिद्ध महाराज के पास नाले में पुल का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां तो कितनी राशि से, कितनी ऊॅंचाई का तथा किस एजेंसी के द्वारा? (ख) प्रश्नाधीन कार्य की निविदा कब आमंत्रित की गई थी? एवं किन माध्यमों से? (ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पुल का निर्माण कार्यादेश में उल्लेखित ऊँचाई से काफी कम एवं निम्न गुणवत्ता का किया जा रहा है? यदि हां तो क्या कलेक्टर कटनी द्वारा स्वतंत्र जांच दल गठित कर इसकी जांच कराई जाएगी? नहीं तो क्यों? (घ) क्या जल संसाधन विभाग ग्राम पंचायत चौरी के आश्रित ग्राम चौरा-कनेरा जो कि बाणसागर परियोजना के जल भराव के कारण अपनी ग्राम पंचायत मुख्यालय से सम्पर्कविहीन हो गया है, का सम्पर्क बनाये जाने के लिये पुल का निर्माण करवायेगा? हां तो कब तक? नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी हाँ। प्राक्कलित लागत रूपये 119.67 लाख है। ऊँचाई समुद्र तल से 344 मीटर है। निर्माण एजेंसी मेसर्स नित्यान्ता इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लिमिटेड़ सतना है। (ख) दिनांक 08.08.2014 को। ई-टेण्डर प्रणाली से। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) वर्षा ऋतु तक निर्माण कराने के लिए निर्देश दे दिए गए है।

पोल शिफ्टिंग कार्य में अनियमितता

63. **(क्र. 1681) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 97 (क्रमांक 1122) दिनांक 09.12.2014 में मुरैना सबलगढ़ मार्ग पर पोल शिफ्टिंग में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बंधी प्रश्न पर विभाग द्वारा उत्तर में यह जानकारी दी गई कि कार्य प्रारम्भ नहीं हुये हैं इसके संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा सदन में विभाग द्वारा दी गई असत्य जानकारी के संबंध में प्रबंध संचालक म.प्र. म.क्षे.वि.वि. कम्पनी भोपाल को दिये गये शिकायती पत्र के बिन्दुओं पर कोई कार्यवाही, जांच की गई है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां तो प्रश्नकर्ता के संज्ञान में क्यों नहीं लाई गई? (ख) मुरैना सबलगढ़ मार्ग पर जो पुरानी लाईन अधिकांशतः सीमेंट सी.सी. पोल पर थी, को नए एच बीम पर शिफ्टिंग किया गया है दिसम्बर सत्र के पूर्व शिफ्टिंग कार्य चल रहा था? क्या वस्तुस्थिति जानने बावत् कोई जांच दल गठित किया जावेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 1122 दिनांक 09.12.2014 के उत्तर में यह जानकारी दी गई थी कि मुरैना-सबलगढ़ मार्ग पर पोल शिफ्टिंग के कार्य हेतु मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार सुपरविजन चार्ज की राशि जमा नहीं करने के कारण कार्यादेश जारी नहीं किया गया है जिसके कारण क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्य शुरू नहीं होने बावत जानकारी प्रेषित की गई थी। माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रश्न के उत्तर में असत्य जानकारी दिये जाने के संबंध में प्रबंध संचालक म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल को पत्र दिनांक06.01.15 प्रेषित किया गया, जिसमें उल्लेखित शिकायत के बिन्दुओं पर उपमहाप्रबंधक संचा./संधा. संभाग मुरैना द्वितीय प्रबंधक अलापुर वितरण केन्द्र तथा माननीय विधायक महोदय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 13.02.2015 को जांच कार्यवाही की गई जिसमें पाया गया कि वर्तमान में कुछ कार्य मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार सुपरविजन चार्ज की राशि जमा कराए बिना एवं बिना कार्यादेश के कराया जा चुका है। अतः उक्त कार्य वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा रूकवा दिया गया है उक्तानुसार की गई जाँच का जाँच प्रतिवेदन, प्रश्नाधीन पोल शिफ्टिंग के स्वीकृत प्राक्कलनों का विवरण, स्वीकृत प्राक्कलनों के विरूद्ध बिना कार्यादेश के म.प्र.सड़क विकास निगम द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी तथा प्रश्नाधीन कार्य हेतु सुपरविजन चार्ज की राशि जमा कराने के लिये वितरण कंपनी द्वारा म.प्र.सड़क विकास निगम से किये गये पत्राचार की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमशः प्रपत्र अ, ब,स एवं द-1 से 5 अनुसार** है। (ख) प्रश्नाधीन लाईन शिफ्टिंग के कार्य की जाँच उत्तरांश (क) में उल्लेखित जाँच दल द्वारा की गई। जांच दल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उक्त लाईन शिफ्टिंग का कार्य दिसम्बर माह के अंतिम एवं जनवरी के प्रथम सप्ताह में संपादित होना पाया गया है। उक्त कार्य सड़क विकास निगम द्वारा बिना वितरण कंपनी की अनुमति/कार्यादेश के संपादित किया गया है।

<u>पोलायकला में शासकीय महाविद्यालय का निर्माण</u>

64. **(क्र. 1684) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पोलायकलॉ में शासकीय महाविद्यालय के नवीन भवन हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तथा स्वीकृति की दिनांक क्या है? (ख) विभाग द्वारा नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु निर्माण ऐजेन्सी किसे बनाया गया है? क्या कार्य के टेन्डर होकर कार्य प्रारम्भ हो गया है? अगर हां तो कार्य अनुबंध अनुसार किस दिनांक तक पूर्ण होगा? (ग) अभी तक ठेकेदार ने कार्य पूर्ण नहीं किया है तो इसके क्या कारण है? विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (घ) यदि निर्माण ऐजेन्सी ने कार्य नहीं किया तो क्या निर्माण ऐजेन्सी बदली जावेगी? क्या महाविद्यालय भवन शीघ्र बनकर तैयार होगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) विभाग के आदेश दिनांक 21.12.2011 एवं दिनांक 30.07.2013 के द्वारा राशि रूपये 315.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। (ख) विभाग द्वारा महाविद्यालय के निर्माण हेतु म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। निक्षेप योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के भवन निर्माण संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश "क" एवं "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>एम.पी.बिजनेस रजिस्टर/डायरेक्टरी कार्य हेतु सर्वेयरों की नियुक्ति</u>

65. **(क्र. 1729) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि योजना एवं सांख्यकी विभाग सागर संभाग में (एम.पी.बिजनेस रजिस्टर/डायरेक्टरी) बनाये जाने के लिये सर्वेयरों की नियुक्ति की गयी है? (ख) यदि हाँ तो क्या ये नियुक्तियॉ शासन के बिना निर्देशानुसार विज्ञप्ति प्रसारित कर वांछित योग्यताधारी व्यक्तियों की ही की गयी है? और क्या नियुक्त सर्वेयरों का पुलिस वैरीफिकेशन करा लिया गया है? यदि हाँ तो कब कराया गया? (ग) क्या यह सही है कि संबंधित अधिकारी के द्वारा इन सर्वेयरों को बिना ट्रेनिंग दिये ही सर्वे कार्य हेतु नियुक्त कर कार्य पर लगा दिया गया है जबकि शासन द्वारा इन सर्वेयरों को कार्य के पूर्व ट्रेनिग दिये जाने के निर्देश दिये गये थे? (घ) यदि हाँ तो बतावें बिना विधिवत ट्रेनिंग के सर्वेयर द्वारा बिजनेस रजिस्टर अथवा डायरेक्टरी के सर्वे कार्य में यदि कोई गल्ती की जावेगी तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी नहीं। प्रगणकों की नियुक्ति की गई है। (ख) से (घ) (घ) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>दुर्घटनाग्रसित कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता</u>

66. **(क्र. 1730) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी अथवा विद्युत विभाग द्वारा

अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो विद्युत लाइन पर काम करते हैं उन्हें वांछित आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं? जिसके कारण वे कर्मचारी जान जोखिम में डालकर विद्युत लाइन पर काम करते हैं और दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं? (ख) दिनांक 1.1.2010 से 31 जनवरी 2015 तक विद्युत वितरण कंपनी अथवा विद्युत विभाग अंतर्गत विद्युत लाइन पर काम करते हुये, सागर जिले के कितने और कौन-कौन से कर्मचारी किस-किस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त हुये और इनमें कितने कर्मचारियों की मृत्यु हो गई? मृतक एवं अपंग अथवा घायल हुये कर्मचारी के आश्रित परिवार को क्या-क्या लाभ दिये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के कर्मचारियों के साथ घटित दुर्घटनाओं के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के प्रकाश में बतावें कि उत्तरदायी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि अब तक कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्यों? कारण बतावें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी नहीं, अपितु वितरण कंपनियों के क्षेत्रान्तर्गत विद्युत लाईनों से संबंधित कार्यों को सम्पादित करने वाले कर्मचारियों को वांछित सुरक्षा उपकरण समय-समय पर प्रदाय किये जाते हैं। (ख) सागर जिले में दिनांक 1.1.10 से 31.1.15 तक की अवधि में कुल 33 लाईन कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हुये, जिनमें से 7 कर्मचारियों की मृत्यु हुई। विधानसभा क्षेत्रावार दुर्घटनाग्रस्त हुये कर्मचारियों के नाम तथा कर्मचारी अथवा कर्मचारी के आश्रित परिवार को प्रदान की गई सहायता राशि का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार** है। (ग) उत्तरांश (ख) में उल्लेखित दुर्घटनाओं में से एक प्रकरण में लाईन इंस्पेक्टर व सहायक लाइनमेन को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर आरोप पत्र जारी किया गया है एवं विभागीय जांच जारी है। उक्त दुर्घटनाओं में एक अन्य प्रकरण में सहायक लाइनमेन को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलम्बित कर विभागीय जांच जारी है। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के सरल क्रमांक 11 एवं 20** पर दर्शाए अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में विभागीय जांच पूर्ण होने के उपरांत दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आगे कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

शाजापुर जिले में विद्युत फीडर सेपरेशन का कार्य

67. **(क्र. 1734) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर जिले में विद्युत फीडर सेपरेशन का कार्य चल रहा है? कार्य एजेन्सी कौन सी है? कार्य आदेश कब दिया? कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है? (ख) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के किन-किन गांवों में विद्युत फीडर सेपरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है? किन-किन गांव का कार्य अपूर्ण है? किन-किन गांव का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? (ग) कार्य एजेंसी द्वारा समयावधि मे कार्य पूर्ण नहीं करने का कारण क्या है? समय अवधि में कार्य पूर्ण नही करने पर कार्य एजेन्सी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन कार्य दो ठेकेदार फर्मों को टर्न-की आधार पर दिया गया है। उक्त ठेकेदार फर्मों का नाम तथा कार्यादेश दिये जाने एवं कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** हैं। (ख) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के 79 ग्रामों में फीडर सेपरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, 37 ग्रामों का कार्य अपूर्ण है एवं 83 ग्रामों में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" "स" एवं "द" अनुसार** है। (ग) प्रश्नाधीन ठेकेदार एजेंसियो द्वारा समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के मुख्य कारण राईट ऑफ वे,अत्यधिक वर्षा, खेतों में फसल खड़ी होना, ठेकेदार फर्मों की खराब वित्तीय स्थिति आदि हैं। कार्य में विलंब के लिये प्रश्नाधीन ठेकेदार एजेंसियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:- 1. मेसर्स विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस प्रा.लि. हैदराबाद के विरूद्ध निविदा के प्रावधान के तहत कार्यवाही करते हुए मोबिलाइजेशन एडवांस रू. 3,96,32,534/- की बैंक ग्यारंटी जब्त की जा चुकी है एवं उक्त ठेकेदार फर्म द्वारा प्रस्तुत देयकों से लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में रू. 53 लाख की राशि पेनल्टी स्वरूप काटी गई है। 2. मेसर्स सेलटेक आटोमेशन प्रा.लि. सिकंदराबाद के विरूद्ध निविदा अनुबंध की शर्तों के तहत उक्त ठेकेदार फर्म द्वारा प्रस्तुत देयकों से लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में रू.46 लाख की राशि काटी जा चुकी है।

ग्राम रूपाहेड़ा में तालाब का निर्माण

68. **(क्र. 1735) श्री अमर सिंह यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ की खिलचीपुर तहसील के ग्राम कपाहेड़ा में विभाग द्वारा तालाब निर्माण का कार्य किया गया है? (ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा ग्राम कपाहेड़ा में तालाब निर्माण किस वर्ष में किया गया एवं स्वीकृत राशि कितनी है? (ग) क्या उक्त तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो आज दिनांक तक निर्माण कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया गया इसके लिये दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) से (ग) जी नहीं,खिलचीपुर तहसील में ग्राम कपाहेड़ा नाम का कोई ग्राम नहीं है। वर्ष 2011 में ग्राम रूपाहेड़ा में लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए राशि रू.319.21 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। भू-अर्जन में विलम्ब तथा ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने के कारण निर्माण कार्य अवरूद्ध हुआ है। निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए पुन: निविदा आमंत्रित की गई है। निर्माण एजेन्सी नियत नहीं होने से समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है।

तालाबों के निर्माण कार्य में अनियमितता

69. **(क्र. 1765) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलान्तर्गत वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक कितने तालाबो का निर्माण

कराया गया तथा शासन की कितनी राशि व्यय की गई? (ख) उक्त जलाशयों की वर्तमान में सिंचाई क्षमता कितनी है? जलाशयों की भराव क्षमता एवं सिंचाई रकवा बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा विगत पांच वर्ष में किस-किस मद में किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि व्यय की गई? सिंचाई क्षमता तथा जलाशय की भराव क्षमता में कोई बदलाव नहीं आया तो इसके क्या कारण है? (ग) अब तक शासन द्वारा व्यय की गई राशि के जनहित में क्या परिणाम प्राप्त हुए?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2010-11 से अब तक स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' और ई.आर.एम.** तथा आर.आर.आर. योजना के तहत सुदृढ़ीकरण और क्षमता विस्तार के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्रप्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ख) एवं (ग) छतरपुर जिले की सिंचाई परियोजनाओं की जीवित जल ग्रहण क्षमता, रूपांकित सैच्य क्षेत्र एवं रबी 2013-14 में की गई सिंचाई की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र प्रपत्र-'स' अनुसार** है। आर.आर.आर. योजना के तहत निर्मित जलाशयों की जल भराव क्षमता नहीं बढ़ाई जाती है, वरन नहरों का सुदृढ़ीकरण कर विलोपित हुई सिंचाई क्षमता पुन: प्राप्त की जाती है।

छतरपुर जिलान्तर्गत ट्रांसफार्मर की पुनर्स्थापन

70. **(क्र. 1766) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत विद्युतीकरण के कार्यो में कितने वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना के कार्य हेतु वर्ष 2010-2011 से प्रश्न दिनांक तक कितने स्वीकृत किये गये? (ख) प्रश्नांश(क) मे उल्लेखित कितने कार्य पूर्ण कर दिए गए तथा प्रश्न दिनांक तक उक्त में से कितने ट्रांसफार्मर जलने या खराब होने से बदले गये? (ग) ट्रांसफार्मर पुनर्स्थापित कर शासन विभाग को कितनी राशि की क्षति हुई? (घ) जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध अब तक विभाग द्वारा कितने नोटिस दिये गये?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन अवधि में छतरपुर जिले में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत योजना में 475 वितरण ट्रांसफार्मर एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय चरण में स्वीकृत योजना में 220 वितरण ट्रांसफार्मर स्वीकृत किए गए है। (ख) उत्तरांश क में उल्लेखित वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना के स्वीकृत कार्यों में से 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण की योजना में 430 एवं द्वितीय चरण की योजना में 96 वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना का कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण किया जा चुका है। उक्त में से प्रश्न दिनांक तक प्रथम चरण की योजना में स्थापित 84 ट्रांसफार्मर खराब हुये हैं, जिनमें से 64 ट्रांसफार्मर संबंधित ठेकेदार कंपनी मेसर्स जी.व्ही.पी.आर. हैदराबाद द्वारा बदल दिये गये हैं तथा ठेकेदार कंपनी द्वारा शेष

ट्रांसफार्मर बदलने में विलंब किये जाने के कारण शेष 20 ट्रांसफार्मर वितरण कंपनी द्वारा बदल दिये गये हैं तथा इनके विरूद्ध ठेकेदार कंपनी के देयकों से रू. 10.84 लाख की राशि वसूल की गयी है। द्वितीय चरण की योजना में स्थापित सभी 4 खराब हुए ट्रांसफार्मरों को ठेकेदार कंपनी मेसर्स एलटेल इंजीनियर, सतना द्वारा बदल दिया गया है। (ग) प्रश्नाधीन योजना के अंतर्गत स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों में से गारंटी अवधि में खराब हुए ट्रांसफार्मरों को पुन: स्थापित करने का कार्य संबंधित ठेकेदार फर्म द्वारा किया जाता है। यदि ठेकेदार द्वारा समय पर खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है तो ऐसे खराब ट्रांसफार्मरों को वितरण कंपनी द्वारा बदल दिया जाता है तथा इस हेतु खर्च की गई राशि ठेकेदार से वसूल की जाती है। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत छतरपुर जिले में वितरण कंपनी द्वारा प्रश्नाधीन बदले गए 20 खराब ट्रांसफार्मरों के विरूद्ध ठेकेदार से रू. 10.84 लाख की राशि वसूल की गई है, अत: शासन/विभाग को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। (घ) उत्तरांश (ग) में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की गई हैं, अत: किसी अधिकारी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता।

<u>मांझी जनजाति की जाति प्रमाण की जांच</u>

71. **(क्र. 1801) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु किसे सक्षम अधिकारी बनाया गया है? क्या यह निर्देश अलग-अलग वर्गों के लिये अलग-अलग है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा संभाग में विगत तीन वर्ष से अब तक मांझी जनजाति के कितने प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्षम प्राधिकारी हैं। अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग सक्षम अधिकारी नहीं हैं। (ख) संभागीय आयुक्त, रीवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों में रीवा संभाग के किसी भी जिले में मांझी जनजाति के कोई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

<u>प्रभारी प्राचार्य उमरिया पॉलीटेक्निक को पद से पृथक किया जाना</u>

72. **(क्र. 1802) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उमरिया पॉलीटेक्निक के प्रभारी प्राचार्य के नियुक्ति की क्या जांच हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रभारी प्राचार्य को प्राचार्य पद से कब तक कार्यमुक्त किया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उनमें क्या कार्यवाही हुई? कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तराशं (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>बटियागढ़ नगर में 132 के.व्ही. सब स्टेशन की स्वीकृति</u>

73. **(क्र. 1814) श्री लखन पटेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बटियागढ़ नगर (जिला दमोह) में 132 के.व्ही. का सब-स्टेशन कब स्वीकृत किया गया एवं कितनी राशि स्वीकृत/आवंटित की गई? (ख) इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने की समयावधि क्या है? (ग) समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण कितने किसानों एवं ग्रामों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध होना थी, नहीं हो सकी ग्रामों की संख्या एवं नाम बताएं? (घ) क्या पथरिया विकासखण्ड में 132 के.व्ही. का सब स्टेशन स्वीकृति के लिये प्रस्तावित है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जिला दमोह के अंतर्गत बटियागढ़ में 40 एम.व्ही.ए. क्षमता के 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु रू. 864.20 लाख लागत राशि का प्राक्कलन दिनांक 20.10.2011 को स्वीकृत किया गया था। (ख) प्रश्नाधीन उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 10.09.2012 को ठेकेदार कंपनी मेसर्स श्रीम इलेक्ट्रिक लिमिटेड जयसिंहपुर, जिला-कोल्हापुर को कार्यादेश दिया गया था। कार्यादेश की शर्तों के अनुसार उक्त ठेकेदार कपंनी को प्रश्नाधीन कार्य दिनांक 26.02.2014 तक पूर्ण करना था। (ग) वर्तमान में बटियागढ़ एवं आसपास के क्षेत्र को 132.के.व्ही. उपकेन्द्र दमोह से संबद्ध 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्नाधीन क्ष्ोत्र के कृषि फीडरों को 10 घंटे एवं गैर कृषि फीडरों को 24 घंटे सहित पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। अत: किसी कृषक/ग्राम का विद्युत प्रदाय प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता। (घ) जी नहीं।

<u>विकासखण्ड पथरिया एवं बटियागढ़ में स्वीकृत सब-स्टेशन</u>

74. **(क्र. 1815) श्री लखन पटेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में पथरिया एवं बटियागढ़ विकासखण्ड के अंतर्गत 33/11 के.व्ही. के कितने व कहां-कहां सब स्टेशन है? (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने व कहां-कहां सब स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं? (ग) स्वीकृत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु उक्त वर्ष में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई? (घ) यदि निर्माणाधीन है तो कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल):(क) दमोह जिले के पथरिया एवं बटियागढ़] विकासखण्डों के अंतगर्त 33/11 के.व्ही. के क्रमश: 9 एवं 8 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित है जिनका स्थानवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विकासखण्ड

पथरिया एवं बटियागढ में किसी भी 33/11 के.व्ही.विद्युत उपकेन्द्र का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

<u>परिशिष्ट – "उन्नीस"</u>

<u>विद्युत उपकेंद्र रूरई का निर्माण किया जाना</u>

75. **(क्र. 1848) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संभाग लहार के ग्राम रूरई में विद्युत उपकेंद्र कब एवं कितनी लागत का स्वीकृत किया गया एवं उपकेंद्र के निर्माण हेतु कब-कब निविदा आमंत्रित की गई एवं किस एजेंसी को कब कार्योदेश जारी किया गया? (ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा भूमि न मिलने के आधार पर उक्त केंद्र का कार्य रोक दिया गया है, जबकि कलेक्टर, भिण्ड के प्र.क्र.04/11/92/अ509 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2012 से मौजा रूरई का आराजी सर्वे 914 रकवा 0.28 है? ग्राम रूरई में नवीन 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र स्थापना हेतु सुरक्षित की गई? (ग) यदि हां, तो प्रश्नांश भूमि न मिलने की असत्य जानकारी देकर विद्युत केंद्र का कार्य रोकने वाले संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों तथा विद्युत उपकेंद्र रूरई का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा? समयावधि बताएं?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र रूरई की स्वीकृति ए.डी.बी.योजना में दिनांक 22.06.2011 को प्रदान की गई थी तथा उक्त उपकेन्द्र की स्वीकृत लागत राशि लगभग रू. 0.96 करोड़ है। उक्त उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निविदायें दिनांक 10.12.2010 को आमंत्रित की गई थी एवं इसका कार्यादेश मेसर्स रामकी इन्फ्रा. लिमिटेड हैदराबाद को दिनांक 22.06.2011 को जारी किया गया था। (ख) यह सही है कि कलेक्टर भिण्ड द्वारा नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र रूरई के निर्माण हेतु भूमि सर्वे क्र. 914 रकबा 0.28 हेक्टेयर आवंटित किये जाने की सूचना पत्र क्रमां-क्यू/री.कले./12/256 भिण्ड दिनांक 06.01.2012 को दी गई थी। म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को भूमि मिलने के उपरांत कार्य में बाधा के कारण उक्त उपकेन्द्र का कार्य नहीं प्रारंभ किया जा सका है। (ग) यह कहना सही नहीं है कि भूमि नहीं मिलने की असत्य जानकारी देकर प्रश्नाधीन विद्युत उपकेन्द्र का कार्य रोक दिया गया था। वास्तविकता यह है कि उक्त आवंटित भूमि के आस-पास आवासीय बस्ती होने एवं आवंटित भूमि पर पेड़ लगे होने के कारण ठेकेदार एजेंसी द्वारा पत्र दिनांक 16.01.2013 से अवगत कराया गया था कि ग्रामवासियों द्वारा कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने के उद्धेश्य से प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. रूरई उपकेन्द्र से संबंधित क्षेत्र को विद्युत प्रदाय कर रहे ग्राम आलमपुर में स्थित 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र की स्थापित क्षमता 3.15 एम.व्ही.ए. से बढ़ाकर 5 एम.व्ही.ए. कर दी गई है एवं प्रश्नाधीन क्षेत्र को विद्युत प्रदाय कर रहे शाहपुरा फीडर पर आने वाले ग्रामों हेतु ग्राम परसोदा बामन में नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण कार्य दिनांक 22.02.2013 को पूर्ण कर विद्युत व्यवस्था को सुचारू किया गया है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा

एक बार पुनः पुलिस विभाग के सहयोग से प्रश्नाधीन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के प्रयास किये गये, किन्तु ग्रामवासियों द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। इस प्रकार ग्रामवासियों द्वारा बार-बार कार्य में बाधा उत्पन्न किये जाने एवं वर्तमान में उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण स्थानीय अधिकारियों की अनुशंसा पर कंपनी द्वारा पत्र क्रमांक 458 दिनांक 22.05.2013 से उक्त उपकेन्द्र ए.डी.बी. प्रोजेक्ट से विलोपित कर दिया है।

कनेरा जलाशय से सिंचाई

76. **(क्र. 1858) श्री हर्ष यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के 9 दिसम्बर 2014 के परि.अंता. प्रश्न क्रमांक 66 (क्र. 790) के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में बताया है कि रूपांकित 110 हे. की तुलना में 107 हे. भूमि में सिंचाई हो रही है? (ख) क्या यह सही है कि कनेरा तालाब से मौका पर किसानों के खेत में सिंचाई नहीं हो रही? (ग) क्या यह सही नहीं है कि नहर भी आधी अधूरी एवं टूटी फूटी है? (घ) क्या इसकी जांच मुख्य तकनीकी परीक्षक या विभाग के मुख्य अभियंता से कराई जावेगी? यदि हां तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी हां। (ख) जी हां, अल्प वर्षा के कारण जलाशय में जल भराव नहीं होने के कारण इस वर्ष सिंचाई नहीं हुई है। (ग) एवं(घ) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

निजी बिजली वितरण कंपनी एस्सेल द्वारा राशि की वसूली

77. **(क्र. 1859) श्री हर्ष यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सागर नगर में बिजली वितरण निजी कंपनी एस्सेल द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो किस दिनांक से? क्या यह भी सही है कि नगर में कंपनी बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली चोरी के प्रकरण बनाकर राशि वसूल रही है तथा मामला न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है? (ख) सागर नगर में एस्सेल द्वारा जनवरी 15 तक कितने बिजली उपभोक्ताओं के बिजली चोरी के प्रकरण बनाये गये है? कंपनी के स्थापनाकाल से बतायें? कितनी राशि उन पर अधिरोपित की गई है? कितने चोरी के प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं? (ग) क्या यह सही है कि एस्सेल के बिजली मीटर तेज गति से चलते हैं तेज गति मीटर की समस्या कैसे दूर की जावेगी? क्या यह भी सही है कि एस्सेल द्वारा लगाये गये बिजली मीटर कंपनी द्वारा फिर से उन्हें हटाकर नये मीटर लगाये जा रहे है? क्या पहले कंपनी द्वारा लगाये गये मीटर त्रुटिपूर्ण थे? (घ) एस्सेल की अनियमितता उपभोक्ताओं पर बलात बिजली चोरी प्रकरण बनाने पर एस्सेल का अनुबंध समाप्त किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों स्पष्ट बतायें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हाँ में. एक्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रायवेट लिमिटेड को विद्युत वितरण फ्रेंचाइजी के रूप में सागर शहर में विद्युत वितरण का कार्य दिनांक 1.12.12 से सौंपा गया है। उक्त फ्रेंचाइजी कंपनी के साथ किये गये अनुंबध के तहत

सागर नगर में बिजली चोरी/अनियमितता करते पाये जा रहे विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त फ्रेंचाईजी कंपनी द्वारा बनाये जा रहे हैं एवं विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। (ख) सागर नगर में प्रश्नाधीन वितरण फ्रेंचाईजी कंपनी द्वारा दिनांक 1.12.12 से 31.1.15 तक 1344 उपभोक्ताओं के विरूद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण बनाये गये हैं। उक्त प्रकरणों में अधिरोपित राशि रूपये 313.76 लाख है तथा उक्त प्रकरणों में से 400 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। (ग) प्रश्नाधीन वितरण फ्रेंचाईजी कंपनी के द्वारा लगाये मीटर म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रयोगशाला (एल.टी.एम.टी.लेब) में परीक्षण के बाद निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये जाने पर ही स्थापित किये जाते हैं। पूर्व में स्थापित मीटरों में से कुछ मीटर त्रुटिपूर्ण थे तथा अन्य मीटर सामान्य गुणवत्ता के थे। पूर्व में लगाये गये मीटर विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका क्रमांक 8.5 के प्रावधानों के अतंर्गत बदले गये हैं जिसमें वितरण कंपनी को अत्याधुनिक मीटर व सुदूर विद्युत मापक यंत्र स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। (घ) प्रश्नाधीन वितरण फ्रेंचाईजी कंपनी द्वारा विद्युत चोरी/अनियमितता पाये जाने पर ही उपभोक्ताओं के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है जिसके कारण उक्त फ्रेंचाईजी कंपनी का अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जाये।

शा. महाविद्यालयों में अशासकीय सदस्यों की जनभागीदारी समितियां

78. **(क्र. 1880) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार के शासकीय महाविद्यालयों में अशासकीय सदस्यों की जनभागीदारी समिति बनाए जाने का प्रावधान है? क्या जनभागीदारी समिति में स्थानीय विधायक को अध्यक्ष बनाए जाने का भी प्रावधान है? (ख) यदि हां, तो बैतूल जिले के अन्तर्गत किस-किस महाविद्यालय में यह समिति वर्तमान में गठित है? (ग) यदि अशासकीय सदस्यों की जनभागीदारी समितियॉ नही है, तो इनका गठन कब तक कर दिया जाएगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हाँ। जी हाँ, अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों या गणमान्य नागरिकों या स्थानीय विधायक को भी नामांकित किये जाने का प्रावधान है। (ख) बैतूल जिले में स्थित समस्त शासकीय महाविद्यालयों में समिति गठित है, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "बीस"

जांच आयोग का प्रतिवेदन पटल पर रखने की समय सीमा

79. **(क्र. 1893) श्री बाला बच्चन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के लिये पेंशन वितरण में हुये भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के

लिए जांच आयोग कब बनाया था, तथा आयोग ने कब अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया? (ख) जांच आयोग का प्रतिवेदन इनक्वायरी आफ कमीशन एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत शासन को प्रस्तुत होने के कितने दिन में विधान सभा के पटल पर रखा जाना था, अभी तक पटल पर नहीं रखने का क्या कारण है तथा इस विलंब के लिए उत्तरदायी कौन है? (ग) क्या यह सही है कि जांच प्रतिवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय में दस माह से अधिक अवधि तक लंबित रखा गया है? मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रतिवेदन की नस्ती के प्राप्त होने तथा निर्गत होने की तिथि बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 8 फरवरी 2008 के द्वारा एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को दिनांक 15/09/2012 को प्रस्तुत किया। (ख) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से 6 माह के अन्दर रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही से विधानसभा को अवगत कराने का प्रावधान है। प्रतिवेदन विस्तृत स्वरूप का होने से परीक्षणाधीन है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जांच प्रतिवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय को दिनांक 15/09/2012 को प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से दिनांक 13/12/2012 को सामान्य प्रशासन विभाग को वापस भेजा गया।

<u>कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति</u>

80. **(क्र. 1894) श्री बाला बच्चन :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विद्युत वितरण कंपनियों में स्थानांतरण नीति सामान्य प्रशासन विभाग के दिए निर्देशों के अनुरूप ही प्रभावशील है? यदि नहीं, तो नियमों की छायाप्रति देवें? तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में बतावें? (ख) यदि हां, तो विद्युत वितरण कंपनियों के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन स्तर के अधिकारियों द्वारा कितने कर्मचारियों को निलंबित कर जिले से बाहर स्थानांतरित किस आधार पर किया गया है? ऐसे सभी प्रकरणों की जिलावार जानकारी स्थानांतरित कर्मचारी का नाम, पदनाम, वर्तमान पद स्थल सहित देवें? विगत 2 वर्ष की जानकारी देवें? तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्त जानकारी दें? (ग) उपरोक्त अवैधानिक निर्णय को कब तक सुधार कर जिले में पदस्थापित किया जावेगा? तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में (ख) अनुसार बतावें? (घ) उपरोक्त अवैधानिक निर्णय करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी नहीं। म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर एंव म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल की स्थानांतरण नीति की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र क्रमश: अ, ब एवं स अनुसार** है, जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों

के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। (ख) से (घ) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

बरगी व्यपवर्तन योजना में आंशिक संशोधन

81. **(क्र. 1906) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसी निर्माणाधीन सिंचाई योजना में व्यापक जनहित को देखते हुए योजना की डी.पी.आर या लाभान्वित सिंचाई क्षेत्र में संशोधन या आंशिक संशोधन किया जा सकता है? (ख) क्या यह सही है कि बरगी व्यपवर्तन योजना में मैहर विधान सभा क्षेत्र के झुकेही से बेरमा तक के गांवों में सिंचाई सुविधा को योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) वर्णित क्षेत्र में व्यापक जनहित व पर्याप्त जल उपलब्ध ता को देखते हुए किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना में आंशिक संशोधन किया जावेगा? यदि हां तो कब तक? (घ) उक्त निर्माणाधीन योजना में प्रचलित घटिया निर्माण कार्यों को रोकने व गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराये जाने को लेकर विभाग क्या-क्या प्रयास कर रहा है? क्या अब तक हुए निर्माण की कोई व्यापक जांच कराई जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) "टर्न की" टेंडर में टेंडर अवार्ड होने के पश्चात यह सामान्यत: संभव नहीं है। टेंडर के पूर्व यह संभव है। आयटम रेट टेंडर में भी संभव है। (ख) जी हॉ, मैहर विधानसभा क्षेत्र के झुकेही से ग्राम बेरमा तक के ग्रामों में भूमि का लेवल नहर के बेड लेवल से काफी ऊंचा होने के कारण सिंचाई प्रस्तावित नहीं है। (ग) जी नहीं। परियोजना हेतु उपलब्ध जल एवं भौगोलिक स्थिति अनुसार निर्धारित कमाण्ड क्षेत्र में नहरों का निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है। अत: नहर में आज की स्थिति में किसी भी तरह का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। (घ) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण कार्य की जॉच हेतु वर्तमान में गुणवत्ता नियंत्रण संभाग क्रमांक-29 बरगी हिल्स, जबलपुर की इकाई कार्यरत है। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण हेतु समस्त विभागीय अभियंताओं द्वारा सतत निरीक्षण किया जाता है। अब तक हुए निर्माण में जॉच की स्थिति नहीं है। अत: जॉच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

अवैध उत्खनन की शिकायतों पर कार्यवाही

82. **(क्र. 1907) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल, अनुपपुर और उमरिया जिलों में विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में किस संस्था/फर्म को किस खनिज के खनन की अनुमति प्रदान की है? (ख) क्या इन खनन एजेंसियों द्वारा विभाग द्वारा तय शर्तों का पालन किया जा रहा है? किन-किन के द्वारा अनुमति

प्राप्त क्षेत्र से पृथक क्षेत्र में उत्खनन किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में उक्त खनन एजेंसियों द्वारा कितना राजस्व शासन को जमा किया? (घ) उक्त अवधि में उक्त क्षेत्रों में अवैध उत्खनन की क्या-क्या शिकायतें शासन को प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति व की गई कार्यवाही का विवरण दें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन अवधि में फर्म/संस्था को दी गई खनन की अनुमति से संबंधित शहडोल जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'**, अनूपपुर जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'** तथा उमरिया जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' में दर्शित** है। (ख) शहडोल जिले में प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित संस्था/फर्मों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अनूपपुर जिले में मेसर्स डी.एस.सी. लिमिटेड द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। उमरिया जिले में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन के प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' में दर्शित** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब', एवं 'स' में दर्शाई गई है**। (घ) शहडोल जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई-1'** तथा उमरिया जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' एवं 'ई-2' में दर्शाई गई है**। अनूपपुर जिले में एक प्रकरण प्रकाश में आया था, जिस पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है।

<u>विकासखण्ड कुसमी में विद्युतीकरण</u>

83. **(क्र. 1918) कुंवर सिंह टेकाम :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत विकास खण्ड कुसमी में विद्युतीकरण विहीन ग्राम कौन-कौन से है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने ग्रामों में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्यतीकरण एवं प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है? लागत राशि सहित ग्रामों की जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) क्या ग्राम पंचायत क्षेत्र रूंदा भदौरा एवं मझिगवों के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युतीकरण, सोलर लाईट/ सोलर लालटेन उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो वहां पर प्रकाश की क्या व्यवस्था की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) सीधी जिले के विकास खण्ड कुसमी क्षेत्रान्तर्गत एक वन बाधित ग्राम सरसई अविद्युतीकृत ग्राम है। (ख) 8 ग्रामों में डी.डी.जी. योजना अन्तर्गत नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा माध्यम से विद्युतीकरण एवं प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार** है। (ग) दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किये जाने की

सम्भावना है। (घ) जी नहीं। प्रश्नाधीन ग्रामों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम से कराये जाने हेतु सर्वे कराया जायेगा।

<u>परिशिष्ट – ''इक्कीस''</u>

<u>विधायक एवं सांसद निधि कार्यों को समयसीमा में पूर्ण किया जाना</u>

84. **(क्र. 1923) कुंवर सिंह टेकाम :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अन्तर्गत धौहनी विधान सभा क्षेत्र में विधायक मद से कितने निर्माण विकास कार्य वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृति प्रदान किये गये? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं तो क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में अपूर्ण निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण नहीं किया गया है तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांक (ग) के संदर्भ में अपूर्ण निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र में विधायक मद से वर्ष 2012-13 में 19 कार्य, 2013-14 में 33कार्य एवं 2014-15 में जनवरी 2015 तक 10 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। (ख) वर्ष, 2012-13 एवं 2013-14 में स्वीकृत कार्य समय-सीमा में पूर्ण कर लिये गये है। वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कार्य प्रगति पर है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्य प्रगति पर है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>बाक्साइट खदान से उत्खनन</u>

85. **(क्र. 1935) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम गढ़ीदादर, चचानडीह, विकासखंड पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर में 1 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनांक तक बाक्साइट खदान की लीज शासकीय एवं निजी भूमियों पर प्रदान की गई है? यदि हां, तो शासकीय भूमि का रकवा, खसरा नंबर, साइट एवं निजी भूमि का रकवा, भूमि मालिक के नाम सहित साइट का विवरण दिया जावे? क्या निजी भूमि स्वामियों को मुआवजा भुगतान किया गया है या नहीं? यदि किया गया है तो किस दर पर बताये प्रदान की गई लीज की अवधि में क्या-क्या उत्खनन हेतु एक वर्ष में लक्ष्य निर्धारित है? यदि है तो वार्षिक लक्ष्य कितना है? लक्ष्य के विरूद्ध वर्षवार उत्खनन की गई मात्रा का विवरण दें? (ख) उक्त खदानों में वर्तमान में कितने मजदूर नियोजित है नियोजित मजदूरों में से कितने नियमित है? कितने दैनिक है? नियमित एवं दैनिक मजदूरों को किस दर पर पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है? साथ ही नियमित मजूदर को क्या-क्या सुविधाये दी जा रही है? (ग) क्या ग्राम गढ़ीदादर, चचानडीह विकासखंड पुष्पराजगढ़ में बाक्साइड खनन में किसानों की भूमि को ठेकेदारों द्वारा उत्खनन दिनांक से अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो किन-किन किसानों

/भूमि स्वामियों की जमीन अतिक्रमण की गई है? भूमि का रकवा बताये क्या प्रभावित भूमि स्वामी को क्षतिपूर्ति राशि दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक दी जायेगी? (घ) क्या यह सही है कि आदिवासी किसानों की भूमि बिचौलियों द्वारा कम पैसे में दी गई है तथा मकानों की राशि भी कम दी गई है? जब कि आदिवासियों की भूमि ली जाती है तो भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान है? प्रावधान के अनुसार कितने किसानों / भूमि स्वामियों को मुआवजा दिया गया? भूमि के रकवे सहित राशि की जानकारी दें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नाधीन ग्राम में बाक्साइट खनिज की कोई खनि रियायत स्वीकृत नहीं की गई है। अतः प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (घ) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

<u>निर्मित किये जाने वाले जलाशयों के मापदंड</u>

86. **(क्र. 1936) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग में निर्मित किये जाने वाले जलाशयों के मापदंड क्या हैं? (1) दर/प्रति हैक्टेयर (2) न्यूनतम सिंचाई क्षमता, यह मापदंड कब से लागू हैं? विगत 4 वर्षों में इसमें कोई संशोधन किया गया है, तो कब और किस आधार पर? प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अनुपपुर जिले के वर्ष जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक सिंचाई जलाशयों से कितने हेक्टेयर सिंचाई की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जितने रकवे की किश्तबंदिया पारित की गई हैं उतने ही रकवे की सिंचाई हुई है? क्या पारित किश्तबंदियों के विरूद्ध अनूपपुर जिले द्वारा फर्जी सिंचाई रकबे की जानकारी दी गई है? यदि फर्जी सिंचाई रकवे की जानकारी दी गई है, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी व कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। जल संसाधन विभाग द्वारा 40 हेक्टर से कम की सिंचाई परियोजनाएं नहीं बनाई जाती है। (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब'अनुसार** है। सिंचित रकबे एवं किश्तबंदी के रकबे में अन्तर के लिए उपयंत्री श्री के.पी.तिवारी एवं अमीन श्री हीरालाल तिवारी की एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।

<u>औचित्यहीन नहर को निरस्त किया जाना</u>

87. **(क्र. 1944) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि औंकारेश्वर परियोजना अंतर्गत बडवाहा विधान-सभा क्षेत्र के ग्राम मोगावा एवं ग्राम भोगावासिपानी (महेंगांव) के किसानों द्वारा ग्राम के आसपास दो-दो जीवित नदी में एवं भूगर्भ जलस्तर अधिक होने के कारण औंकारेश्वर परियोजना की नहर के निर्माण

को औचित्यहीन बताकर निरस्त करने की मांग का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 10.12.2014 एवं 25.12.2014 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? यदि हां तो तदनुसार वर्तमान तक इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या प्रस्तावित स्वीकृत नहर का निर्माण कार्य वर्तमान में भी चल रहा है? यदि हां तो विभाग द्वारा नहर को निरस्त करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? यदि निरस्त करने संबंधी कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी हॉ। नहरों का निर्माण औचित्यहीन नहीं है, क्योंकि इन नहरों के निर्माण से 795 कृषकों की 459.87 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि में सिंचाई होगी। जबकि नहर के निर्माण हेतु मात्र 9.935 हेक्टेयर भूमि ही अधिग्रहित की गई है। विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जहॉ भी ग्रेवीटी फ्लो पद्धति से सस्ता पानी उपलब्ध कराना संभव है वहॉ विद्युत उद्वहन कर महंगे पानी का विकल्प व्यापक जनहित में नहीं होने से तथा लघु एवं संसाधनहीन कृषकों को सस्ता पानी मुहैय्या कराने की आवश्यकता के कारण नहरों का निर्माण औचित्यपूर्ण है। (ख) जी हॉ, स्वीकृत नहरों का कार्य वर्तमान में निर्माणाधीन है। लघु कृषकों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुये तथा उनकी उद्वहन सिंचाई पर निर्भरता को कम करने के लिये इन नहरों की आवश्यकता है।

<u>खदानों के कारण पर्यावरण प्रदूषण</u>

88. **(क्र. 2275) श्री संजय पाठक :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के कैमोर में स्थित ए.सी.सी. सीमेंट उद्योग की कितनी खदानें वर्तमान में चालू एवं बंद है? तथा वे खदानें कहाँ-कहाँ स्थित है? एवं उन खदानों के आसपास पाँच किलोमीटर के परिक्षेत्र में कितने ग्राम स्थित है? खदानवार, ग्रामवार, परिक्षेत्रवार चालू एवं खदानों की सूची दें? (ख) प्रश्नांश (क) खदानों में कितनी गहराई है? और उनमें कितना पानी भरा रहता है? उन खदानों से रॉ मटेरियल निकालने हेतु भरे हुये पानी को फेंककर रॉ मटेरियल निकाला जाता है? यदि हाँ तो क्या अत्यधिक गहराई से रॉ मटेरियल निकाले जाने के कारण स्थानीय जल स्तर अत्यंत नीचे जाने से खदानों के आसपास लगे ग्रामों के हैंडपंप, सिंचाई कूप तथा ट्यूबवेल सूख गये हैं? (ग) क्या प्रदेश सरकार द्वारा प्रश्नांश (क) उद्योग को खदानों के पानी को पर्यावरण सुरक्षा तथा सिंचाई एवं ग्रामीण हेतु पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेरित किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन उद्योग को चूना पत्थर का एक खनिपट्टा कुल रकबा 1520.22 हेक्टेयर स्वीकृत है। स्वीकृत क्षेत्र का ग्रामवार रकबा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में दर्शित** है। स्वीकृत क्षेत्र में से ग्राम बम्हनगवां एवं मेहगांव में खनन कार्य चालू है। स्वीकृत खनिपट्टा 5 हेक्टेयर की परिधि में स्थित खनिपट्टों का ग्रामवार एवं रकबावार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में दर्शित** है। (ख) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में दर्शित** खनिपट्टा की औसत गहराई 20 मीटर है। स्वीकृत

खनिपट्टा के ग्राम कोयलिया, बरपार एवं ग्राम बम्हनगवां में बंद खदानों में औसतन 15 से 20 मीटर तक वर्षा ऋतु का पानी रहता है तथा ग्राम बम्हनगंवा एवं मेहगांव की चालु खदानों में लगभग 5 से 10 मीटर तक वर्षा ऋतु का पानी रहता है। यह सही है कि चूनापत्थर के खनन हेतु वर्षा ऋतु का पानी खदान क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है। कुएं एवं हैण्डपंप के जल स्तर की माप करने से जल स्तर सामान्य रहना पाया गया। इसके अलावा उद्योग द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए जाने से आसपास के क्षेत्र का जल स्तर सुधरना पाया गया। (ग) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अनुसार उद्योग द्वारा पर्यावरण नियमों की शर्तों का पालन करते हुए उत्खनन कार्य किया जा रहा है तथा कृषि कार्य एवं पेयजल हेतु आसपास के ग्रामों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पटिया पत्थर खदान की लीज स्वीकृति

89. **(क्र. 2749) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अन्तर्गत विकासखण्ड हनुमना एवं मऊगंज में खनिज विभाग द्वारा पटिया पत्थर खदान की लीज स्वीकृति की कार्यवाही में वन विभाग की अनापत्ति/जांच रिपोर्ट ली जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि उत्तर जी हां तो श्रीमती सविता दुबे पत्नी श्री इन्द्रमणि दुबे निवासी ग्राम हाटा तह. हनुमना जिला रीवा एवं श्री बद्रीनाथ सिंह आ. श्री शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम दामोदरगढ़ तह. हनुमना जिला रीवा को पटिया पत्थर की लीज स्वीकृति हेतु अनुविभागीय अधिकारी उप वनमण्डल मऊगंज द्वारा क्या अनापत्ति दी गई थी? जिसके आधार पर उन्हें लीज स्वीकृत की गई थी? यदि हां तो, अनुविभागीय अधिकारी उप वनमण्डल मऊगंज द्वारा एक बार अनापत्ति/जांच रिपोर्ट देकर स्वयं की जारी अनापत्ति/जांच रिपोर्ट को मनमानी रूप से क्यों संशोधित कर लीज निरस्त कराई गई? क्या इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी उप वन मण्डल मऊगंज को दोषी मानते हुये उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो, कब तक? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट बतावें? (ग) प्रश्न (ख) के प्रकाश में क्या अनुविभागीय अधिकारी उप वनमण्डल मऊगंज की लीजधारकों से उपकृत न होने पर मनमानी रूप से स्वयं के द्वारा जारी अनापत्ति/जांच रिपोर्ट में संशोधन कर लीज निरस्त कराने की शिकायत प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा अपने पत्र क्र. क्यू दिनांक 09.12.2014 द्वारा प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय भोपाल को की गई थी? यदि हां तो संदर्भित पत्र के अनुक्रम में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हां। (ख) प्रश्नाधीन व्यक्तियों के पक्ष में जिले में फर्शी पत्थर की कोई खनि रियायत स्वीकृत नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र क्रमांक - क्यू. दिनांक 09.12.2014 से की गई शिकायत वन विभाग में प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

फोरलेन सड़क पर विद्युत कनेक्शन

1. **(क्र. 29) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेबड़-नयागॉव फोरलेन सड़क पर धार,रतलाम,मन्दसौर,नीमच जिले में सड़क निर्माण कम्पनी द्वारा कब-कब कहॉ-कहॉ विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन दिये गये? जिलेवार जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित क्या समस्त दिये गये आवेदन पर विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिए गए है? यदि हां, तो 1 जनवरी 2011 से प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक स्थल पर कुल कितना विद्युत बिल कम्पनी को दिया गया तथा इनमें कितनी राशि के बिलो का भुगतान बाकी है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन स्थानो पर आवेदन के पश्चात भी विद्युत कनेक्शन नहीं हैं उसके क्या कारण है? ये कनेक्शन कब तक पूर्ण कर दिए जाऐंगे? (घ) आवेदन के पश्चात कितने दिनों में विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) लेबड़- नयागांव फोरलेन सड़क पर धार, रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों में सड़क निर्माण कंपनी द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु दिये गये आवेदनों की जिलेवार दिनांकवार एवं स्थानवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार** है। (ख) जी नहीं, उत्तरांश 'क' में उल्लेखित आवेदनों में से कुल आवेदनों में आवेदक द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने के कारण विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किये जा सके हैं। 01 जनवरी 2011 से जनवरी 2015 तक प्रत्येक कनेक्शन के विरूद्ध दिये गये विद्युत बिल की राशि एवं बकाया राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार** है। (ग) लेबड़- नयागांव फोरलेन सड़क निर्माण करने वाली कंपनियों के द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों में से जनवरी 2015 की स्थिति में 3 आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं जैसे-टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विद्युत संस्थापनाओं की चार्जिंग परमिशन प्रस्तुत करना, कनेक्शन हेतु आवश्यक राशि जमा नहीं करना आदि के कारण कनेक्शन जारी नहीं किये जा सके हैं। उक्त तीनों कनेक्शन आवेदक द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में प्रावधानित अवधि में दिये जा सकेगें, जिस हेतु वर्तमान में समयसीमा बताया जाना संभव नही है। (घ) मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.62 एवं 4.63 के अनुसार प्रावधानित अवधि में विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने का प्रावधान है,

वित्त आयोग के नियमों की अनदेखी

2. **(क्र. 64) श्री मुकेश नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2014-15 तक प्रत्येक वित्त वर्ष में मध्यप्रदेश सरकार को भारत सरकार से केन्द्रीय अनुदान, केन्द्रीय करों में हिस्सा, विशेष सहायता आदि मदों में कुल

कितनी धनराशि वित्त वर्षवार प्राप्त हुई? (ख) क्या यह सही है कि वित्त वर्ष 2014-15 में भारत सरकार ने केन्द्रीय अनुदान, केन्द्रीय करों में हिस्सा, विशेष सहायता, आदि मदों में स्वीकृत धनराशि से कम धनराशि का आवंटन राज्य सरकार को किया है और आवंटित धनराशि को भी समय पर जारी नहीं किया गया है? (ग) भारत सरकार से किस मद में कब-कब कितनी धनराशि प्राप्त हुई? जनवरी 2015 तक की जानकारी देवें? (घ) क्या यह सही है कि राज्य को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्त वर्ष में पूरी धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) तथा (ग) वांछित विवरण निम्नानुसार है :- (रू.करोड़ में)

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
केन्द्रीय अनुदान	9076.55	9928.77	12040.20	11776.82	वित्त वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे पूर्ण होने शेष है।
केन्द्रीय करों में हिस्सा	15638.51	18219.14	20805.16	22715.27	वित्त वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे पूर्ण होने शेष है।

(ख) जी नही। केन्द्रीय अनुदान, केन्द्रीय योजनाओं के स्वरूप एवं क्रियान्वयन पर तथा केन्द्रीय करों में हिस्सा, केन्द्रीय करों के संग्रहण पर आधारित है। इन मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र द्वारा कम धन राशि के आबंटन की स्थिति नही रही है। केन्द्रीय करों में हिस्सा नियत तिथि पर प्राप्त हुआ है जबकि केन्द्रीय अनुदान के लिये नियत तिथि नही होती है। (घ) जी नही। 14 वे वित्त आयोग की अनुशंसायें 01/04/2015 से लागू होगी, अतः प्रश्न उपस्थित नही होता।

<u>विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक</u>

3. **(क्र. 65) श्री मुकेश नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 12.05.2014 में उल्लेखित सन्दर्भित पत्रों तथा निर्देशों के पालन में प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग द्वारा कौन-कौन से पद की पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2012-2013, 2014 में वर्ष में दो बार आयोजित नही की गई? तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (ख) शासन के उक्त ज्ञाप के पैरा-4 के पालन में प्रमुख सचिव ने कब-कब समीक्षा की और जिन पदों की डी.पी.सी नही की गई थी उसके संबंध में प्रमुख अभियंता/संबंधित अधिकारी का निर्देश जारी क्यों नही किये गये हैं? यदि किये गये तो प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रमुख अभियंता ने ज्ञाप के पैरा-7 में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष में दो बार निर्धारित प्रारूप में जानकारी भेजी? यदि नहीं भेजी तो उसका

क्या कारण है? (घ) प्रमुख अभियंता द्वारा शासन के उक्त परिपत्र के पालन में डी.पी.सी उक्त अवधि में नहीं की गई, इसे संज्ञान में लेकर कार्यवाही क्यों नही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) से (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। वर्षभर की रिक्तियों के लिए एवं डीपीसी में पदोन्नति हेतु चयन अनुशंसा होने से दूसरी बार डीपीसी आयोजित करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट- "बाईस "

बिजली के अवास्तविक बिलों के वास्तविक भुगतान पर जांच व कार्यवाही

4. **(क्र. 157) श्री मोती कश्यप :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कटनी के वि.स.क्षे. बड़वारा के विकासखण्डों में किन प्रकार के कितने विद्युत उपभोक्ता हैं? (ख) क्या प्रश्नागत उपभोक्ताओं को माह नवम्बर 2013 से जनवरी 2014 में कितनी राशि के देयक भेजे गये हैं और उनसे कितनी राशि का भुगतान कराया गया है तथा किन कारणों से कितनी राशि छोड़ी गई है? (ग) क्या मीटररीडिंग और देयक वसूली का दायित्व प्रश्नांश-"क" क्षेत्र में कब से किनका है और किनके द्वारा समयबद्ध मीटररीडिंग नहीं की जा रही है? (घ) क्या यह सत्य है कि मीटररीडरों द्वारा प्रतिमाह मीटररीडिंग न करने से शासन की बदनामी, कंपनी के नियमित कार्य में व्यवधान एवं कंपनी व उपभोक्ता के श्रम और समय की अपूर्णनीय क्षति हो रही है? (ड.) क्या प्रश्नांश-घ के जिम्मेदार मीटररीडरों व कंपनी के अधिकारियों की जांच कर कार्यवाही की जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं का श्रेणीवार एवं विकास खण्डवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या					
		घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि	जल प्रदाय	सड़कबत्ती
1	बड़वारा	10843	548	218	4999	38	11
2	ढीमरखेड़ा	19007	420	216	2799	30	02
योग		**29850**	**968**	**434**	**7798**	**68**	**13**

(ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उपभोक्ताओं को माह नवम्बर 2013 से जनवरी 2014 तक की अवधि में दिये गये विद्युत देयक व उनसे प्राप्त भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	**विकासखण्ड का नाम**	**देयक की राशि (रू.लाख में)**	**प्राप्त राशि (रू. लाख में)**

1	बड़वारा	375.56	143.27
2	ढीमरखेड़ा	207.89	166.84
योग		**583.45**	**310.11**

उक्त जारी देयकों में से उपभोक्ताओं की कोई भी राशि नहीं छोड़ी गई है, अपितु शेष बकाया राशि का भुगतान संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार सरचार्ज की राशि के साथ किया जाना है। (ग) एवं (घ) बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में मीटर रीडिंग का कार्य मीटर रीडरों के माध्यम से कराया जा रहा है एवं विद्युत देयकों की वसूली का कार्य वितरण कंपनी के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। मीटर रीडरों के द्वारा समयबद्ध रीडिंग ली जा रही है तथापि जिन मीटर रीडरों द्वारा कार्य में लापरवाही किया जाना पाया जाता है, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। (ड.) उत्तरांश (ग) एवं (घ) में दर्शाए अनुसार मीटर रीडरों एवं विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा क्रमशः मीटर रीडिंग एवं विद्युत देयकों की वसूली का कार्य किया जाता है।यदि उक्त कार्य में लापरवाही पायी जाती है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है, अतः अन्य कोई जाँच किया जाना आवश्यक नहीं है।

<u>सल्हना व पहरूआ जलाशय की अर्जित भूमि का मुआवजा</u>

5. **(क्र. 158) श्री मोती कश्यप :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 14.03.2013 के तारांकित प्रश्न संख्या- 1 (क्र.2760) की उद्भूत चर्चा में मा. विभागीय मंत्री जी के द्वारा सल्हना जलाशय के प्रभावित कृषकों को मुआवजा प्रदान किये जाने का आश्वासन प्रदान किया है, क्या तदनुसार किन्हीं कृषकों को वितरित कर दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) जलाशय के निर्माण की भौतिक प्रगति क्या है और कब तक पूर्ण कर कृषकों को सिचांई का लाभ प्राप्त हो जावेगा? (ग) क्या यह सत्य है कि वि.स.क्षे. बड़वारा की तहसील ढीमरखेड़ा में पहरूआ जलाशय के निर्माण हेतु किन्हीं कृषकों की भूमि का अर्जन किया गया है और किन कृषकों की भूमि में कूप, नलकूप, भवन और वृक्ष आदि पये जाने पर उन्हें किन दरों व आधारों पर कितना मुआवजा प्रदान किया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) से संबंधित प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 17-10-2012 और उसके पूर्व व पश्चात कलेक्टर कटनी को किन्हीं प्रभावित कृषकों के किन्हीं दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर किये गये लेखों में किनके द्वारा क्या परीक्षण किया गया है? (ड.) क्या प्रश्नांश- (ग) (घ) का निराकरण कर सिंचित भूमि का मुआवजा कब तक प्रदान कर दिया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) से (ड) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा समय पर संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया जाना</u>

6. **(क्र. 305) श्री विश्वास सारंग :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के 28 अधिकारियों ने 1जनवरी,2014 से प्रश्न दिनांक तक अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जमा नहीं किया है? यदि हैं तो नाम/पदनाम सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत समयसीमा के भीतर संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किए जाने पर नियमानुसार क्या-क्या कार्रवाई किए जाने के केन्द्र सरकार के आदेश हैं? जानकारी दें? आदेश की एक प्रति दें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु कब तक केन्द्र सरकार का अनुशंसा की जायेगी समयसीमा दें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) प्रदेश में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों ने 01 जनवरी 2014 से उत्तर दिनांक तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया गया है, के नाम एवं पदनाम की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" और "ब"** पर है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "स" और "द"** पर है। (ख) समय सीमा में अचल संपत्ति पत्रक जमा न किए जाने पर पदोन्नति और एम्पैनलमैन्ट के मामलों के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस जारी न किए जाने के केन्द्र सरकार के निर्देश हैं। प्रतियां **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ई"** पर है। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट- "तेईस"

भोजमुक्त वि.विद्यालयों में प्राप्त शिकायतें की जांच एवं कार्यवाही

7. **(क्र. 369) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष, 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित भोज मुक्त वि.वि. में पदस्थ अधिकारियों, प्राध्यापकों, निदेशकों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? इनमें कौन-कौन सी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय एवं आर्थिक अपराध अनुसंधान कार्यालय से प्राप्त हुई? (ख) उपरोक्त प्राप्त शिकायतों में जांच की स्थिति क्या है एवं किस स्तर पर जांच की कार्यवाही प्रचलित है? लंबित रहने का कारण स्पष्ट किया जाय? (ग) लोकायुक्त से प्राप्त शिकायतों से संबंधित अधिकारियों की जांच किन-किन अधिकारियों को सौंपी गई एवं उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये जांच प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है एवं लंबित जांच प्रतिवेदनों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. के जांच में प्रकरणों में कार्यवाही

8. **(क्र. 371) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष, 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू.में जांच प्रचलित होकर प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं? (ख) पंजीबद्ध प्रकरणों में जांच उपरांत किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की गई है? नाम, चालान प्रस्तुत करने का दिनांक एवं विभाग द्वारा इस पर की गई कार्यवाही का विवरण दिया जाय? (ग) क्या यह सही है कि शासन के निर्देशानुसार न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के उपरांत संबंधित दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाता है? उच्च शिक्षा विभाग में ऐसे किन-किन अधिकारियों को निलंबित किया गया एवं ऐसे कितने अधिकारी हैं, जिन्हें निलंबित नहीं किया गया है? उनके नाम एवं कारण बताया जाय?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कार्यवाही

9. **(क्र. 411) श्री सचिन यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खरगोन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शासकीय प्रवास पर विगत पांच वर्षों में कहां-कहां, क्या-क्या घोषणायें की उनमें कितनी पूर्ण हुई और कितने शेष है? शेष के क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित घोषणाओं पर संबंधित विभागवार प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई और कितनी-कितनी बजट राशि संबंधित कार्यों में खर्च की गई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा खरगौन जिले के प्रवास पर विगत पांच वर्षों में 09 स्थानों पर कुल 122 घोषणाऐं की गई है। इनमें 90 घोषणाऐं पूर्ण हो चुकी हैं, 18 प्रगति पर, 02 स्वीकृति होना शेष है एवं 12 घोषणाऐं तकनीकी दृष्टि तथा अन्य कारणों से असाध्य है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

कटनी जिले में करहैया को रीठी जलग्राम घोषित किया जाना

10. **(क्र. 433) श्री कुंवर सौरभ सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हमारा जल हमारा जीवन के अंतर्गत दिनांक 17.01.2015 को कटनी जिले में आयोजित कार्यशाला में क्या करहैया नंबर 1, विकासखण्ड रीठी को जलग्राम घोषित किया गया है? (ख) यदि घोषित किया गया है तो करहैया ग्राम में किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु भरतला जलाशय से सिंचाई हेतु जोड़ा गया है, किंतु करहैया ग्राम तक भरतला जलाशय की नहर कच्ची है, जिससे किसानों को पानी उपलब्ध नहीं होता है? (ग) क्या करहैया ग्राम तक उक्त योजना में पक्की नहर (लाइनिंग) कर पानी दिया जावेगा? समय-सीमा बतायें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी हाँ। (ख) एवं(ग) भरतला जलाशय के रूपांकित क्षेत्र में करहैया ग्राम की भूमि आती है। कच्ची नहरों की लाईनिंग के लिए भारत सरकार की आर.आर.आर. योजना के तहत परियोजना प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना की डी.पी.आर. तैयार नहीं होने से स्वीकृति तथा कार्य के लिए समय सीमा नियत करना संभव नहीं है।

बहोरीबंद वि.स. क्षेत्र में वसुधा जलाशय की स्वीकृति

11. **(क्र. 434) श्री कुंवर सौरभ सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के रीठी जनपद पंचायत के अंतर्गत वसुधा जलाशय ट्रीपल ए.आर. मद में स्वीकृत है? (ख) यदि स्वीकृत है, तो उक्त जलाशय का कार्य कब प्रारंभ कराया जावेगा, जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके? समय सीमा बतायें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी नहीं, प्रश्नाधीन परियोजना प्रथम दृष्ट्या साध्य पाई जाकर डीपीआर बनाने के निर्देश दिनांक 17.09.2012 को दिए गए है। (ख) परियोजना स्वीकृत नहीं होने से प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

विभाग में पदस्थ अधिकारी

12. **(क्र. 572) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आबकारी विभाग में कुल कितने पद अपर आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के स्वीकृत हैं? इन पदों के विरूद्ध किस-किस नाम के अधिकारी किस-किस स्थान पर किस पदनाम के साथ पदस्थ हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित किस नाम/पदनाम की लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू. में विभागीय जांच प्रश्न तिथि तक चल रही है, प्रकरणवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किस-किस पदनाम के कार्यालयों में वित्तीय वर्ष, 2012 से प्रश्नतिथि के मध्य आग लगी? आग लगने से क्या-क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गये? जाग लगने के क्या कारण थे? विभाग द्वारा उक्त प्रकरणों में कब व क्या जांच करवाई? जांच रिपोर्ट एवं निष्कर्षों की जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित पदनामों के एक स्थानों पर कितने वर्ष पदस्थ रहने के क्या नियम विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं? क्या उक्त पदों पर पदस्थापना नियमों के तहत तयशुदा समयावधि में ही हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) पदस्थापना संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार** है। (ख) लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू में विभागीय जॉच की

कार्यवाही नहीं की जाती है। आबकारी आयुक्त कार्यालय में लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू के अनुसंस्थित विचाराधीन प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार** है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में सहायक आबकारी आयुक्त, जिला सतना के कार्यालय में दिनांक 14.05.2014 को आग लगी थी, जिसमें कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं जले है। आग लगने की घटना की जॉच कलेक्टर जिला सतना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई। जॉच रिपोर्ट में शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना से पूरी तरह इंकार नही किया गया है और यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अथवा लापरवाही पूर्वक अथवा धूम्रपान उपरांत कोई ज्वलनशील सामग्री फेंक दी गई हो जिससे आग लगने की घटना घटित हुई। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु भी समिति द्वारा आवश्यक सुझाव जॉच प्रतिवेदन में दिये गये है। (घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका 9.9 अनुसार प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, किन्तु यह प्रावधान बंधनकारी नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

निजी महाविद्यालयों द्वारा छात्रों की कॉशन मनी वापस नहीं करना

13. **(क्र. 573) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भोपाल एवं जबलपुर शहरों के कई तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा लम्बे समय से पास आउट विद्यार्थियों को कॉशन मनी नही दी? उनके द्वारा बार-बार आवेदन करने के बाद भी उनकी कॉशन मनी वापस नहीं दी जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शहरों के तकनीकि महाविद्यालय के 2012-13 तक के पास कितने छात्रों की कॉशन मनी जमा है? संस्थावार / राशिवार जानकारी दें? (ग) कॉशन मनी वापस नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों पर राज्य शासन कब व क्या कार्यवाही करेगा? नियमों का उल्लेख करें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी नहीं। संचालनालय तकनीकी शिक्षा एवं प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति में कॉशन मनी वापिस न किये जाने संबंधी कोई भी शिकायत लंबित नहीं है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) शिकायत प्राप्त होने पर प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल द्वारा कार्यवाही की जाती है।

तालाबो के भौतिक सत्यापन

14. **(क्र. 641) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले के ब्लॉक गुना एवं ब्लॉक बमोरी में वर्ष 2012 से 2014 तक जल संसाधन विभाग द्वारा कितने तालाब, नहरे बनायी या जीर्णोद्धार किया कितने तालाब और नहरे प्रस्तावित है विभिन्न मदो से बनाये गये सभी तालाबों की वर्तमान में भौतिक सत्यापन

मूल्यांकन सहित बन्द या चालू है का विवरण दें? (ख) गुना जिले के केन्द्र शासन एवं राज्य शासन तथा रोजगार गारन्टी योजना एवं अन्य सभी मदो से कौन-कौन से तालाब बनाये कितने जीवित है कितने मृत है क्या सभी तालाब प्रस्तावित प्राक्कलन के अनुसार बनाये थे कि नही ऐसे कितने तालाब है जो फूट गये कब सुधार होगा कारण सहित विवरण दें? (ग) क्या गुना जिले के गुना एवं बमोरी ब्लॉक में वर्ष 2012 से 2014 तक जो तालाब, नहरे विभिन्न मदो से बना है? क्या उनका भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन वरिष्ठ अधिकारियों से कराने का प्रावधान यदि है, तो कब तक करायेगे, क्या मूल्यांकन के बिना भुगतान किया है, अधूरे एवं फूटे तालाबो को पूर्ण कब तक किया जायेगा? जो अनियमितता हुई है उनका दोषी कौन है? (घ) गुना जिले के ब्लॉक बमोरी एवं गुना में कितने नवीन तालाब एवं नहरे स्वीकृति की प्रतीक्षा में पेंडिग है एवं क्या नवीन तालाब, डेम बनाने की कोई योजनाऐ हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) से (ग) गुना जिले में वर्ष 2012 से 2014 तक जल संसाधन विभाग की मैदानी संरचनाओं द्वारा ए.आई.बी.पी. के तहत 6 और रोजगार गारण्टी के तहत 3 तालाबों का निर्माण किया गया है। सभी तालाब स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार बनाए होकर जीवित होना प्रतिवेदित है और कोई तालाब फूटा नहीं है। भौतिक सत्यापन पश्चात् मूल्यांकन करने के उपरान्त ही भुगतान करना प्रतिवेदित है। अतः शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) प्रश्नाधीन क्षेत्र में कोई सिंचाई परियोजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "चौबीस"</u>

<u>म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वि.क.लि. वृत्त गुना में संचालित योजनाओं में अनियमितता</u>

15. **(क्र. 647) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला गुना में म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वि.क.लि. वृत्त गुना में वर्ष 2008 से 2014 तक 1.आर.जी.पी.व्ही. वाय 2. आर.ए.पी.डी.आर.पी. 3. ए.डी.व्ही. 4. के.ए.वाय. 5. ओ.वाय.टी. 6. डिपोजिट राशि 7. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम एवं द्वितीय फेज आदि योजनाओं में हुये कार्यों का विवरण वर्तमान में उनका भौतिक सत्यापन तथा लेखा महा नियंत्रक की अंकेक्षण रिपोर्ट सहित जारकारी दें? (ख) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम एवं द्वितीय फेज के गुना एवं अशोक नगर जिले के कार्य पूर्ण हो गये? यदि हां, तो सी.ए.जी. की अंकेक्षण रिपोर्ट का विवरण दें? यदि नहीं, तो कारण बतायें एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? कब तक कराये जायेंगे? (ग) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के किये गये कार्यों की विद्युत लाईने चोरी हो गई? क्या कार्यवाही की? चोरी की गई लाईनों पर तार या अन्य सामग्री का क्या मूल्य है? कब तक उनको पुनः चालू कराया जायेगा?

भौतिक सत्यापन सहित विवरण दें? (घ) जिला गुना एवं अशोक नगर में वर्ष 2008 से 2014 तक मध्य क्षेत्र वि.वि.क. द्वारा किये गये समस्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य से किये गये खर्चों की राशि वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्तमान में उनका मूल्यांकन रिपोर्ट एवं इन योजनाओं में कौन-कौन से कार्य में अनियमितता हुई है? क्या कार्यवाही की है? कब तक सुधार होगा? कारण सहित विवरण दें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) गुना वृत के गुना एवं अशोकनगर जिलों में वर्ष 2008 से 2014 की अवधि में प्रश्नाधीन उल्लेखित विभिन्न योजनाओं में किये गये कार्यों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार** है। प्रश्नाधीन उल्लेखित आर.जी.पी.व्ही.वाय कोई योजना नहीं है। गुना वृत में अप्रैल-2007 से मार्च-2011 की अवधि के लिए प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा, ऑडिट भवन, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा किये गये अंकेक्षण का अंकेक्षण प्रतिवेदन उनके पत्र दिनांक 17.11.2011 से प्राप्त हुआ है जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार** है। प्रश्नाधीन शेष अवधि की अंकेक्षण कार्यवाही नहीं हुई है। (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गुना एवं अशोकनगर जिलों की योजनाएं 10वीं पंचवर्षीय योजनावधि में स्वीकृत हुई थी तथा इन योजनाओं का कार्य वर्ष 2012-13 में पूर्ण हो गया है। अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति उत्तरांश (क) अनुसार है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नाधीन दोनों जिलों की योजनाओं की स्वीकृति 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी प्राप्त हुई है, जिसका क्रियान्वयन टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत गुना एवं अशोकनगर जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य टर्न-की आधार पर मे.एन.ई.एस.सी.एल. को दिया गया था तथा उक्त जिलों में कार्यों के दौरान विद्युत लाईनें चोरी होने की घटनाएं हुई हैं, जिनकी एफ.आई.आर. उक्त कंपनी द्वारा संबंधित थानों में की गई। अनुबंध के अनुसार कार्य के दौरान चोरी हुई सामग्री टर्न-की ठेकेदार एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय पर पुर्नस्थापित कर कार्य का हस्तान्तरण वितरण कंपनी को किया गया तथा वर्तमान में योजना के तहत् स्थापित अधोसंरचना से विद्युत प्रदाय चालू है। (घ) गुना एवं अशोकनगर जिलों में वर्ष 2008 से 2014 की अवधि में कराए गए कार्यों के प्रावधान उपलब्धि तथा व्यय का समेकित विवरण जिलेवार एवं योजनावार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ एवं ब अनुसार** है। टर्न-की ठेके के कार्यों का थर्ड पार्टी से मूल्यांकन कराया गया है तथा विभागीय कार्यों का मूल्यांकन विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार किया गया है। किसी कार्य में अनियमितता दर्ज नहीं हुई है।

म.प्र. की सभी विद्युत वितरण कंपनियों के कार्यों में अनियमितता

16. **(क्र. 648) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में म.प्र. विद्युत मण्डल के बाद विद्युत वितरण करने के लिए बनी मध्यप्रदेश

विद्युत वितरण कंपनी, पूर्वी क्षेत्र वितरण कंपनी एवं पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कंपनी किस नियम से किस दिनांक से प्रभावशाली है उनके गठन से वर्ष 2014 तक का अंकेक्षण रिपोर्ट क्या लेखा महानियंत्रक से करायी है? यदि नहीं करायी है, तो कारण बताये कब तक करायेंगे? (ख) म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के कौन-कौन से विद्युत गृहों से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षो में कितने मिलियन यूनिट विद्युत क्रय की गई है म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा किये गये विद्युत उत्पादन एवं एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किये गये विद्युत क्रय का गत तीन वर्षो का विवरण प्रस्तुत करें? (ग) क्या म.प्र. में विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा विद्युत उत्पादन होता है, तो उनके गत तीन वर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें? (घ) म.प्र. में केंद्र शासन की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य कौन-कौन से जिले में हुआ है? उनका वर्तमान में भौतिक सत्यापन सहित लेखा महानियंत्रक के अंकेक्षण की रिपोर्ट का विवरण सहित जानकारी दें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन के उपरांत प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था के लिए, राज्य शासन के आदेश क्रमांक 555/आरएफ/4/13/2001, दिनांक 01 जुलाई 2002 के तहत् तीन विद्युत वितरण कंपनियों यथा-मध्य, पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी गजट अधिसूचना क्रमांक 266, दिनांक 31.05.2005 के तहत् दिनांक 01 जून 2005 से उक्त तीनों वितरण कंपनियों ने स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ किया है। जी हाँ, प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के गठन के पश्चात् वर्ष 2005-06 से वर्ष 2013-14 तक प्रत्येक वर्ष कंपनियों के वार्षिक लेखों का वैधानिक अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा किया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। (ख) म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप एवं जल विद्युतगृहों की विद्युतग्रहवार स्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों में क्रय की गई विद्युत यूनिट का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा विगत तीन वर्षों में उत्पादित विद्युत यूनिट का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। (ग) मध्य प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है। (घ) मध्य प्रदेश में जिन जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं जिन जिलों में कार्य प्रगति पर है, उनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार** है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में किये गये कार्यों एवं किये जा रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन संबंधित क्षेत्र के नोडल अधिकारी एवं वितरण कंपनी द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा किया जाता है। महालेखाकार द्वारा मध्य प्रदेश में लागू राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संपादन का अंकेक्षण माह अगस्त

2012 से दिसंबर 2012 के मध्य कराया गया था जिसमें उक्त योजना के वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक के कियान्वयन का आंकलन किया गया था। उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 389 दिनांक 15.01.2013 द्वारा प्रेषित किया गया था। प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई' अनुसार** है। उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन में कतिपय संशोधन पुनः महालेखाकार कार्यालय द्वारा उनके पत्र क्रमांक 506 दिनांक 25.03.2013 द्वारा प्रेषित किये गये हैं। उक्त प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'फ'** अनुसार है।

न.धा.वि. विभाग में पदस्थ दै.वे.भो. कर्मचारी

17. **(क्र. 653) श्री आशीष गोविंद शर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) न.घा.वि.वि. में ऐसे कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है जो अपने गृह जिले से अन्य जिलों में पदस्थ हैं? (ख) क्या शासन द्वारा न.घा.वि.वि. में पदस्थ दै.वे.भो.कर्म. के लिये तबादला नीति बनाई है? अगर नहीं तो इनकी तबादला नीति बनाई जावेगी अथवा नहीं स्पष्ट करें? (ग) न.घा.वि.वि. में जिन दै.वे.भो.कर्म. की पदस्थापना की गई थी, क्या उसी जिले में कर्मचारी कार्यरत है? (घ) न.घा.वि.वि. बड़वानी जिले में पदस्थ दै.वे.भो. कर्मचारी पूर्व में किन-किन स्थानों (कार्यालय) में पदस्थ रहे हैं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत 1054 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपने गृह जिले से अन्य जिलों में पदस्थ हैं। (ख) जी नहीं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए तबादला नीति बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) जी नहीं। 175 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की पदस्थापना में परिवर्तन हुआ है। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट – ''पच्चीस''

एक ही स्थान पर लम्बे समय से पदस्थी

18. **(क्र. 696) श्री अनिल फिरोजिया :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में खनिज विभाग में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से पदस्थ हैं? (ख) लम्बे समय से एक ही स्थान पर पदस्थी का क्या कारण है? (ग) एक ही स्थान पर पदस्थी के विभाग में क्या नियम हैं? (घ) क्या शासन वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को अन्यत्र पदस्थ करेगा? यदि हां तो कब तक?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन जिले के कलेक्टर कार्यालय के खनि शाखा में वर्तमान में पदस्थ खनिज साधन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी निम्नानुसार हैं :-

क्र.	नाम / पदनाम	पदस्थापना तिथि
1.	श्री धर्मेन्द्र चौहान, खनि अधिकारी	18.07.2011
2.	श्री बसंत पाटिल, खनि निरीक्षक	09.06.2014
3.	कु. खुशबु वर्मा, खनि निरीक्षक	30.05.2014
4.	कु. नीतु तावड़े, सहायक मानचित्रकार	19.12.2011
5.	श्रीमती इशरत खान, सहायक ग्रेड-3	06.05.1999
6.	श्रीमती नीतु भार्गव, सहायक ग्रेड-3	04.05.2013
7.	श्री नारायण राव, भृत्य	09.07.1990

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय जारी स्थानांतरण नीति में 3 वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ शासकीय सेवक का स्थानांतरण किया जाना अनिवार्य नहीं है। प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार विभाग द्वारा स्थानांतरण किये जाते हैं। (ग) खनिज साधन विभाग में पृथक से कोई नियम पदस्थापना हेतु प्रभावशील नहीं है। विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति का पालन किया जाता है। (घ) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के प्रकाश में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर कार्यवाही

19. **(क्र. 769) श्री रामनिवास रावत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर की जाने वाली घोषणाओं को अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा म.प्र. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जाता है? (ख) यदि हां, तो दिनांक 9 अप्रैल 2013 को मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा राजधानी भोपाल में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में कौन-कौन सी घोषणाऐं की थीं? इन घोषणाओं की जानकारी कलेक्टर भोपाल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को कब भेजी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार घोषणाओं में से अभी तक किन-किन घोषणाओं का क्रियान्वयन पूर्ण किया जा चुका है? कौन सी घोषणाओं का क्रियान्वयन किस कारण से पूर्ण नहीं किया जा सका है? (घ) क्या यह सही है कि मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त घोषणा की पूर्ति हेतु वि.क्षे. ब्यावरा (राजगढ़) के तत्कालीन विधायक महोदय ने दिनांक 25.05.2013 को मान. मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लेखानुसार शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी नहीं। माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा समय-समय पर की जाने वाली घोषणाओं को कलेक्टर कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, वल्लभ भवन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। (ख) दिनांक 09.04.2013 को विट्टन मार्केट दशहरा मैदान भोपाल में धोबी रजक समाज की मांग पर समाज के भवन निर्माण कार्य के लिये रू. 5.00 लाख की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। उक्त घोषणा को

कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक 63/एससी/1/2015, दिनांक 11.02.2015 मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया गया है। (ग) संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट –"छब्बीस"

मुख्यमंत्री जी की ग्राम बेड़दा जिला रतलाम में की गई घोषणाऐं

20. **(क्र. 785) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि दिनांक 10.04.2010 को माननीय मुख्यमंत्री ने रतलाम जिले के ग्राम बेड़दा में रात्रि विश्राम किया था व पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जल आवंटन योजना बेड़दा, स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर व स्टॉप की नियुक्ति, जम्बुडिया तालाब का पुर्ननिर्माण सहित कई घोषणा की थी? (ख) क्या उक्त घोषणाए पूर्ण कर दी गई है? यदि हां, तो कब यदि नहीं तो क्यों? (ग) उक्त घोषणाएं पूर्ण नहीं करने के क्या कारण रहे? उक्त घोषणाएं कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी हॉ। दिनांक 10.04.2010 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम बेडदा में रात्रि विश्राम किया था। संधारित अभिलेख अनुसार ग्राम बेडदा में दिनांक 10.04.2010 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उक्त तीनों घोषणाऐं क्रमश: दिनांक 09.07.10, 06.06.11, एवं 06.06.2011 को पूर्ण हो चुकी है। (ग) प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट –"सत्ताईस"

बंगला चौराहा विक्रमपुर जिला अशोकनगर में विद्युत केन्द्रों की स्वीकृति

21. **(क्र. 786) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंगला चौराहा व विक्रमपुर, जिला अशोकनगर में विद्युत केन्द्र की स्वीकृति किस तिथि को व किस वर्ष में हुई तथा शिलान्यास किस तिथि व वर्ष में हुआ व कार्य कब प्रारंभ हुआ? अभी क्या स्थिति है व कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी? (ख) विक्रमपुर जिला अशोकनगर में विद्युत केन्द्र वनविभाग की चौकी के पास बनाने के बारे में प्रश्नकर्ता ने कब-कब पत्र लिखे व क्या कार्यवाही हुई? विक्रमपुर विद्युत केन्द्र का शिलान्यास कब हुआ तथा वनविभाग चौकी के पास कब तक कार्य प्रारंभ व पूरा होगा? (ग) अशोकनगर जिले में कौन-कौन से ग्रामो में बिजली नही हैं व कब तक लग जायगी, ग्रामों का नाम दें? (घ) अशोकनगर जिले में कहां-कहां खम्भे हैं लेकिन तार नहीं है या डी.पी. नहीं है व कब तक लग जायेंगे?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अशोकनगर जिले हेतु स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् बंगला चौराहा तथा विक्रमपुर में नवीन 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्रों की स्थापना के कार्य की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से दिनांक 21.08.2013 को प्राप्त हुई थी। उक्त दोनों उपकेन्द्रों के कार्य हेतु शिलान्यास दिनांक 14.02.2014 को किया गया था। अशोकनगर जिले की उक्त स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास हैं। (ख) जिला अशोकनगर में ग्राम विक्रमपुर के स्थान पर वन विभाग की चौकी के पास प्रस्तावित 33/11 के.व्ही.विद्युत उपकेन्द्र बनाए जाने के संबंध में माननीय विधायक महोदय का पत्र दिनांक 31.12.2014 प्राप्त हुआ था। ग्राम विक्रमपुर में उपकेन्द्र का शिलान्यास दिनांक 14.02.2014 को किया गया है तथा उपकेन्द्र हेतु ग्राम विक्रमपुर में शासकीय भूमि भी आवंटित की जा चुकी है तथापि माननीय विधायक महोदय के प्रस्ताव अनुसार तकनीकी परीक्षण उपरांत उपकेन्द्र हेतु स्थल परिवर्तन पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा। (ग) अशोकनगर जिले के सभी ग्राम विद्युतीकृत है, तथापि जनगणना पुस्तिका में मजरों/टोलों/अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बस्तियों का उल्लेख नहीं होने से प्रश्नाधीन चाही गई प्रमाणिक जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (घ) अशोकनगर जिले के ऐसे ग्राम जिनमें खम्बे लगे हैं किन्तु तार/ट्रांसफार्मर नहीं हैं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। उक्त ग्रामों में विद्युत बिलों की राशि बकाया होने के कारण तार नहीं लगाए गए हैं। उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा करने पर इन ग्रामों में खम्बों पर तार/ट्रांसफार्मर आदि स्थापित कर दिये जायेंगे।

<u>परिशिष्ट –"अट्ठाईस"</u>

<u>मुंगावली जिला अशोकनगर की सिंचाई समस्याओं के बारे में</u>

22. **(क्र. 787) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत पांच वर्ष में कितनी सिंचाई योजनायें ऐसी हैं जिनका सर्वे कराया जाकर माननीय मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री या मंत्री जी द्वारा या पूर्व विधायक द्वारा भूमि पूजन किया जा चुका है? योजनाओं के नाम व भूमि पूजन की दिनांक बताये? (ख) सिंचाई योजनाओं में से कौन-कौन सी योजना अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई तथा कौन-कौन सी अधूरी हैं तथा कौन-कैन सी पूर्ण हो गई है? (ग) कौन सी सिंचाई योजनाओं का सर्वे हो चुका है, या सर्वे होने वाला है व भविष्य की योजना में है व सर्वे के बाद कौन-कौन सी निरस्त हुई है? (घ) इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मंत्री जी व विभाग को सिंचाई समस्याओं के बारे में दिये गये पत्रों का विवरण देते हुए बताए कि उन पर क्या कार्यवाही हुई? (ड) साजनमहु तालाब की नहर के बारे में दिये गये पत्रों में प्रश्नकर्ता की मांगों के विवरण देते हुए बताए कि अंतिम द्वार तक नहर कब जायेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) से (ड) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लोकायुक्त संगठन संभागीय सतर्कता समिति उज्जैन का प्रकरण

23. **(क्र. 788) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परि.अता. प्रश्न संख्या 5 (क्र.76) दिनांक 09.07.2013 के संदर्भ में कार्यालय लोकायुक्त संगठन संभागीय सतर्कता समिति उज्जैन, संभाग उज्जैन के जांच प्रकरण क्र.83/2007 के उत्तर (ख) में दिनांक 14.01.2008 को संगठन में प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदकों को सूचना पत्र जारी कर माननीय उपलोकायुक्त महोदय के समक्ष अपनी स्थिति प्रकट करने हेतु सुनवाई का अवसर दिया गया था व अनावेदकों की तरफ से प्राप्त उत्तरों का परीक्षण कर पॉचों आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से माननीय लोकायुक्त महोदय के आदेश दिनांक 07.11.2000 को प्रकरण नस्तिबद्ध किया गया? (ख) उक्त प्रकरण में अनावेदकों द्वारा दिये गये उत्तर एवं प्रश्न दिनांक तक की गई समस्त कार्यवाही की प्रतिलिपियॉ उपलब्ध करानें के साथ ही किन कारणों से आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, का भी विवरण देने का कष्ट करें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी हां। माननीय उप लोकायुक्त महोदय के आदेश दिनांक 07/11/2008 द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध (समाप्त) किया गया है। (ख) अप्रमाणित प्रकरणों हेतु निर्धारित संरक्षण अवधि 5 वर्ष समाप्त हो जाने के कारण संबंधित रिकोर्ड दिनांक 30/01/2014 को विनिष्ट किया जा चुका है। इसलिये प्रतिलिपियां उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

विभागीय भविष्य निधि [DPF] लेखा संधारित करने विषयक

24. **(क्र. 805) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर जिले में कार्यरत शासकीय विभागों में विभाग स्तर पर किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये विभागीय भविष्य निधि [DPF] लेखा संधारित किये गये हैं? अगर हां तो जानकारी विभागवार एवं कर्मचारियों की श्रेणीवार कितने DPF खाते संधारित हैं? (ख) वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-5-1/2008/नियम/चार दिनांक 23.12.08 के अनुसार शाजापुर जिले में किन-किन आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा विभागीय भविष्य निधि (DPF) खाते में जमा राशि पर वर्ष में देय ब्याज की गणना कर इसकी सूचना वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् महालेखाकार म.प्र. को दी है? (ग) अगर हां तो किस-किस विभाग द्वारा दी गई? अगर नहीं तो क्या कारण हैं? (घ) शाजापुर जिले में किस-किस विभाग द्वारा विभागीय भविष्य निधि (DPF) लेखा पर्ची वर्ष 31.03.14 अन्त की ब्याज गणना कर संबंधित कर्मचारियों को प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) शाजापुर जिले में कुल 30 विभागों द्वारा तृतीय श्रेणी के कुल 63 एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों के कुल 1165 विभागीय भविष्य निधि लेखा संधारित किये जाते है जिसकी विभागवार एवं कर्मचारियों की श्रेणी वार सूची **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है।" (ख) शाजापुर जिले में कुल 84 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् महालेखाकार ग्वालियर को सूचना दी गई है। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की सूची **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार** है। (ग) कुल 84 आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार ग्वालियर को सूचना दी गई है तथा कुल 17 आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार ग्वालियर को सूचना नहीं दी गई है जिसका कारण विभागवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार** है। (घ) शाजापुर जिले में समस्त विभागों द्वारा विभागीय भविष्य निधि लेखा पर्ची वर्ष 31.03.2014 अन्त की ब्याज की गणना कर संबंधित शासकीय सेवकों को प्रदान की गई है।

जानकारी प्रदाय करने बावत्

25. **(क्र. 821) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निदेशक एवं प्रोफेसर कैमिकल साइंस म.प्र. भोज (मु.) वि.वि. भोपाल के विरूद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इस शिकायतों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रति देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या समयावधि में जांच पूरी कर दोषी अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता सदस्य को अवगत कराएंगे? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) केवल एक शिकायत। (ख) शिकायत की सत्यता की जांच हेतु संबंधित संस्था/व्यक्ति को पत्र जारी किया गया है। (ग) शिकायत के सत्यापन के पश्चात् प्राप्त साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा निर्धारित की जाना संभव नहीं है।

जानकारी का प्रदाय

26. **(क्र. 822) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में वर्ष 2011-12 से अब तक में कितनी प्रासपेक्टिव लीज एवं कितनी क्वैरी लीज स्वीकृत हुई है? नाम, पता, खदान का रकवा एवं खदान क्षेत्र के विवरण सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त कार्य हेतु कितने आवेदन अभी तक लंबित हैं? नाम एवं पते के विवरण के साथ क्रमानुसार बतावें? (ग) क्या प्रासपेक्टिव लीज हेतु कोई नई गाइड लाईन केन्द्र अथवा राज्य सरकार से जारी हुई है? यदि हां, तो जारी गाइड लाईन की प्रति देवें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) रीवा जिले में प्रश्नाधीन अवधि से अब तक 09 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं 40 उत्खनिपट्टे स्वीकृत किए गए हैं। प्रश्नांश की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** में दर्शित है। (ख) उत्खनिपट्टे के 100 आवेदन वर्तमान में लंबित हैं। प्रश्नांश की शेष जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** में दर्शित है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश 2015 के लागू होने के पश्चात पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के कोई भी आवेदन लंबित नहीं हैं। (ग) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु कोई नई गाईड लाईन केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

ऊर्जा विभाग द्वारा उज्जैन सम्भाग में भूमिगत विद्युत केबल

27. **(क्र. 846) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी उज्जैन संभाग के किन-किन शहरों में भूमिगत विद्युत केबल डालने का कार्य प्रस्तावित है? शहरों के नाम सहित जानकारी दें? (ख) क्या उक्त शहरों में भूमिगत केबल डालने हेतु सर्वे किया जा चुका है? यदि हाँ तो सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत करें? (ग) क्या यह सही है कि शहरो के सौन्दर्यीकरण एवं छोटी-छोटी गलियों में हो रही दुर्घटना के दृष्टिगत, विद्युत चोरी रोकने के लिए इलेक्ट्री सिटी रूल्स 2005 के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार केबल भूमिगत डाली जा सकती है? यदि हाँ तो उज्जैन संभाग के शहरो में भूमिगत केबल हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में भूमिगत केबल डालने के लिए किस-किस शहर में किस-किस ठेकेदार को किस-किस दर से कितना-कितना कार्य दिया गया?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के अंतर्गत उज्जैन राजस्व संभाग के किसी भी शहर में भूमिगत विद्युत केबल डालने का कार्य प्रस्तावित नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। (ग) प्रश्न में उल्लेखित इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं हैं तथापि आवश्यकतानुसार भूमिगत केबल डाली जा सकती हैं। उज्जैन राजस्व संभाग के शहरों में भूमिगत केबल डालने हेतु कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं हैं। (घ) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

मिण्डाजी त्रिवेणी संगम को पर्यटन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना

28. **(क्र. 866) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्रा.पं. गोपीशंकर, गोंपीधर्मसी के मध्य स्थित प्राचीनतम त्रिवेणी संगम होकर हजारों लाखो धर्मालुओ का आना जाना लगा रहता है? (ख)

यदि हां तो, क्या उपरोक्त प्राचीनतम स्थल पुरातत्व विभाग एवं पर्यटन तथा संस्कृति विभाग की प्राथमिकताओं में सम्मिलित होकर जनसुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु कार्य योजना बना रहा है? (ग) यदि हां, तो क्या सिंहस्थ 2016 की महत्वकांक्षी कार्य योजना में मिण्डाजी स्थित प्राचीनतम मनकामनेश्वर महादेव त्रिवेणी संगम को भी इसमें सम्मिलित किया गया है? (घ) यदि हां, तो शासन / विभाग द्वारा प्राचीनतम स्थल के जीर्णोद्धार कायाकल्प कर घाट निर्माण, सड़क निर्माण, विद्युतीकरण, सुविधाघर इत्यादि संबंधी कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो अवगत करायें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी हॉ। (ख) वर्तमान में प्राचीन स्थल के विकास हेतु पर्यटन विभाग में जनसुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु कार्य योजना विचाराधीन नहीं है। (ग) उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मलेनी एवं चंबल नदी पर सीरीज ऑफ स्टाप डेम का निर्माण

29. **(क्र. 867) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा प्रदेश भर में जल संरक्षण एवं सिंचाई सुविधाएं बढ़ाये जाने हेतु कई कार्य किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या रतलाम जिला अन्तर्गत जावरा विधान सभा क्षेत्र से विगत कई वर्षों से मलेनी नदी एवं चंबल नदी पर श्रृंखलाबद्ध सीरीज ऑफ स्टापडेम बनाये जाने की मांग की जा रही है? (ग) क्या विगत वर्षों में जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के माध्यम से जिला पंचायत अन्तर्गत किसी योजना के माध्यम से प्रस्ताव तैयार किये गये थे? (घ) यदि हां, तो शासन/विभाग द्वारा क्षेत्र की महती आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए क्या किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण एवं संधारण कर सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाना एक सतत प्रक्रिया है। (ख) से (घ) कलेक्टर, रतलाम द्वारा दिनांक 31-05-2011 को केन्द्रीय भू जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को 16 सिरीज ऑफ स्टाप डेम बनाने का प्रस्ताव भेजा जाना प्रतिवेदित है। जल संसाधन विभाग द्वारा जावरा विधान सभा क्षेत्र में 13 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गयी है जिनका रूपांकित सैच्य क्षेत्र 5408 हेक्टर है।

राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना का क्रियान्वयन

30. **(क्र. 874) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया है? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना हेतु किए गए सर्वे में

सम्मिलित किए गए मजरों टोलों तथा नई आबादी की सूची उपलब्ध करावें? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्राम पंचायतों में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना का कार्य वर्तमान में चल रहा है तथा किन पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुका है? सूची उपलबध करावें? (घ) राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना का कार्य जिन मजरे टोले तथा नई आबादी में किया जा रहा है उसके पूर्ण होने में विलम्ब का कारण स्पष्ट करें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) मध्य प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हुआ था। (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किये गये सर्वे में सम्मिलित किये गये 41 मजरों-टोलों तथा नई आबादी की सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की 20 ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कार्य वर्तमान में चल रहा हैं, एक ग्राम पंचायत यथा साखतली में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एक अन्य ग्राम पंचायत रणायरा के विद्युतीकरण हेतु शेष एक ग्राम का कार्य अप्रारंभ है। ग्राम पंचायतवार सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। (घ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मजरों-टोलों तथा नई आबादी क्षेत्रों के कार्य में विलंब के मुख्य कारण राईट ऑफ वे की समस्या अत्यधिक वर्षा, खेतों में फसल खड़ी होना तथा ठेकेदार द्वारा कार्य में विलम्ब इत्यादि हैं।

<u>परिशिष्ट –"उनतीस"</u>

<u>निजी आई.टी.आई. कॉलेज की स्थापना के</u> मापदण्ड

31. **(क्र. 875) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी आईटीआई कॉलेज स्थापित करने के लिए शासन द्वारा क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं? (ख) कोर्स पूर्ण करने हेतु विषयवार एक छात्र के लिए निजी आई टी आई संस्थाओं को शुल्क प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा क्या राशि निर्धारित की गई है? (ग) शासन द्वारा निजी आई टी आई कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों में से किन छात्रों को छात्रवृत्ति की पात्रता है तथा कितनी-कितनी राशि छात्रवृत्ति में प्रदान की जाती है? (घ) आई टी आई कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के मूल दस्तावेज कॉलेज प्रबंधन द्वारा कितने समय के लिए रखने का प्रावधान है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। (ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आई टी आई में 10वीं उत्तीर्ण

अर्हता वाले निर्धारित पाठयक्रमों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत गैर छात्रावासी छात्र को रूपये 230/- एवं छात्रावासी को रूपये 380/- प्रतिमाह की दर से निर्वाह भत्ता एवं शासन द्वारा निर्धारित अनिवार्य शुल्कों की छात्रवृत्ति के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत रूपये 2.50 लाख वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों को ही लाभ दिया जाता है। पिछडा वर्ग के आई टी आई में 10वीं उत्तीर्ण अर्हता वाले निर्धारित पाठयक्रमों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति संशोधित नियम 2013 के अनुसार शासकीय आई टी आई में देय वार्षिक फीस की राशि रूपये 1000/- के मान से छात्रवृत्ति तथा नियम 5.1 अनुसार अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है। नि:शक्तजनों प्रशिक्षणार्थियों को राशि रूपये 100/- माह की दर से 10 माह के लिये रूपये 1000/- की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। (घ) मूल दस्तावेज रखने हेतु नियम नहीं है। केवल प्रवेश के समय मूल दस्तावेज सत्यापन के लिये बुलाये जाते है।

<u>परिशिष्ट –" तीस"</u>

<u>उच्च शिक्षा विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की सुविधा</u>

32. **(क्र. 897) श्रीमती ममता मीना :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उच्च शिक्षा विकास हेतु म.प्र. शासन ने भोपाल शहर को ही उच्च शिक्षा के प्रथक उत्कृष्टता महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केन्द्र की सुविधा दी प्रदेश के अन्य महानगरों को क्यों नहीं कारण सहित बतायें? (ख) म.प्र. के महानगर इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, गुना भी बड़े जिले एवं क्षेत्र है वहां विद्यार्थियों को भोपाल की तर्ज पर उत्कृष्टता महाविद्यालय एवं उत्कृष्ठता केन्द्र प्राप्त होंगे या नहीं कारण सहित विवरण दें? (ग) क्या यह सही है कि म.प्र. के सभी महानगरों के कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिवर्ष भारी तादाद में बढ़ती जा रही है शासन अधोसंरचना हेतु कला, विज्ञान, वाणिज्य के मेजर विषयों के पद शिक्षक क्यों नहीं बढा रहा है क्या इन सभी विषयों को तकनीकी की विषय के साथ बढ़ावा मिलेगा या नहीं विभाग की कोई नीति निर्धारित है या नहीं कारण सहित विवरण दें? (घ) म.प्र. में उच्च शिक्षा विकास में भोपाल के अलावा अन्य महानगरों एवं बड़े शहरों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है कारण सहित विवरण दें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हाँ। अन्य 08 जगहों पर उच्च शिक्षा उत्कृष्टता केन्द्र संचालित है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः गुना में उत्कृष्टता केन्द्र खोले जाने में कठिनाई है। प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। जी नहीं। विभाग की कोई नीति निर्धारित नहीं है शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता है।

परिशिष्ट –''इकतीस''

देशी एवं विदेशी मदिरा की टैक्स चोरी

33. **(क्र. 902) श्रीमती ममता मीना :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले के देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों तथा उन दुकानों के लायसेन्सधारियों की जानकारी दें और क्या देशी एवं विदेशी शराब एक ही दुकान से विक्रय की जा सकती है? यदि नहीं, तो जो विक्रय किया जा रहा है उसको रोकने के उपाय क्या है? (ख) क्या गुना जिले के प्रत्येक गांव में देशी एवं विदेशी शराब विक्रय करने का लायसेन्स है यदि नहीं तो अवैध रूप से विक्रय करने वाले ठेकेदारों से टैक्स वसूलने एवं दण्डित करने की विभाग की क्या योजना है? (ग) गुना जिले के ग्रामीण अंचल एवं चांचौड़ा वि.सभा में देशी एवं विदेशी मदिरा की कितनी दुकानें संचालित है तथा जहां घोषित दुकानें नहीं है उन गांवों में अवैध मदिरा विक्रय से शासन के टैक्स वसूली एवं महिला और बच्चों पर अपराधों के बढ़ते क्रम का जिम्मेदार मदिरा लायसेन्सधारी हैं या कोई और जानकारी दें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) गुना जिले में वर्ष 2014-15 में अनुज्ञप्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों तथा उनके लायसेंसधारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। आबकारी नीति वर्ष 2014-15 अनुसार देशी मदिरा दुकानों से देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा का विक्रय किया जाना प्रावधानित है। एक ही दुकान से देशी एवं विदेशी मदिरा की बिक्री रोकने के लिये, जिले में पदस्थ कार्यपालिक स्टाफ एवं संभागीय उडनदस्ता, ग्वालियर द्वारा दुकानों का सतत् निरीक्षण कर अनियमितताओं के लिये कार्यवाही की जाती है। (ख) गुना जिले के प्रत्येक गांव में देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा विक्रय करने का लायसेंस नही है। गुना जिले में वर्ष 2014-15 में 61देशी मदिरा दुकानें एवं 13 विदेशी मदिरा दुकानें संचालित है। अनुज्ञप्त दुकानों के अतिरिक्त, अवैध रूप से मदिरा विक्रय करने वाले व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर उनके विरूद्ध प्रकरण कायम किये जाते है व माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दाण्डिक कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2014-15 में माह जनवरी 2015 अंत तक मदिरा के अवैध विक्रय के 319 व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कायम कर कार्यवाही की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त व्यक्तियों को कोर्ट उठने तक की सजा एवं रूपये 2,03,700/- के दण्ड से दण्डित किया गया है। अवैध मदिरा विक्रय करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा भी सतत् कार्यवाही की जाती है। (ग) गुना जिले के ग्रामीण अंचल एवं चांचौडा विधानसभा क्षेत्र में संचालित दुकानों की **जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो एवं परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। अवैध मदिरा का विक्रय करने वालों के विरूद्ध आबकारी विभाग द्वारा आपराधिक प्रकरण कायम कर, चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते है। माननीय न्यायालय

द्वारा ऐसे व्यक्तियों को न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार दण्डित किया जाता है। अवैध मदिरा विक्रय से टैक्स न लेकर उसे प्रतिबंधित किया जाता है। महिलाओं और बच्चों पर अपराधों के बढते क्रम की जिम्मेदारी का मदिरा लायसेंसी से कोई संबंध नही है।

विद्युत कम्पनियों में अनुकम्पा नियुक्तियों के नीति-नियम

34. **(क्र. 916) श्री राम सिंह यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन के निर्णय अनुसार प्रदेश के कार्यरत विद्युत कम्पनियों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कोई नीति-नियम बनाए गए हैं? यदि हां, तो नीति-नियम की प्रति संलग्न कर जानकारी दें? यदि नहीं, तो उक्त नियम निर्देश कब तक जारी किए जाऐंगे? (ख) उक्त नियम निर्देशों के तहत शिवपुरी जिले में कार्यरत किन-किन विद्युत कम्पनियों के किन-किन मृत कर्मचारियों के किन-किन आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित है? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित किन-किन कर्मचारियों के किन-किन आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हाँ, मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन अनुसार प्रदेश में कार्यरत विद्युत कंपनियों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु नीति बनाई गई है, जिसका कंपनीवार विवरण निम्नानुसार है:-(1) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल की अनुकम्पा नियुक्ति की नीति 2013 (संशोधित) परिपत्र क्र.13070, दिनांक 24.12.2014 के द्वारा जारी की गई है। (2) म.प्र.पूर्व.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर की अनुकम्पा नियुक्ति की नीति 2013 (संशोधित) परिपत्र क्र.7836, दिनांक 12.12.2014 के द्वारा जारी की गई है। (3) म.प्र.पश्चिम.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर की अनुकम्पा नियुक्ति की नीति 2013 (संशोधित) परिपत्र क्र. 710, दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जारी की गई है। (4) म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की अनुकम्पा नियुक्ति की नीति 2013 (संशोधित) परिपत्र क्र. 2597, दिनांक 09.12.2014 के द्वारा जारी की गई है। (5) म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की अनुकम्पा नियुक्ति की नीति 2013 (संशोधित) परिपत्र क्र. 107, दिनांक 12.01.2015 सहपठित आदेश क्रमांक 210 दिनांक 22.01.2015 के द्वारा जारी की गई है। (6) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की अनुकम्पा नियुक्ति की नीति 2013 (सशोधित) परिपत्र क्र. 4796, दिनांक 12.12.2014 के द्वारा जारी की गई है। उक्तानुसार विद्युत कंपनियों द्वारा जारी की गई अनुकम्पा नियुक्ति की नीति की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमशः प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3, प्रपत्र-4, प्रपत्र-5 एवं प्रपत्र-6 अनुसार** है। (ख) उक्त नियमों के तहत् शिवपुरी जिले में म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमशः प्रपत्र "अ" "ब" एवं "स" अनुसार** है। (ग) उत्तरांश (ख) के तारतम्य में विद्युत कंपनीवार जानकारी निम्नानुसार है:- (1) म.प्र.मध्य क्षेत्र

विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के अन्तर्गत 84 आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त हुए है। इसमें से दिनांक 10.04.2012 के पूर्व के 74 प्रकरण हैं एवं 10.04.2012 के पश्चात् के 10 प्रकरण हैं। उक्त प्रकरणों का परीक्षण करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। अतः वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (2) म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अन्तर्गत 03 आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन प्राप्त है। उक्त प्रकरणों के परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रिया में है। अतः वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (3) म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा जारी अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान अनुसार दिनांक 10 अप्रैल, 2012 के पूर्व के प्रकरणों में विद्युत दुर्घटना अथवा अन्य दुर्घटना में कार्मिक की मृत्यु होने पर ही आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता है। शिवपुरी जिले में प्राप्त उक्त 3 आवेदनों में कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु होने के कारण उनके आश्रित अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है।

खंडवा जिले में नहरों एवं तालाब से सिंचाई

35. **(क्र. 986) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिले में गत तीन वर्षों में जल संसाधन विभाग द्वारा कितने तालाबों का निर्माण कराया गया? वर्षवार ग्राम, क्षेत्रफल जनपद एवं व्यय की राशि सहित जानकारी दें? (ख) जिले के सभी तालाबों से कितने एकड़ क्षेत्रफल में सिंचाई हो रही है? इससे कितने किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? (ग) क्या तालाब निर्माण के पूर्व स्थल चयन हेतु जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई यदि हां, तो तारीख एवं बैठक का कार्यवाही विवरण दें? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (घ) आगामी वर्षों में खंडवा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के नए तालाब एवं नहर निर्माण के क्या प्रस्ताव है, जनपद पंचायत एवं ग्रामवार जानकारी दें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) जी नहीं, सिंचाई परियोजना का स्थल चयन करने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करना आवश्यक नहीं से। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) प्रश्नाधीन क्षेत्र में स्वीकृति के लिए कोई सिंचाई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट –"बत्तीस"

माननीय सांसद/विधायकों को लिपिकीय सुविधा

36. **(क्र. 989) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 10 वर्षों में रेल एवं बस यात्री किराए में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए माननीय सांसदों/विधायकों को दी गई लिपिकीय सुविधा में लिपिकों को दिये जा रहे प्रतिमाह रू. 200/- नियत यात्रा भत्ता में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? (ख) यदि नहीं

तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 19 मई 1995 की कंडिका 8 में नियत यात्रा भत्ते के अतिरिक्त किसी भी दौरे के लिए यात्रा भत्ता पात्रता नहीं होने के नियम को विलोपित किया जाएगा? यदि हां तो कब तक? (ग) विधानसभा प्रश्न लगाने, अन्य कार्यालयीन कार्य से भोपाल आने-जाने एवं विधानसभा सत्र के दौरान लिपिकों को माननीय सदस्य के साथ रहना पड़ता है? क्या नियत यात्रा भत्ता के अतिरिक्त लिपिकों को शासकीय कार्य से की गई यात्रा के यात्रा भत्ता देयक विभाग में प्रस्तुत करने की पात्रता है? यदि नहीं तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग अपने उक्त आदेश में संशोधन कर लिपिकों को राहत प्रदान करेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) नियम को विलोपित करने के संबंध में प्रस्ताव अभी प्रचनल में नहीं है। (ग) स्थायी यात्रा भत्ता शासकीय सेवक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत की गई यात्रा हेतु अन्य यात्रा भत्तों के बदले में स्वीकृत किया जाता है। कार्यक्षेत्र के बाहर की गई शासकीय यात्राओं के लिये यात्रा भत्ता देयक प्रस्तुत किये जाने की पात्रता होगी।

प्रशिक्षित लेखपाल/गणक का वेतनमान की स्वीकृति

37. **(क्र. 1037) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पुनरीक्षित नियम 1990 लागू होने के पश्चात के आदेश अर्थात म.प्र. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 383/109/97/सी/चार, दिनांक 06.03.1997 के किन-किन वेतनमानों में क्या शर्त लगाई गई थी? (ख) यह सही है कि म.प्र. पुनरीक्षित नियम 1998 के नियम-12 में जिन विद्यमान वेतनमानों के विषय में म.प्र. पुनरीक्षित नियम 1990 एवं तत्पश्चात के आदेशों के अन्तर्गत एक निर्धारित सीमा के पश्चात अथवा अन्य किन्हीं विशिष्ट शर्तो के अध्याधीन रहते हुये वेतनमान देने की शर्तें लगाई गई थी वह पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में यथावत रहेगी? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर सही है तो प्रश्नांश (क) के उल्लेखित वेतनमानों में लगाई गई शर्त स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रशिक्षित लेखापाल/गणक पर लागू की जा रही है अथवा नहीं? यदि नहीं तो कारण देवें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 383/109/97/सी/चार दिनांक 6-3-1997 के द्वारा वेतनमानों में कोई शर्त नही लगाई गई है। (ख) जी हां। (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रशिक्षित लेखापाल/गणक पर शर्त लागू किये जाने का प्रश्न उपस्थित नही होता।

महाविद्यालयों में कार्यरत स्टॉफ

38. **(क्र. 1038) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के किस-किस शासकीय महाविद्यालयों में किस विषय के लिए

किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत है उनमें से कितने पदों पर किस श्रेणी के कितने प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अति प्राध्यापक कार्यरत है, कितने पद कब से रिक्त है, कितने प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक अन्य स्थानों पर अटैच या संलग्न है? (ख) गंज बासौदा विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत किस महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में संस्था प्राचार्य द्वारा गत तीन वर्षों में किस-किस दिनांक को किस को पत्र लिखें गए उन पत्रों के तहत कितने रिक्त पदों की पूर्ति की गई कितने पद वर्तमान में भी रिक्त हैं? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक रिक्त पदों की पदस्थापना कर दी जावेगी? समय सीमा बतावें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। विदिशा जिले के शासकीय महाविद्यालयों का कोई प्राध्यापक/सहायक-प्राध्यापक अटैच/संलग्न नहीं है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** ही है। सहायक-प्राध्यापक के रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। जैसे ही चयनित सूची प्राप्त होती है, तो रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी। (ग) सहायक-प्राध्यापक पदों के समग्र रिक्त पदो की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है। पद पूर्ति की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट –" तैंतीस"

ग्रामीण निर्माण कार्यों में गौण खनिज का उपयोग।

39. **(क्र. 1051) श्रीमती रेखा यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यों में लगने वाले गौण खनिज के संबंध में मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 में क्या-क्या छूट दी गई है? इस छूट के संबंध में राज्य शासन खनिज विभाग ने अप्रैल 2013 में क्या-क्या प्रक्रिया निर्धारित की है? (ख) भारत शासन द्वारा अप्रैल 2013 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छतरपुर जिले एवं बैतूल जिले में कितने ग्रामीण विकास कार्यों के लिये कितने गौण खनिज की अनुमति प्राप्त की गई? यदि शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो तो कारण बतावें? (ग) छतरपुर जिले एवं बैतूल जिले में अप्रैल 2013 से प्रश्नांकित तिथि तक किस-किस ग्रामीण विकास कार्य में कितने गौण खनिज का उपयोग किया गया? उस गौण खनिज का कितना भुगतान किया, उस गौण खनिज के परिवहन पर कितनी राशि खर्च की गई? (घ) अप्रैल 2013 में शासनादेश जारी होने के बाद भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर गौण खनिज की अनुमति न लिए जाने पर क्या-क्या कारण रहा है, इसके लिए विभाग किसे जिम्मेदार मानता है पद व नाम सहित बतावें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रिक्त पदों की पूर्ति

40. **(क्र. 1086) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत किस-किस विभाग के अंतर्गत कौन-कौन से पद स्वीकृत है? कौन-कौन से पद रिक्त है? (ख) भिण्ड जिले के अंतर्गत 31 जनवरी 2015 तक किस-किस विभाग के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण विचाराधीन है? (ग) भिण्ड जिले के अंतर्गत रिक्त पदों की पद पूर्ति कब तक कर ली जायेगी? जानकारी दें? क्या पदोन्नति विचारार्थ है? यदि हां, तो कब तक पदोन्नति आदेश जारी कर पद पूर्ति की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम 2, 3, 4 एवं 5 अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम 6 अनुसार है।** (ग) सीधी भर्ती द्वारा तथा स्थानांतरण के माध्यम से सभी विभागों में रिक्त पद भरे जाते है। रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जायेगी इसकी समय सीमा बताना संभव नहीं है। पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में 2 बार यथा जनवरी एवं जुलाई में करने के निर्देश हैं। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

मांग संख्या 60 व 64 की जानकारी

41. **(क्र. 1087) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अन्तर्ग जनभागीदारी मांग संख्या 60 व 64 के अन्तर्गत वर्ष 2011 से प्रश्नांश दिनांक तक किस-किस तिमाही को कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ है तिमाही वार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में किस-किस तिमाही में किस-किस विकासखण्ड अनुसार किस-किस ग्राम पंचायत को प्रकरण स्वीकृत कर राशि आवंटित की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत किए गए प्रकरणों की जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब-कब कराई गई? (घ) क्या यह सत्य है कि अधिकांश प्रकरणों में स्वीकृत राशि पुन: स्वीकृत कर जारी की गई है यदि हां तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट- 'ब' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट- 'स' अनुसार** है। (घ) जी नहीं।

आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के क्रियांवयन में अनियमितता

42. **(क्र. 1114) श्री प्रहलाद भारती :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले में आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के क्रियान्वयन के दौरान गोदरेज कंपनी द्वारा मीटर बदलने के कार्य में अनियमितता की शिकायत अधीक्षण यंत्री कार्यालय शिवपुरी में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायतवार विवरण दें? (ख) उपभोक्ता मीटरों में गड़बड़ी

की शिकायतों पर कंपनी मुख्यालय से किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की गयी है व उक्त जांच में क्या शिकायतें प्रमाणित पाई? यदि हां, तो कंपनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के अंतर्गत शिवपुरी जिले को कार्य किस कंपनी को कब आवंटित किया गया व उसके लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गई? यदि कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किया गया तो किस अधिकारी द्वारा कब-कब कार्य में समयवृद्धि की गई संपर्ण जानकारी तिथिवार उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार कंपनी को उक्त कार्य हेतु किस-किस मद में कब-कब कितना-कितना भुगतान किस आधार पर किया गया? मदवार, कार्यवार, भुगतान तिथिवार ब्यौंरा उपलब्ध करावें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। (ग) शिवपुरी जिले में आर.ए.पी.डी.आर.पी.योजना का कार्य टर्न-की आधार पर करने हेतु मे.गोदरेज एण्ड वॉयज कंपनी को दिनांक 12.08.2011 को कार्यादेश जारी किया गया था एवं उक्त कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा दिनांक 20.03.2013 थी। ठेकेदार एजेंसी के निवेदन पर कांट्रेक्ट की शर्त के अनुरूप मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की बिजनेस कमेटी द्वारा बैठक दिनांक 20.11.2013 एवं 24.09.2014 में लिए गए निर्णय अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्य पूर्णता की अवधि क्रमश: दिनांक 20.01.2014 एवं दिनांक 20.12.2014 तक विस्तारित की गई। (घ) मेसर्स गोदरेज एण्ड वॉयज कंपनी को आर.ए.पी.डी.आर.पी.योजना अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर लेने के आधार पर भुगतान किये गये बिलों की दिनांकवार एवं राशिवार प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट -"चौंतीस"</u>

<u>महाविद्यालय पोहरी में पदों की पूर्ति व संकाय बढ़ाना</u>

43. **(क्र. 1115) श्री प्रहलाद भारती :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि शासकीय महाविद्यालय पोहरी में वर्ष 2001 से कोई भी स्थाई प्राचार्य शासन ने पदांकित नहीं किया है? (ख) क्या यह भी सत्य है कि स्थानांतरण एवं रिटायरमेंट की वजह से वहां केवल दो स्थाई सहायक प्राध्यापक, एक लिपिक तथा केवल एक लाईब्रेरियन पदस्थ है? शिक्षा की गुणवत्ता चाहने तथा अच्छे परिणामों के लिये क्या पूर्णकालिक स्टॉफ आवश्यक नहीं है? उक्त महाविद्यालयों में सेटअप अनुसार पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ग) पोहरी विकासखण्ड के एकमात्र महाविद्यालय (दिनांक 15.02.1987 महाविद्यालय के अधिग्रहरण की तिथि से लेकर) में कोई नवीन विषय या संकाय शासन द्वारा नहीं बढ़ाये जाने के क्या कारण है? (घ) उक्त महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर वाणिज्य, विज्ञान व गणित एवं कला संकाय में स्नातकोत्तर कक्षाऐं स्वीकृति दिये जाने की योजना है? यदि हॉ तो उसकी जानकारी उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हाँ। प्राचार्य पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही सेवा भर्ती नियमों में संशोधन प्रकियाधीन होने के कारण लंबित है। महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य द्वारा कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (ख) वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है। सहायक प्राध्यापक पदों के समग्र रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिनांक 09.07.14 को जारी किया जा चुका है। पूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) वर्तमान में पूर्व से संचालित पाठयक्रमों के सुदृढीकरण एवं उनके गुणवत्ता के विकास का कार्य किया जा रहा है। (घ) जी नहीं। प्रश्नांश "ग" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नही होता है।

अनियमित तरीके से विद्युत देयक जारी करना

44. **(क्र. 1222) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्न दिनांक की स्थिति में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ग्राम रामगावड़ी में मात्र खंबे ही गाढ़े गये हैं, ये विद्युत विहीन ग्राम हैं? ग्रामीणों द्वारा रामगावड़ी में विधिवत न तो विद्युत कनेक्शन लिया गया है और ना ही कंपनी द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया गया है? (ख) यदि हां, तो बतावें कि कंपनी के अमले द्वारा माह नवंबर-दिसंबर 2014 में ढोटी फीडर से बिजली सप्लाई के नाम पर उक्त ग्राम के ग्रामीणों को एवरेज बिल के रूप में हजारों रूपये के बिजली बिल किस आधार पर जारी कर भेजे गये व क्यों? इसका कारण बतावें? (ग) इस नियम विरूद्ध कार्यवाही के लिये कौन दोषी है, के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? (घ) उक्त कार्यवाही की पुनरावृत्ति भविष्य में न होवे इसके लिये क्या शासन श्योपुर जिले में कंपनी के अमले को निर्देश जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी नहीं, अपितु प्रश्नाधीन उल्लेखित ग्राम रामगांवडी में फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत सघन विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 20.12.2013 को पूर्ण किया गया है। ग्राम रामगांवडी में 74 आवेदकों को घरेलू प्रकाश हेतु वितरण कंपनी द्वारा विधिवत कनेक्शन जारी किये गये हैं। (ख) कंपनी के द्वारा माह नवंबर-दिसंबर 2014 में ढोटी फीडर नहीं अपितु 11 के.व्ही. तुलसेफ फीडर से प्रश्नाधीन ग्राम के उपभोक्ताओं को विद्युत के उपयोग के आधार पर देयक जारी किये गये हैं। (ग) उपरोक्त कार्यवाही में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में वैकल्पिक ऊर्जा के स्त्रोत की स्थापना

45. **(क्र. 1323) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के

तहत अभी तक कोई भी परियोजना संचालित नही है ब्यावरा क्षेत्र के अंतर्गत मलावर, शमशेरपुरा के मध्य हजारों हेक्टेयर भूमि राजस्व एवं वन विभाग के पास आरक्षित होकर निर्जन व सुनशान है जिसका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु आसानी से उपयोग किया जा सकता है? (ख) क्या यह भी सही है कि शासन के ऊर्जा विकास निगम द्वारा पूर्व में इस भू-भाग का सर्वे कराया गया था? किन्तु उस बाबत् कोई अभिरूचि विभाग द्वारा नही दिखाई गई? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन पुन: इस बाबत् विचार करेगा? ताकि उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा से क्षेत्र के विकास योजना को ओर गति मिल सकें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हॉ। उक्त ग्रामों में विकासकों द्वारा परियोजना स्थापित करने हेतु आवेदन किये जाने पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग से भूमि की मांग की जा सकती है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु प्रोत्साहन नीतियॉ लागू है। विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत ग्राम-मलावर एवं ग्राम-शमशेरपुरा के मध्य उपलब्ध भू-भाग पर शासन की नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीतियों के अनुसार निजी इकाईयों द्वारा तकनीकी साध्यता के अनुरूप क्षेत्र में उपलब्ध राजस्व, निजी एवं वन भूमि पर परियोजनाऐं स्थापित कर अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है।

अग्रवाल वेतन आयोग की अनुशंसा लागू की जाना

46. **(क्र. 1324) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, भोपाल द्वारा अग्रवाल वेतन आयोग की अनुशंसानुसार कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान/अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिये जाने के संबंध में एक मांग पत्र दिनांक 19 जनवरी 2015 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र.शासन को प्रेषित किया गया है? (ख) यदि हां, तो उक्त मांग-पत्र में वर्णित मांगों पर शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या शासन उपरोक्तानुसार कार्यभारित कर्मचरियों के मांग पत्र को स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हां, तो कब तक?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) से (ग) प्रश्न में उल्लेखित मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र दिनांक 19.01.2015 के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु इसी विषय में संघ द्वारा प्रेषित अन्य पत्र दिनांक 21.01.2015 एवं 27.01.2015 प्राप्त हुये हैं, जिसका उत्तर संघ को पत्र दिनांक 16.02.2015 द्वारा दिया गया है। प्रति **संलग्न परिशिष्ट** पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "पैंतीस"

इंदौर जिले में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

47. **(क्र. 1366) श्री राजेश सोनकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर जिले में अनुकंपा नियुक्ति के कई प्रकरण लंबे समय से लंबित है? (ख) कृपया जिले में विभागवार दि. 31.01.15 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या बतावें? लंबित रहने के कारण बतावें? (ग) क्या यह सही है कि संविदा शिक्षकों के कई पद रिक्त है फिर भी डी.एड. प्रशिक्षण या बी.एड. प्रशिक्षित नहीं होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं की जा रही है? (घ) बी.एड., डी.एड. का प्रशिक्षण नियुक्ति देने के बाद 5 वर्षों में पूरा कराने की शर्त की छूट हेतु आर.टी.ई. को निवेदन करने में क्या आपत्ति है? क्या इस प्रकार का प्रस्ताव किए जाने का विचार है? जिससे मृतक के परिवार को तत्काल राहत मिल सकेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) एवं (ख) इन्दौर जिले में दिनांक 31.01.2015 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के 33 प्रकरण लंबित हैं। **जानकारी परिशिष्ट** पर है। (ग) जी हॉ। भारत सरकार के नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षक के पद पर बी.एड./डी.एड. प्रशिक्षण व शिक्षक पात्रता की अनिवार्यता है। (घ) स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 27.01.2015 द्वारा सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा गया है।

<u>परिशिष्ट –"छत्तीस"</u>

<u>रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना</u>

48. **(क्र. 1388) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के अंतर्गत बिरला विकास सीमेंट वर्कस सतना द्वारा ग्राम पंचायत बेला के ग्राम बटियाखुर्द में खदान संचालित कर खनिज उत्खनन किया जा रहा है? (ख) क्या उक्त प्रबंधन द्वारा ग्राम पंचायत बेला एवं बठियाखुर्द में जनहितार्थ कोई बिल्डिंग, पानी की टंकी, विद्यालय भवन निर्माण अथवा वृक्षारोपण के कार्य कराये गये हैं? (ग) यदि नहीं तों क्यों नहीं कराये गये, कारणों सहित बतायें तथा क्या उक्त प्रबंधन द्वारा खदान से पानी की निकासी कर दी जाती है जिससे वाटर लेबल नीचे चला जाता है? (घ) क्या प्रबंधन द्वारा पानी निकासी की अनुमति शासन से ली गई है, यदि नहीं तो क्या पानी निकासी पर रोक लगाई जायेगी? क्या प्रबंधन को निर्देशित किया जायेगा कि उक्त ग्रामों में जनहित के कार्य कराये जायें? यदि हां तो कब तक, समय सीमा बतायें? (ड.) क्या प्रबंधन द्वारा स्थानीय लोगों की जमीन क्रय करने के बाद रोजगार नहीं दिया जाता है? क्या रोजगार देने के निर्देश हैं? यदि हां तो प्रबंधन को निर्देशित किया जायेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) सतना जिले के अंतर्गत बिरला विकास सीमेन्ट वर्क्स सतना द्वारा बठिया खुर्द एवं अन्य ग्रामों में शासन द्वारा स्वीकृत माइनिंग लीज में खदान

संचालित कर खनिज उत्पादन किया जा रहा है। (ख) प्रबंधन द्वारा ग्राम पंचायत बेला एवं बठिया खुर्द में जनहितार्थ जैसे पाइप लाईन एवं पानी के टैंकर द्वारा पानी पीने की व्यवस्था, बायो गैस यूनिट, बायो ड्रिक्विटिंग मशीन, फ्रूट प्लांट, मंदिर जीर्णोद्धार के कार्य, अगरबत्ती निमार्ण, तलाब गहरीकरण, उत्खनित क्षेत्र को बैक फिलिंग कर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उपरोक्त ग्रामों के अलावा समीपी सभी गांवों में पानी की टंकी, आंगनबाडी केन्द्र, स्कूल भवन निर्माण, रोड निर्माण आदि अनेक सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्य कराये गये हैं। (ग) प्रबंधन द्वारा बरसात के समय में खदान में भरा हुआ बारिश का अतिरिक्त पानी निकासी की जाती है ताकि खनन कार्य सुचारू रूप से चल सके। अतिरिक्त पानी की निकासी का उपयोग सीमेंट संयंत्र में करने के कारण वाटर लेवल नीचे चले जाने संबंधी तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं। (घ) खदान में संग्रहित जल की निकासी के संबंध में शासन की अनुमति आवश्यक नहीं है। प्रबंधन द्वारा पानी का उपयोग पेय जल के रूप में एवं प्लांट को सुचारू रखने में किया जाता है। शासकीय दर अनुसार प्रबंधन द्वारा जल कर जमा किया जाता है। साथ ही सतना सीमेंट को स्वीकृत लीज के सभी समीपी ग्रामों के जनहित के कार्य कराये जाते हैं। (ड.) प्रबंधन द्वारा स्थानीय लोगों की जमीन क्रय करने के बाद योग्यता अनुसार रोज़गार भी दिया जाता है।

रीवा जिले अंतर्गत उपयंत्री के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध

49. **(क्र. 1390) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के त्यौंथर तहसील के जल संसाधन उपखंड त्यौंथर में पदस्थ उपयंत्री अजीत खरे के विरूद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरौं में अपराध पंजीबद्ध है? यदि हां, तो कब किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित उपयंत्री द्वारा वर्ष 2007-08 में कराये गये समस्त निर्माण कार्यों के मस्टर रोल की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या यह सही है कि मस्टर रोल शासकीय कर्मचारी से तैयार न कराकर एक किराये के आदमी से मस्टर रोल तैयार करवाया गया था? क्या मस्टर रोल की राईटिंग मिलान कराकर संबंधित उपयंत्री को दंडित कराया जावेगा? यदि हां, तो कब तक? (घ) क्या संबंधित विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा संबंधित उपयंत्री को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? यदि नहीं, तो जानकारी मांगने पर क्यों नहीं दी जा रही?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) एवं (ग) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(EOW) भोपाल द्वारा उपयंत्री श्री अजित खरे के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में अपराध क्रमांक-30/95 दिनांक 08.05.1995 को तथा अपराध क्रमांक-21/08 दिनांक 22.08.2009 को पंजीबद्ध किया जाना प्रतिवेदित है। विभाग द्वारा अपराध का अनुसंधान नहीं किया जाता है।अपराध का अनुसंधान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा विवेचनाधीन है। (ख) मस्टर रोल की छायाप्रति

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। जानकारी मांगे जाने संबंधित कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

सागर जिले के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

50. **(क्र. 1412) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में कुल कितने शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं? इन महाविद्यालयों में प्राचार्य सहित प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों एवं अन्य संवर्ग के कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? जानकारी महाविद्यालयवार दी जावें? (ख) क्या यह सही है कि इन महाविद्यालयों में प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के जो पद विषयमान से रिक्त हैं उन सभी रिक्त पदों पर अतिथि विद्वान नहीं रखे गये है? यदि हां, तो विषयमान से रिक्त पदों पर रखे गये अतिथि विद्वानों की जानकारी देते हुये यह बतायें कि अतिथि विद्वान रखे जाने के उपरांत किस-किस विषय के पद रिक्त हैं जिन पर अतिथि विद्वानों नहीं रखे जा सके हैं? और क्यों? (ग) क्या यह भी सच है कि प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों की नियमित पदस्थापना न होने से तथा अनुभवी एवं प्रशिक्षित पूर्णकालिक अतिथि विद्वानों की अनुउपलब्धता के कारण अध्यापन कार्य प्रभावित होता है जिसका प्रभाव वार्षिक परीक्षाफल पर भी पड़ता है? (घ) यदि हां, तो शासन द्वारा इन महाविद्यालयों में रिक्त पदों को कब तक नियमित प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों से भरा जावेगा? समय सीमा बतावें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) सागर जिले में प्राचार्य के पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार**, राजपत्रित पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। (ख) सागर जिलान्तर्गत महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सहायक-प्राध्यापक के विषयमान के समस्त रिक्त पदों पर अतिथि विद्वान रखे गये हैं। अतः पद भरे होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता है। (ग) जी नहीं। (घ) सहायक-प्राध्यापक के रिक्त पदों की समग्र पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है, पूर्ति की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

एन.सी.आर.टी. एवं एस.व्ही.सी.टी. परिक्षाओं के शुल्क में कमी करने विषय

51. **(क्र. 1421) श्री तरूण भनोत :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि आई.टी.आई. में नेशनल सर्टिफिकेट परीक्षा (एन.सी.आर.टी.) हेतु पूर्व में एक वर्ष का 35 रू. का शुल्क था एवं वर्तमान में एक सेमेस्टर की छः माह हेतु 100 रू. शुल्क लिए जा रहे है एवं क्या यह भी सत्य है कि स्टेट वोकेशनल सर्टिफिकेट

परीक्षा (एस.वी.सी.टी.) हेतु पूर्व में 35 रू. शुल्क एक वर्ष हेतु लिए जाने का प्रावधान था एवं वर्तमान में प्रति पेपर हेतु 300 रू. का शुल्क छात्रों से लिया जा रहा है? इस तरह अधिक राशि छात्रों से लेने का क्या कारण है? (ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त परीक्षाएं आनलाईन ली जा रही हैं जबकि प्रदेश में 80 प्रतिशत आईटीआई संस्थाओं में कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं है व छात्रों की योग्यता भी 8वीं एवं 10वीं पास है एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को कम्प्यूटर का पूर्ण ज्ञान भी नहीं है? (ग) यदि वर्णित (ख) सत्य है तो क्या छात्रों की परीक्षा आनलाईन ना लेते हुए पूर्व की भांति परीक्षा लेने हेतु कोई निर्देश जारी किये जावेंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत आईटीआई में संचालित व्यवसायों के लिये परीक्षा शुल्क राशि रूपये 100/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति सेमेस्टर महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत विभाग द्वारा आईटीआई की परीक्षा वर्ष 2015 से ऑनलाईन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत शासकीय आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों से पूर्व के अनुसार ही शुल्क लिया गया है। केवल निजी आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों से परीक्षा शुल्क रूपये 400/- प्रति पेपर प्रति प्रशिक्षणार्थी ली गई है। वर्ष 1995 से परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि परीक्षा आयोजन में होने वाले व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। निजी संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों से बढ़ी हुई राशि लेने का मूल कारण परीक्षा आयोजन में होने वाले व्यय की पूर्ति है। (ख) एससीव्हीटी की परीक्षाऐ ऑनलाईन ली जा रही है। जिले स्तर की सभी आईटीआई में पर्याप्त कम्प्यूटर उपलब्ध है। प्रशिक्षणार्थीगण ऑनलाईन परीक्षा देने के लिये प्रशिक्षित है एवं समस्त प्रशिक्षणार्थियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया है। (ग) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

<u>विभाग में कार्यरत उड़न दस्ते द्वारा की गई कार्यवाही</u>

52. **(क्र. 1458) श्रीमती रेखा यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ता.प्रश्न संख्या-10 (क्रमांक 1091) दिनांक 9 दिसम्बर 2014 में संचालनालय भोपाल में नर्मदापुरम-भोपाल संभाग हेतु गठित उड़नदस्ता द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में अवैध उत्खनन का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया की जानकारी दी गई है तो नर्मदापुरम-भोपाल संभाग हेतु गठित उड़नदस्ता द्वारा वर्ष 2013 एवं 2014 में किस स्थान पर कितने और किस गौण खनिज का अवैध परिवहन करते हुए किस वाहन को, किस दिनांक को पकड़ा? उस वाहन एवं पकड़े गए गौण खनिज की किस मजिस्ट्रेट को किस दिनांक को उड़नदस्ता द्वारा सूचना दी गई या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? (ख) किस वाहन में पकड़े गए कितने गौण खनिज का उड़नदस्ता द्वारा प्रति क्यूबीक मीटर कितना बाजार मूल्य मान्य करते हुए अर्थदण्ड किया जाना प्रस्तावित किया? उस प्रस्तावित प्रतिवेदन के आधार पर किस अधिकारी ने, किस दिनांक को, कितना अर्थदण्ड किया, किस दिनांक को कितना अर्थदण्ड वसूल किया गया? (ग) उड़नदस्ते

को गौण खनिज का बाजार मूल्य निर्धारित किए जाने या बाजार मूल्य मान्य किए जाने का अधिकार राज्य शासन या विभाग ने किस पत्र, परिपत्र के द्वारा प्रदान किया? यदि इस तरह का अधिकार प्रदान नहीं किया हो तो किस आधार पर बाजार मूल्य मान्य करते हुए अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हां। प्रश्नाधीन अवधि में खनिज उड़नदस्ता नर्मदापुरम-भोपाल संभाग द्वारा गौण खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े गये वाहनों एवं जमा कराई गई समझौता राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट** में दर्शित है। अवैध परिवहन में संलग्न वाहन एवं जब्तशुदा गौण खनिज की सूचना उड़नदस्ता द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को नहीं दी गई। (ख) खनिज उड़नदस्ता द्वारा अर्थदण्ड प्रस्तावित नहीं किया जाता है। खनिज उड़नदस्ता के भारसाधक अधिकारी स्वयं समझौता किये जाने हेतु अधिकृत है। गौण खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े गये वाहनों एवं समझौता राशि के रूप में जमा कराई गई राशि का विवरण उपरोक्तानुसार **पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट** में दर्शित है। इन प्रकरणों में कोई अर्थदण्ड नहीं प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) गौण खनिज का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने या बाजार मूल्य मान्य किये जाने के कोई प्रावधान खनिज नियमों में नहीं है और न ही शासन द्वारा इस विषय में कोई परिपत्र ही जारी किया गया है। प्रश्नांश 'ख' के उत्तर में उल्लेखित अनुसार कोई अर्थदण्ड प्रस्तावित नहीं किये जाने से प्रश्नांश के इस भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>बैतूल जिले की प्राप्त शिकायतों की जाँच</u>

53. **(क्र. 1459) श्रीमती रेखा यादव:** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि संचालक खनिकर्म एवं भौमिकी के द्वारा बैतूल जिले की प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु तीन अधिकारियों का जांच दल वर्ष 2013 में एवं माननीय विधायक के पत्रों में की गई शिकायतों की जांच हेतु तीन अधिकारियों का जांच दल 2014 में गठित किए जाने के बाद भी प्रश्नांकित तिथि तक जांच नहीं की गई? (ख) यदि हां तो संचालक के द्वारा किस दिनांक को किस-किस अधिकारी का जांच दल किस-किस विषय में की गई शिकायतों की जांच हेतु गठित किया गया? किस दिनांक को किस-किस अधिकारी का जांच दल माननीय विधायक के किस दिनांक के किस विषय में प्राप्त पत्रों की जांच हेतु गठित किया गया? (ग) किस-किस जांच दल ने, किस-किस दिनांक को, किस-किस शिकायत की जांच की? किस-किस शिकायत एवं पत्र की प्रश्नांकित तिथी तक भी जांच दल के द्वारा जांच नहीं की गई? (घ) संचालक द्वारा गठित जांच दल के द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं माननीय विधायक के पत्रों के आधार पर प्रश्नांकित तिथि तक भी जांच न किए जाने का क्या -क्या कारण रहा है, जांच न किए जाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है, कब तक जांच करवा ली जावेगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी नहीं। बैतूल जिले से संबंधित प्राप्त शिकायतों के संबंध में तीन अधिकारियों का जांच दल दिनांक 21.06.2013 तथा दिनांक 12.11.2014 को गठन किया गया था। दल गठन के पूर्व शासन तथा संचालक द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच हेतु कलेक्टर बैतूल को लेख किया गया था। कलेक्टर बैतूल द्वारा प्राप्त समस्त शिकायतों का जांच प्रतिवेदन शासन तथा संचालक को यथा स्थिति प्रेषित किया जा चुका है तथा शिकायतों पर कार्यवाही कलेक्टर बैतूल द्वारा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप पुनरावृत्ति की स्थिति में पृथक से जांच दल द्वारा कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 के फोरलेन निर्माण के लिए उपलब्ध होने वाली सामग्री

54. **(क्र. 1480) श्री गिरीश भंडारी :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 के राजगढ़ जिले की सीमा में निर्माण हेतु कार्य करने वाली एजेंसी को क्या मुरम/मिट्टी/गिट्टी/रेत उत्खनन हेतु दिनांक मई 2012 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस स्थान पर कितने-कितने समय के लिए कितनी-कितनी सीमा में किस-किस कार्य हेतु खनिज विभाग ने अनुमति प्रदान की? बिन्दुवार जानकारी देवें? (ख) क्या विभाग द्वारा अनुमति देने के बाद प्रश्न दिनांक तक क्या खनिज स्थल का निरीक्षण किया? यदि हॉ, तो किस-किस दिनांक को क्या-क्या निरीक्षण किया तथा क्या एजेंसी द्वारा खनन कार्य विभाग के निर्देशों के अनुसार हो रहा है? जानकारी दें? (ग) क्या संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा कभी कोई अवैध उत्खनन अथवा लीज अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया? यदि हॉ, तो क्या? जानकारी दें तथा शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 के राजगढ़ जिले की सीमा में एम.पी.आर.डी.सी. की सड़क निर्माण कार्य करने वाली एजेन्सी मेसर्स ट्रांसट्राय (ई) लिमिटेड मेन रोड कमलापुरी कालोनी, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश) को दिनांक मई 2012 से ग्राम सोनकच्छ का सर्वे क्रमांक 38 रकबा 4.900 हेक्टेयर भूमि में एवं ग्राम भोजपुरिया का सर्वे क्रमांक 399/1 रकबा 4.776 हेक्टेयर भूमि से मुरम / पत्थर / गिट्टी हेतु उत्खनन अनुज्ञा दिनांक 07.06.2013 से 15.06.2015 तक के लिये जारी किया गया है तथा ग्राम लसूड़ल्या रामनाथ के सर्वे क्रमांक 248/1/2 रकबा 1.455 हेक्टेयर एवं ग्राम लसूड़ल्या रामनाथ के सर्वे क्रमांक 695/1, 695/2, 695/4 रकबा 1.644 हेक्टेयर में पंचायत द्वारा कराये जाने वाले तालाब गहरीकरण कार्य से निकला हुआ मिट्टी / मुरम दिनांक 22.04.2014 से 15.06.2015 तक परिवहन की अनुमति प्रदान की गयी है। (ख) विभाग द्वारा अनुमति देने के बाद प्रश्न दिनांक तक समय-समय पर स्थल निरीक्षण किया गया है। दिनांक 03.10.2013 एवं

26.12.2014 को स्थल निरीक्षण खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच एवं रायल्टी बुक का निरीक्षण किया गया। एजेन्सी द्वारा खनन कार्य विभाग के निर्देशों के अनुसार हो रहा है। (ग) निर्माण एजेन्सी द्वारा बिना अभिवहन पास के डम्फरों द्वारा दिनांक 03.10.2013 एवं 26.12.2014 को गिट्टी परिवहन किया जाना पाया गया है। दिनांक 03.10.2013 को बिना अभिवहन पास के 11 डम्फरों के विरूद्ध अवैध खनिज परिवहन के प्रकरण बनाये गये हैं जिनमें रूपये 5,50,000/- अर्थदण्ड स्वरूप राशि वसूल की गयी है एवं दिनांक 26.12.2014 को बिना अभिवहन पास के 01 डम्फर के विरूद्ध अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण बनाया गया है जिसमें रूपये 50,000/- अर्थदण्ड स्वरूप राशि वसूल की गयी है।

पर्यटन स्थलों का विकास

55. **(क्र. 1510) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास एवं रायसेन जिले में कौन-कौन से पर्यटन स्थल है? किन-किन स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा? (ख) देवास एवं रायसेन जिले में कहां-कहां पर्यटन स्थल विकसित किये जाने की संभावना है? शासन स्तर पर कोई प्रस्तावित स्थल हो तो उन्हें विकसित करने की क्या योजना है? (ग) उक्त जिलों में ऐसे कितने धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थल है जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है? क्या इस हेतु कोई सर्वे कराया जा रहा है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) देवास एवं रायसेन जिले में **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार स्थलों पर पर्यटकों का प्रवास होता हैं। आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध होने पर पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जाता है। (ख) देवास एवं रायसेन जिले में पर्यटकों के आवागमन को देखते हुए ही स्थानों पर विकास कार्य कराये जाने की संभावना है। आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध होने पर सुविधाएं विकसित की जा सकती है। जी नहीं। (ग) कंडिका (ख) अनुसार सर्वेक्षण नहीं कराया जा रहा हैं।

परिशिष्ट –"सैंतीस"

विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य

56. **(क्र. 1511) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष, 2012-13 से जनवरी, 2015 तक क्या-क्या कार्य कहां-कहां स्वीकृत किये गये? (ख) कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं, कार्यवार कारण बतावें? उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की? (ग) बागली क्षेत्र में पीपरी से धारड़ी मार्ग पर पुरनी नदी पर बनवाये जा रहे ब्रिज की लंबाई-चौड़ाई- ऊंचाई तथा स्वीकृत राशि बतावें? (घ) उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा, निश्चित समयावधि बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से जनवरी 2015 तक स्वीकृत कार्यों की सूची **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) बागली क्षेत्र के पीपरी से धारड़ी मार्ग पर पुरनी नदी पर निर्माण किये जा रहे बॉक्स कल्वर्ट की लंबाई 40 मीटर एवं चौडाई 6 मीटर है तथा कार्य की स्वीकृत राशि रूपये 52,89,965/- है। (घ) उक्त कार्य एन.एच.डी.सी. खंडवा कार्यालय द्वारा कराया जा रहा है, जिसका 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है, जिसमें लगभग दो माह लगना संभावित है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट –''अडतीस''</u>

<u>स्वयं सेवी संस्थाओं एन.जी.ओ. के विरूद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरण</u>

57. **(क्र. 1518) श्री बाला बच्चन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो, लोकायुक्त में 1 जनवरी, 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितनी स्वयं सेवी संस्थाओं के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं? स्वयं सेवी संस्था का नाम, आरोपी पदाधिकारियों के नाम सहित जानकारी देवें? (ख) राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो, लोकायुक्त में 1 जनवरी, 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितनी स्वयंसेवी संस्थाओं के विरूद्ध अपराधिक प्रकरणों की जांच की गई? जिन संस्थाओं की जांच पूर्ण हो चुकी है, उनके नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? ऐसी कितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जिनकी जांच 1 जनवरी, 2012 से प्रश्न दिनांक तक पूर्ण नहीं हो सकी है, जांच पूर्ण नहीं होने का क्या कारण हैं? (ग) जिन स्वयंसेवी संस्थाओं के विरूद्ध गंभीर अनियमितताओं के आरोप सही पाये गये हैं, उनका पंजीयन समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या इस संबंध में संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है? यदि हां, तो पत्र की प्रतिलिपियां उपलब्ध करावें यदि नहीं, तो बतावें कि गंभीर अनियमितता करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को ब्लेक लिस्टेड करने, पंजीयन समाप्त करने की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) प्रश्नांकित अवधि में प्रकोष्ठ में 14 स्वयं सेवी संस्थाओं के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में उल्लेखित प्रकरणों की विवेचना जारी है। प्रकरण विस्तृत स्वरूप के होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रकरण विवेचनाधीन है। प्रकरण पंजीयन की सूचना विभाग को भेजी गई है। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत स्वयं सेवी संस्थाओं के दोषी पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

<u>महाविद्यालय प्रारंभ करने स्वीकृति</u>

58. **(क्र. 1569) श्री मधु भगत :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बालाघाट जिला अंतर्गत ग्राम लामता घने जंगलों के बीच लगभग 100-150 ग्रामों के मध्य आदिवासी अंचल ग्राम है? (ख) क्या ग्रा. पंचायत लामता से बालाघाट या अन्य उच्च अध्ययन शिक्षा केन्द्र बहुत अधिक दूरी होने के कारण ग्रामीण अंचलों के बालक/बालिका उच्च शिक्षा अध्ययन से वंचित हो जाते हैं? (ग) उक्त ग्राम पंचायत में महाविद्यालय की स्थापना संबंधी क्या प्रस्ताव है? महाविद्यालय कब तक प्रारंभ किया जावेगा यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या पूर्व में भी याचिका या अन्य माध्यम से महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु मांग पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए? उन पर विचार क्यों नहीं किया गया स्पष्ट करें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हां। (ख) जी नहीं। जिला बालाघाट के अन्तर्गत ग्राम लामता से शासकीय महाविद्यालय परसवाडा 22 कि.मी., शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बालाघाट, शासकीय कन्या महाविद्यालय, बालाघाट, अशासकीय महाविद्यालय विवेक ज्योति कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, बालाघाट एवं अशासकीय महाविद्यालय सरदार पटेल कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी, बालाघाट 45 कि.मी., की दूरी पर संचालित है, जहां पर छात्र-छात्रायें अध्ययन कर सकते हैं। (ग) वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः ग्राम लामता में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने में अभी कठिनाई है। (घ) जी हां। प्रश्नांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रेत खदानों की जानकारी

59. **(क्र. 1570) श्री मधु भगत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समस्त बालाघाट जिले में समस्त प्रकार की खदानें (रेत, गिट्टी, मुरूम) कौन-कौन सी हैं? विधानसभा क्षेत्र वार जानकारी देवें? तथा खनन की अवधि भी स्पष्ट करें? (ख) क्या यह सही है कि भालेवाड़ा, खैरी एवं अन्य रेत खदानों से रातों रात रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है? 2012 से प्रश्न दिनांक तक इस प्रकार की शिकायतों पर की गई कार्यवाही बतावें? (ग) क्या यह सही है कि आगामी समय में नवीन खदानें स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है, कुल रेत हेतु उत्खनन होने वाली खदानों की जानकारी प्रदाय करें? (घ) ग्रामीणों को घरेलु उपयोग हेतु रेत/मुरूम सरलतम रूप/कम मूल्य पर देने हेतु क्या नियम हैं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन जिले में प्रश्नाधीन खनिज की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** में दर्शित है। (ख) जी नहीं। प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त शिकायतों के आधार पर रेत खनिज के अवैध उत्खनन के 13 प्रकरण तथा अवैध परिवहन के 310 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है। अवैध रेत उत्खनन के 13 प्रकरण वर्तमान में प्रचलित हैं। अवैध परिवहन के 310

प्रकरणों में से 210 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 38.45 लाख रूपये का अर्थदण्ड जमा कराया गया है। शेष प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जी हां। प्रश्नांश के शेष भाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** में दर्शित है। (घ) गौण खनिज हेतु प्रचलित म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में रेत अथवा मुरम को सरलतम रूप / कम मूल्य पर दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं।

परिशिष्ट –"उनतालीस"

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों की पूर्ति

60. **(क्र. 1591) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय सिवनी, जिला सिवनी में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों, स्टाफिंग पेटर्न की स्वीकृत संख्या कितनी है? जानकारी पृथक - पृथक दें? (ख) स्वीकृत पदों (सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक) के विरूद्ध वर्तमान में उपरोक्त महाविद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं? (ग) यदि उपरोक्त पद रिक्त हैं, तो पूर्ति कब तक की जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** ही है। (ग) प्रश्नांश "क" अनुसार राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। पद पूर्ति की समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट –"चालीस"

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति

61. **(क्र. 1592) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत है? (ख) क्या स्वीकृत ग्रामों में कार्य प्रारंभ है? यदि हां, तो कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है और कितने ग्रामों में शेष है? (ग) क्या यह सही है कि कुछ ग्रामों में पोल गाड़ दिये गये हैं तार नहीं खींचा गया है? यदि हां, तो उन सभी ग्रामों में विद्युत सप्लाई कब तक प्रारंभ कर दी जायेगी? (घ) जो पोल गड़े हैं कितने समय से गड़े हैं? विद्युत सप्लाई न होने का कारण क्या है? उक्त कार्य पूरा न होने से दोषी कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) वर्तमान में सिवनी जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत नहीं है, तथापि पूर्व में 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सिवनी जिले हेतु स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सिवनी विधानसभा के समस्त 331 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। (ख) उत्तरांश (क) के

परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। (ग) सिवनी जिले हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, अतः प्रश्न नहीं उठता। (घ) उत्तरांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

<u>प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध वक्फ सम्पत्ति का प्रयोजन बदलने पर कार्यवाही</u>

62. **(क्र. 1644) श्री आरिफ अकील :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें प्रति नियुक्ति पर 2011-2013 तक म.प्र. वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तौर पर प्रति नियुक्ति में पदस्थ किया था? उनके द्वारा वक्फ कब्रस्तान अहमदपुर खसरा नं. 74 रकबा 2.20 एकड़ में नियम विरूद्ध मैरिज गार्डन के निर्माण की अनुमति जारी की गई थी? (ख) क्या यह भी सही नहीं है कि कब्रस्तान में अतिक्रमण करने तथा उसका प्रयोजन के विरूद्ध निर्माण किया जाना भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के अंतर्गत गंभीर अपराध है? (ग) यदि हां, तो क्या यह सही नही है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा तत्कालीन सामान्य प्रशासन सेवा के अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी वक्फ बोर्ड के विरूद्ध उनके निलंबन और अपराधिक अभियोजन के विरूद्ध माह जून 2014 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजे गये थे बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) (ग) के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गंभीर मामले में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कार्यवाही किस स्तर पर किस अधिकारी के पास लंबित है और इस लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार उनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी हां। जी हाँ। (ख) वक्फ बोर्ड की अनुज्ञा के बिना किसी चल/अचल वक्फ संपत्ति का संक्रामण करना, क्रय करना या स्थाई अथवा अस्थाई तौर पर कब्जा लेना केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित 2013) की धारा 52 (ए) के प्रावधानों के अंतर्गत संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। (ग) म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रमांक शाखा/2014/3300-ए, दिनांक 17.06.14 से पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को श्री शफीकउद्दीन (सैयद) , राप्रसे, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल को निलंबित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्रादि प्रेषित करते हुए इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग को अग्रेषित करने के बारे में लिखा गया था। म0 प्र0 वक्फ बोर्ड द्वारा उक्त पत्र की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भी पृष्ठांकित की गई। (घ) सामान्य प्रशासन विभाग को पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से श्री शफीकउद्दीन (सैयद) , राप्रसे के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में श्री शफीकउद्दीन (सैयद) , राप्रसे, तत्कालीन मुख्य कार्यालन अधिकारी, वक्फ बोर्ड, भोपाल के विरूद्ध

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किए गए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पद का दुरूपयोग करते हुए वक्फ सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही</u>

63. **(क्र. 1645) श्री आरिफ अकील :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो म.प्र. वक्फ बोर्ड में सी.ई.ओ. के पद पर पदस्थ थे उनके द्वारा उज्जैन स्थित वक्फ संपत्ति वक्फ पीलू की मस्जिद नई सड़क उज्जैन, वक्फ कब्रस्तान व मस्जिद एम.जी. रोड तुकोगंज इंदौर, वक्फ संपत्ति वक्फ जामा मस्जिद केन्ट नीमच के विरूद्ध क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अवैध रूप से किरायेदारी की जाकर वक्फ को नुकसान पहुँचाया गया था? (ख) यदि हां तो क्या यह भी सही है कि वक्फ बोर्ड द्वारा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. वक्फ बोर्ड के विरूद्ध दिनांक 29.09.2014 को कठोर कार्यवाही का प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किया गया था? (ग) यदि हां तो विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) एवं (ख) जी हां। (ग) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव के क्रम में श्री शफीकउद्दीन (सैयद) के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी कर दिए गए हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सीहोर जिले में आई.टी.आई. का संचालन</u>

64. **(क्र. 1660) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले में कितनी आई.टी.आई. संचालित किये जा रहे हैं? इनमें कितने सरकारी हैं और कितने गैर सरकारी हैं? सूची उपलब्ध कराएं? (ख) क्या इछावर विकासखण्ड में विभाग द्वारा आई.टी.आई. संचालित किया जा रहा है? अगर नहीं तो संचालित करने हेतु कोई योजना है? (ग) इछावर विकासखण्ड में कब तक विभाग द्वारा आई.टी.आई. संचालित किया जाएगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) सीहोर जिले में 11 शासकीय एवं प्रायवेट आर्इटीआई निम्नानुसार संचालित हैः- 05 शासकीय आईटीआई-महिला आईटीआई सीहोर, आईटीआई बुदनी, आईटीआई नसरूल्लागंज, आईटीआई शाहगंज, आईटीआई चकल्दी। 06 प्रायवेट आईटीआई- मंथन प्रायवेट आईटीआई अमलाह, प्लानेट प्रायवेट आईटीआई सीहोर, सांईराम प्रायवेट आईटीआई जावर आष्टा, अनुप्रीत प्रायवेट आईटीआई आष्टा, एस.जी.एम. प्रायवेट आईटीआई सीहोर, श्री कन्हैया प्रायवेट आईटीआई सीहोर। (ख) जी नहीं। राज्य शासन

की घोषित तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास नीति में यह प्रावधान है कि पीपीपी मोड में निजी निवेश से ऐसे विकासखण्डों में स्थापित किये जायेंगे जहां एनसीव्हीटी से संबंद्ध कम से कम 6 ट्रेड तथा 240 सीटों की प्रवेश क्षमता की कोई भी शासकीय या निजी आईटीआई संचालित नहीं हो। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) समयावधि बताना संभव नहीं है।

इछावर विधानसभा की सिंचाई परियोजनाएं के संदर्भ में

65. **(क्र. 1661) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इछावर विधानसभा क्षेत्र में कितनी और कहां पर सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव लंबित है? इनकी क्या लागतें हैं? (ख) प्रस्तावित सिंचाई परियोजना पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) कब तक यह सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) से (ग) इछावर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई परियोजना का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।

अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को शासनाधीन किया जाना

66. **(क्र. 1669) श्री संजय पाठक :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त महाविद्यालय का शासनाधान किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो किन विभागीय नियमों के अंतर्गत? नियम एवं परिपत्रों की छायाप्रति दें? (ख) क्या प्रदेश सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में मध्य प्रदेश में किन्हीं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को शासनाधीन किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां के कौन-कौन से महाविद्यालयों को? सूची दें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

भवन विहीन महाविद्यालय

67. **(क्र. 1670) श्री संजय पाठक :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय महाविद्यालय हैं? (ख) प्रश्नांश (क) महाविद्यालयों में से कितने महाविद्यालय भवनविहीन हैं? (ग) क्या भवनविहीन महाविद्यालयों के लिये कोई राशि स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो कितनी राशि कब से स्वीकृत हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) भवनविहीन महाविद्यालय का भवन कब निर्मित कर दिया जायेगा? नहीं, तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो (02) शासकीय महाविद्यालय हैं। (ख) एक महाविद्यालय भवनविहीन है। (ग) जी हाँ। विभाग के आदेश दिनांक 21.12.2011 के द्वारा राशि रूपये 315.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। (घ) निक्षेप योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के भवन निर्माण संबंधी कार्यवाही कार्य एजेंसी म.प्र. गृह निर्माण मंण्डल द्वारा प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा उत्पादन की जानकारी

68. **(क्र. 1678) श्री विश्वास सारंग :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल, सिहोर और रायसेन जिले में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं? (ख) पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हेतु क्या भोपाल, सीहोर व रायसेन जिले में सोलर पोजिशन एवं इनटेंसिटी, सोलर इररेडियेन्स, वायु प्रवाह प्रबलता आदि की रीडिंग की गई है? यदि हां, तो महत्वपूर्ण तकनीकी कारकों की रीडिंग की जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्य उक्त जिलों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करने की कोई बड़ी योजना बनाई जा रही है? यदि हां तो जानकारी दें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हॉ। (ख) जी हॉ। जिला-सीहोर में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु विण्ड मानिटरिंग की गयी है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। विण्ड मानिटरिंग का कार्य भारत सरकार की संस्था "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विण्ड टेक्नोलाजी चेन्नई" द्वारा किया जाता है। जिला भोपाल एवं रायसेन में अद्यतन विण्ड मानिटरिंग नहीं की गयी है। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु उक्त स्थलों पर कोई इनटेंसिटी, सोलर रेडियेन्स स्थापित नहीं है। (ग) शासन की पवन ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीति-2012 एवं सौर ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीति-2012 के अन्तर्गत निजी इकाईयों द्वारा परियोजनाएं स्थापित की जाती है। भोपाल, रायसेन एवं सीहोर जिलों में निजी इकाईयों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

परिशिष्ट –"इकतालीस"

संचालित खदानों की जानकारी

69. **(क्र. 1679) श्री विश्वास सारंग :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल, रायसेन व सीहोर जिले में प्रश्न दिनांक तक रेत, पत्थर, गिट्टी, मुरम/मिट्टी की कितनी-कितनी खदानें कहां-कहां संचालित हैं? जिलावार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या सभी संचालित खदानों में शासन के सभी नियम एवं अनुबन्ध अनुसार शर्तों का पालन हो रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत ऐसी कितनी खदानें हैं जहां अवैध उत्खनन हो

रहा है? (घ) प्रश्नांश (क) , (ख) व (ग) के तहत वित्तीय वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक उक्त जिलों में अवैध उत्खनन के कितने प्रकरण बनाकर वसूली की गई?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन जिलों से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट क्रमशः "अ", "ब" तथा "स"** में दर्शित है। भोपाल जिले में रेत खनिज/मुरम/मिट्टी की कोई खदान संचालित नहीं है। रायसेन जिले में मुरम खनिज की कोई भी खदान संचालित नहीं है। (ख) भोपाल तथा सीहोर जिले में प्रश्नांश 'क' में दर्शित खदानें नियमानुसार संचालित हैं। सीहोर जिले में जिन खदानों में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाया गया है (उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र नियमानुसार जारी किए गए हैं(जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द'** में दर्शित है। (ग) भोपाल तथा सीहोर जिले में प्रश्नांश 'क' में दर्शित खदानों में अवैध उत्खनन का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। रायसेन जिले में 01 प्रकरण प्रकाश में आया है। (घ) प्रश्नांश 'ग' में उल्लेख अनुसार रायसेन जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई'** में दर्शित है। सीहोर एवं भोपाल जिले में प्रश्नाधीन अवधि में कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आए हैं।

कालापीपल तहसील मुख्यालय पर उपकोषालय की स्थापना

70. **(क्र. 1687) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपकोषालय शुजालपुर में काला पीपल विकासखण्ड एवं कालापीपल के प्रतिमाह कितने देयक औसत रूप से भुगतान हेतु प्राप्त होते है? (ख) क्या कोषालय शाजापुर एवं उपकोषालय शुजालपुर का कम्प्यूटराईजेशन कार्य हो चुका है? क्या कम्प्यूटराईजेशन की नई व्यवस्था किये जाने से काला पीपल विकासखण्ड एवं कालापीपल तहसील के समस्त विभाग के शासकीय कर्मचारियों को एवं स्टाम्प वेंडर आदि को देयक प्रस्तुत करने हेतु उपकोषालय शुजालपुर नहीं जाना पड़ रहा है? (ग) क्या शासन के मापदण्ड के अनुसार कालापीपल में उपकोषालय खोलने की पात्रता में नहीं आता है? (घ) यदि पात्रता में आता है तो उपकोषालय कब तक खोला जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) लगभग 175 देयक औसत के रूप में भुगतान हेतु प्राप्त होते है। (ख) जी हाँ, कम्प्यूटराईजेशन की नवीन व्यवस्था प्रक्रियाधीन है। नवीन व्यवस्था लागू होने पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के सूचना वाहक को देयक प्रस्तुत करने कोषालय/ उपकोषालय नहीं जाना होगा। इलेक्ट्रानिक स्टापिंग व्यवस्था लागू होने पर स्टाम्प वेंडरों को भी कोषालय/उपकोषालय नहीं जाना होगा। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश "ग" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नहरों के निर्माण कार्य में खर्च राशि

71. **(क्र. 1698) श्री सचिन यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगौन जिले में इंदिरा सागर परियोजना की माईनर नहरों के निर्माण कार्य कितनी राशि के पूर्ण व अपूर्ण है वर्तमान स्थितिवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नहरों के निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं की कितनी-कितनी शिकायत विगत 3 वर्ष में प्राप्त हुई है उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त शिकायतों में कौन-कौन दोषी है, के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? जवाबदेही तय कर की गई कार्यवाही से अवगत करावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) खरगोन जिले में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के मध्य से विभिन्न भागों में वितरण प्रणाली से निकलने वाली कुल 127 माईनरें हैं जिन पर रूपये 94.06 करोड व्यय हुआ है, जिनमें से 89 पूर्ण हो गई है तथा 38 माईनरें अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यों की लागत रूपये 14.53 करोड है। माईनरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, शीघ्र पूर्ण किया जावेगा। (ख) निर्माण कार्यों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्माण कार्यों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, कोई दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

निर्वाचन कार्य के लिये लगाये गये कर्मचारी

72. **(क्र. 1751) श्री अमर सिंह यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला राजगढ़ में विधानसभा निर्वाचन 1998 के कार्य सम्पादन हेतु लगाये गये अस्थाई सहायक ग्रेड-3/चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) कर्मचारियों को नियमित/संविलियन किया जा चुका है? (ख) यदि नहीं तो राजगढ़ जिले में विधानसभा निर्वाचन 1998 के कार्य सम्पादन हेतु लगाये गये कर्मचारियों में से नियमितिकरण/संविलियन किये जाने हेतु कौन-कौन कर्मचारी शेष है? (ग) क्या राजगढ़ जिले में नियमितिकरण/संविलियन से शेष उक्त कर्मचारियों को मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में नियमित/संविलियन किये गये कर्मचारियों की भांति ही राजगढ़ जिले के इन कर्मचारियों को भी नियमित/संविलियन किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी नही (ख) एवं (ग) निर्वाचन में लगे कर्मचारियों के नियमितिकरण अथवा संविलियन का प्रावधान नही है, बल्कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए "बी" श्रेणी की पात्रता दी गई है। परिपत्र दिनांक १० सितम्बर, १९९१ की प्रति **संलग्न परिशिष्ट** पर है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट –"बयालीस"

शा.महा.वि. में संवर्गवार पद की स्वीकृति

73. **(क्र. 1752) श्री अमर सिंह यादव :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ शासकीय महाविद्यालयों में किस-किस सवंर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत है तथा कब से कौन से पद रिक्त है? कौन-कौन, किस-किस पद पर कब से कार्यरत है? (ख) क्या यह सही है कि उक्त पदों के रिक्त होने से विद्यार्थियों का कोर्स पूरा नहीं हो पाता है? शासन द्वारा उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ग) शासन द्वारा राजगढ़ महाविद्यालय में कितने अतिथि विद्धवानों की किस-किस विषय में कब से किस मानदेय पर सेवायें ली गई है? क्या शासन उक्त अतिथि विद्धवान जो कि कई वर्षों से लगातार सेवायें दे रहे है तथा पूर्ण योग्यता रखते है उन्हें पूर्व की भांति सहायक प्राध्यापक बनाने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक उन्हें सहायक प्राध्यापक बना दिया जावेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। महाविद्यालय का अध्यापन कार्य रिक्त पदों के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि विद्वानों से सुचारू रूप से कराया जा रहा है, सहायक-प्राध्यापक पदों के समग्र रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिनांक 09.07.14 को जारी किया जा चुका है। पूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** ही है। अतिथि विद्वान को प्रतिकाल खण्ड रूपये 200/- तथा अधिकतम रूपये 600/- प्रतिदिवस के मान से मानदेय का भुगतान किया जाता है। अतिथि विद्वान लोक सेवक नहीं है, मात्र अध्यापन कार्य हेतु कालखण्ड के आधार पर आमंत्रित किया जाता है। सेवा भर्ती के नियमानुसार सहायक-प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। अतः अतिथि विद्वान को सहायक-प्राध्यापक नियुक्त करने का कोई प्रश्न ही नही उठता। अतिथि विद्वान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रतानुसार आवेदन कर सकते है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट -"तैंतालीस"

संचालित होटलो की साज सज्जा पर व्यय

74. **(क्र. 1791) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य पर्यटन विकास विभाग एवं केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान वर्ष 12-13 एवं 13-14 में कितना व्यय किया गया? (ख) विभाग द्वारा संचालित होटलों की साज सज्जा, मरम्मत, मेला उत्सव, पर्यटक मनोरंजन, प्रशिक्षण तथा लोक रंजन उत्सव पर कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया? (ग) पर्यटन विभाग द्वारा संचालित खजुराहों में स्थित होटल में वित्तीय वर्ष 12-13, 13-14 में किस-किस मद में राशि व्यय की गई और किस-किस फर्म/संस्था को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार** है।

जनअभियान परिषद का आवंटन एवं व्यय

75. **(क्र. 1792) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. जनअभियान परिषद दिनांक 4.7.1997 को पंजीकृत किया गया? (ख) छतरपुर जिले के विकास खण्डो में म.प्र. जन अभियान परिषद की गतिविधियों पर वर्ष 12-13 से दिसम्बर 14 तक शासन की विकासखण्डवार कितनी राशि व्यय की गई? (ग) शासन द्वारा संचालित गतिविधियों की योजनावार जिले में कितना-कितना आवंटन/राशि प्राप्त हुई तथा किन मापदण्डों के अनुसार व्यय किया गया? (घ) शासन की गाईड लाईन उपलब्ध करावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी हॉ। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं** मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार** है।

बाण सागर परियोजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य

76. **(क्र. 1807) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में बाण सागर परियोजना के पूर्वा कैनाल प्रोजेक्ट के अंदर 2011 से 2014 तक कितने लघु एवं वृहद कार्य स्वीकृत किये गये हैं? जिले के विभागीय उपसंभागवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन संविदाकारों द्वारा कौन से कार्य किये गये हैं एवं उन कार्यों हेतु क्या एग्रीमेंट हुये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) , (ख) के संदर्भ में जिन संविदाकारों ने एग्रीमेंट के आधार पर कार्य नहीं किया है, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में जिन अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई है? ऐसे दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) से (घ) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पूर्वा केनाल प्रोजेक्ट नाम की कोई परियोजना नहीं है। पूर्वा नहर बाणसागर परियोजना की एक नहर प्रणाली है जिसका रूपांकित सैच्य क्षेत्र 78,484 हेक्टर है। पूर्वा नहर के संबंध में पृथक से कोई प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की स्थित नहीं है। प्रश्नाधीन अविध में पूर्वा नहर

प्रणाली के लिए स्वीकृत निविदाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। अनुबंधों के क्रियान्वयन में कोई अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट- ''चौवालीस''

रीवा में खनिज विभाग द्वारा राजस्व वसूली

77. **(क्र. 1808) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में 2010 से 2014 तक कितनी रूपये की खनिज साधनों से राजस्व वसूली हुई है? वर्षवार, खनिजवार, तहसीलवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिले में कितने ठेकेदारों को कितनी खदानें एवं उत्खनन के लिये लीज एवं खदानें प्राप्त की गई है? ठेकेदार वार सूची उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में किन-किन ठेकेदारों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है कितनी खदानें एवं ठेकेदार डिफाल्टर हुये हैं? सूची उपलब्ध करावें? (घ) रेत उत्खनन एवं पटिया मुरम के अवैध उत्खनन में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? कौन-कौन अधिकारी कार्य करने में दोषी हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) प्रश्नाधीन अवधि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** में दर्शित है। (ख) प्रश्नाधीन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'** में दर्शित है। (ग) प्रश्नाधीन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स'** में दर्शित है। खनिज नियमों में ठेकेदार को डिफाल्टर किए जाने के प्रावधान नहीं हैं। (घ) वित्तीय वर्ष 2014-2015 में रेत खनिज की 02 तथा फर्शी पत्थर की 02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसकी जांच की कार्यवाही की जा रही है। अतः किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय महाविद्यालय पथरिया एवं बटियागढ़ (जिला दमोह) के संबंध में

78. **(क्र. 1818) श्री लखन पटेल :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में शासकीय महाविद्यालय पथरिया एवं बटियागढ़ में स्वीकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्याक पदों की संख्या कितनी है? (ख) स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद रिक्त हैं? एवं कब से रिक्त हैं? (ग) किन प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के जाने के कारण पद रिक्त हुये हैं? पदों की पूर्ति हेतु स्थानांतर किये गए प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों को कब तक वापिस स्थानांतर किया जावेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** ही है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** ही है। वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है, सहायक- प्राध्यापक पदों के रिक्त पदो की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट –''पैंतालीस''

सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा मजदूरों को स्वीकृत दर से कम राशि का भुगतान किया जाना

79. **(क्र. 1853) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भिण्ड एवं दतिया जिले में विद्युत कार्यालयों, उपकेन्द्रों की व्यवस्था एवं संचालन हेतु किस-किस सुरक्षा एजेन्सी व ठेकेदार आदि की निविदा स्वीकृत ठेका दिया गया? एजेन्सी का नाम, प्रोपरायटर का नाम एवं पता सहित विवरण दें? (ख) उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरों/कर्मचारियों को कितनी-कितनी राशि प्रतिमाह पारिश्रमिक/वेतन पर कहां-कहां पदस्थ किया गया? पदस्थगी स्थान एवं भुगतान की गई राशि का पूर्ण विवरण दें? (ग) क्या यह सही है कि उक्त ऐजेन्सियों द्वारा बिल वितरण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी से अधिक राशि लेकर मजदूरों को कम राशि का भुगतान कर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है? यदि हां तो क्या इसकी जांच कराकर संबंधित एजेन्सियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष निविदा आमंत्रित न कर सांठगांठ कर पुरानी ऐजेन्सियों को ही कार्यादेश दिए गए हैं अथवा दिए जा रहे हैं? यदि हां तो पुन: निविदा आमंत्रित न करने के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी नहीं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भिण्ड एवं दतिया जिलों में विद्युत कार्यालय/ उपकेन्द्र की व्यवस्था एवं संचालन का कार्य किसी सुरक्षा एजेंसी या ठेकेदार को नहीं दिया गया है। अपितु विद्युत कार्यालयों एवं उपकेन्द्रों का संचालन स्वयं वितरण कंपनी द्वारा किया जा रहा है। (ख) से (घ) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

80. **(क्र. 1854) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत लहार विधानसभा क्षेत्र जिला भिण्ड के किन-किन ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत प्रदान की थी तथा इस योजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी एवं स्वीकृत राशि में कितनी राशि व्यय की गई? (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में विद्युतीकरण कार्य हेतु किस एजेन्सी को कार्यादेश दिए गए एवं एजेन्सी द्वारा

किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य शेष है? शेष ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? (ग) विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि क्या थी? क्या निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने वाली संबंधित एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में भिण्ड जिले के लहार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सभी 223 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण के कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्तानुसार सघन विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों का ग्रामवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। लहार विधानसभा क्षेत्र सहित भिण्ड जिले हेतु उक्त योजना में कुल रू. 48.83 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक कुल रू.23.77 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। (ख) प्रश्नाधीन कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु मेसर्स बी.एस. ट्रासकॉम हैदराबाद को कार्यादेश दिया गया था। उक्त ठेकेदार एजेन्सी द्वारा प्रश्न तिथि तक लहार विधानसभा क्षेत्र में 26 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं तथा 197 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य किया जाना शेष है, जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र के क्रमश: "ब" एवं "स" अनुसार** है। शेष कार्य 30 जून 2015 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे है। (ग) जिला भिण्ड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 01.11.2014 थी। कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार एजेन्सी को जारी अवार्ड निरस्त करने का नोटिस दिनांक 14.10.2014 एवं दिनांक 05.02.2015 को दिया गया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य में विलंब के लिये उक्त ठेकेदार एजेंसी द्वारा प्रस्तुत देयकों में से रू. 16.13 लाख की राशि लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनाल्टी स्वरूप काटी जा चुकी है।

<u>महिदपुर वि.स. क्षेत्र में ओवरलोड ट्रांसफार्मर</u>

81. **(क्र. 1874) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में 200 K.V.A., 100 K.V.A., 63 K.V.A. के कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं - ग्रामवार जानकारी देवें? (ख) इनके स्थान पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर या क्षमता बढ़ाकर इनको अंडरलोड कब तक कर लिया जायेगा? (ग) बार-बार ट्रांसफार्मर जलने पर उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) विधानसभा क्षेत्र महिदपुर के अन्तर्गत अतिभारित वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमतावार एवं ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नाधीन अतिभारित वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि अथवा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर

लगाने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है एवं उक्त कार्य वर्ष 2015-16 में पूर्ण किये जाने के प्रयास हैं। (ग) एक ही स्थान पर लगे वितरण ट्रांसफार्मर के बार-बार जलने के मुख्य कारण ट्रांसफार्मर से अवैधानिक रूप से विद्युत का उपयोग, एवं अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ट्रांसफार्मर के फ्यूज एवं निम्नदाब लाईनों से छेडछाड़ करना है। संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त घटनाओं को रोकने के सतत् प्रयास किये जाते हैं अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

कुकरू को पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में

82. **(क्र. 1885) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में भैंसदेही विकासखण्ड के अंतर्गत कुकरू को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की कोई योजना है? (ख) यदि हां, तो कुकरू को कब तक पर्यटन स्थल घोषित किया जावेगा? एवं क्या सुविधाएं दी जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सेवानिवृत्ति अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्ति आयु निर्धारण

83. **(क्र. 1898) श्री बाला बच्चन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को संविदा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में शासन ने सेवा नियमावली/परिपत्र/आदेश जारी किया है? यदि हां, तो छायाप्रति देवें? (ख) क्या शासन ने इसमें नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की है? यदि हां, तो यह आयु बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अगर शासन ने आयु निर्धारण नहीं किया है, तो कब तक करेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) जी हॉ। परिपत्र दिनांक ०३ सितम्बर, २०११ एवं २० जनवरी, २०१२ की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है। (ख) शासकीय सेवको की सेवानिवृत्ति आयु ६० वर्ष निर्धारित है सेवानिवृत्ति पश्चात संविदा नियुक्ति ६५ वर्ष की आयु तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मेडिकल काउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार, इनसे संबंधित विभाग, जिनमें अधिवार्षिकी आयु ६५ वर्ष है, को अधिकतम ६७ वर्ष तक संविदा नियुक्ति दिया जाना प्रावधानित है। (ग) प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मीटर गड़बड़ी के संबंध में

84. **(क्र. 1899) श्री बाला बच्चन :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घरों पर लगने वाले ऐसे मीटर जो आटोमेटिक रिवर्स हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, के बदलने के लिए उपभोक्ता को भुगतान करना होता है या नि:शुल्क बदले जाते हैं? (ख) विगत दो वित्तीय वर्षो में प्रदेश के ऐसे कितने उपभोक्ताओं के मीटर शुल्क लेकर बदले गये? कुल कितना शुल्क लिया गया वर्षवार जानकारी देवें? (ग) ऐसी कंपनियों के खिलाफ शासन कब तक कार्यवाही करेगा जिनके मीटर खराब हो रहे हैं? (घ) इस ओर ध्यान न देने वाले उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) खराब मीटर बदलने के लिए उपभोक्ता को भुगतान नहीं करना होता है, ऐसे मीटर कंपनी के व्यय पर नि:शुल्क बदले जाते हैं। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। (ग) क्रयादेश की शर्तों के अनुसार गारण्टी अवधि में खराब होने वाले मीटरों को प्रदायकर्ता कंपनी द्वारा रिपेयर करना अथवा बदलकर दूसरा मीटर देना होता है। प्रदायकर्ता कंपनी खराब मीटर को रिपेयर करके अथवा उसके बदले दूसरा मीटर प्रदाय नहीं करती है, उनसे क्रयादेश की शर्तों की अनुसार देयता राशि की वसूली की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। (घ) उत्तरांश (ग) में उल्लेखित प्रक्रिया/कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सेमरी जलाशय योजना की पूर्णता

85. **(क्र. 1912) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले की सेमरी जलाश्य मध्यम परियोजना की लागत, निर्माण एजेंसी व अब तक पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित योजना में जलाशय व नहरों के निर्माण की पूर्णता अवधि क्या है? क्या अब तक संपन्न कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराये गए हैं? (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित योजना में क्या-क्या कार्य किस एजेंसी द्वारा कितनी-कितनी लागत से कराये जा रहे है? कार्यपालन यंत्री व मुख्य अभियंता द्वारा कब-कब योजना के कार्यों का निरीक्षण किया? (घ) योजना में प्रचलित घटिया निर्माण कार्यों को रोकने हेतु विभाग की क्या योजना है? कब तक योजना पूर्ण की जाकर कृषकों को सिंचाई-सुविधा मिल सकेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। (घ) घटिया निर्माण की स्थिति नहीं है, गुणवत्ता की सतत निगरानी रखी जाने की व्यवस्था है। परियोजना की पूर्णता भूमि तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और निर्माण एजेंसियों की प्रगति पर निर्भर होने से समय बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट –''छियालीस''

मैहर नगर हेतु विभाग की योजनाओं की जानकारी

86. **(क्र. 1913) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर नगर के ऐतिहासिक-धार्मिक महत्व व यहां बड़ी संख्या में आने वाले श्रृद्धालुओं/पर्यटकों को देखते हुए विभाग द्वारा इस नगर हेतु क्या-क्या योजनायें बनाई हैं? (ख) मैहर नगर में पर्यटकों/श्रृद्धालुओं की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हेतु विभाग द्वारा क्या कार्य किये गए है? कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं? किस-किस योजना में? (ग) मैहर नगर हेतु निर्मित उक्त योजनाओं की स्वीकृति किस स्तर पर कब से लंबित हैं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -अ एवं ब अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -स एवं ब अनुसार** है। (ग) विन्ध्य मेगा सर्किट राशि रू. 4923.00 लाख के अंतर्गत मैहर में इंटरप्रिटेशन सेन्टर बनाने हेतु प्रस्ताव राशि रू.214.00 लाख की योजना तैयार कर भारत शासन, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 03.07.2014 को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

<u>परिशिष्ट –''सैंतालीस''</u>

<u>विद्युतिकरण योजना के तहत ग्रामों का सर्वे</u>

87. **(क्र. 1939) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शासन द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत किन-किन ग्रामों का सर्वे कर विद्युतीकरण किया गया है? तथा कौन-कौन से ग्राम उक्त योजना से वंचित है? (ख) अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधान सभा को उक्त योजना के तहत कितनी राशि का आवंटन प्रदाय किया गया था? क्या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से वंचित ग्राम का सर्वे किया गया था अथवा नहीं? यदि नहीं किया गया तो कब तक शेष वंचित ग्रामों का सर्वे कर विद्युतीकरण कराया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में अब तक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से वंचित ग्राम के लिये कौन दोषी है? उनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? कब तक विद्युतविहिन ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जायेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) अनूपपुर जिले में 11वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 239 ग्रामों में से कार्य योग्य 03 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं कार्य योग्य 130 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण हेतु सर्वे कार्य कर विद्युतीकरण/ सघन विद्युतीकरण उपरांत कुल 6376 बी.पी.एल. हितग्राहियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रश्नाधीन क्षेत्र के जो 106 ग्राम सघन विद्युतीकरण हेतु शामिल नहीं किए गये थे उनमें से वर्तमान में 72 ग्रामों के 100 से अधिक आबादी वाले मजरों टोलों को सम्मिलित करते हुए ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल किया गया है। 100 से कम आबादी वाले शेष 34

ग्राम जिनको 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार योजना में शामिल नहीं किया गया है, की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत योजना की स्वीकृति जिलेवार दी जाती है, विधानसभा क्षेत्रवार नहीं। अनूपपुर जिले हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में रू. 2573.07 लाख की योजना की स्वीकृति दिनांक 18.08.2008 को प्रदान की गई थी, जिसे दिनांक 19.03.2012 को पुनरीक्षित करते हुए रू. 3111.17 लाख किया गया तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में रू. 3898.98 लाख की योजना की स्वीकृति दिनांक 03.03.2014 को प्रदान की गई है। योजना के प्रावधानों के अनुसार 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले मजरो/टोलों/बसाहटों वाले ग्रामों में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में सघन विद्युतीकरण हेतु कोई भी 100 एवं 100 से अधिक की आबादी के मजरें/टोले/बसाहट वाला ग्राम वंचित नहीं है। (ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में योजना के प्रावधानों के अनुसार विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित किया गया है, अत: किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनूपपुर जिले हेतु स्वीकृत योजना के अन्तर्गत 3 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं 419 विद्युतीकृत ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करते हुए 16552 हितग्राहियों को नि:शुल्क बी.पी.एल.कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत योजना का कार्य टर्न-की आधार पर दिनांक 12.01.2017 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

परिशिष्ट –"अड़तालीस"

वितरण कंपनी लिमिटेड के वितरण केंद्र

88. **(क्र. 1940) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिलान्तर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कितने विद्युत वितरण केंद्र 31 मार्च, 2014 की स्थिति में संचालित है? इन वितरण केंद्रों के रख-रखाव हेतु कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? नाम, पदवार एवं वितरण केंद्र में पदस्थापना संबंधी पूर्ण जानकारी देवें? (ख) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के विद्युत वितरण केंद्र में सुपरवाईजर, लाईनमेन एवं सहायक लाईनमेन के कितने पद स्वीकृत हैं, तथा कितने पदस्थ हैं? यदि स्वीकृत संख्या से कम हैं, तो विद्युत प्रदाय एवं रख-रखाव कैसे संभव हो पा रहा है? (ग) स्टाफ की कमी को कब तक दूर किया जायेगा तथा क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्टाफ की कमी के कारण विद्युत आपूर्ति एवं रख-रखाव में कठिनाई न हो?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) अनूपपुर जिले के अन्तर्गत पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 31 मार्च, 2014 की स्थिति में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के दो वितरण केन्द्र यथा- राजेन्द्रग्राम एवं अमरकंटक संचालित हैं। इन वितरण केन्द्रों के रख-रखाव हेतु पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम एवं पद का वितरण केन्द्रवार विवरण

संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) कंपनी की स्वीकृत संगठनात्मक संरचना अनुसार पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के संचालित दो विद्युत वितरण केन्द्रों हेतु कनिष्ठ अभियंता (सुपरवाईजर नहीं) , लाईन सहायक (लाईन मेन नहीं) एवं वरिष्ठ लाईन परिचालक (सहायक लाईन मेन नहीं) के स्वीकृत पद तथा पदस्थ कार्मिकों की संख्या **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। दोनों वितरण केन्द्रों में स्वीकृत पद से कम संख्या में कार्मिक कार्यरत नहीं हैं। (ग) उत्तरांश (ख) में दर्शाए अनुसार राजेन्द्रग्राम वितरण केन्द्र में स्वीकृति से अधिक तथा अमरकंटक वितरण केन्द्र में स्वीकृति अनुसार कार्मिक पदस्थ हैं, अत: प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट –''उन्चास''

टीकमगढ़ जिले में नहरों का निर्माण

89. **(क्र. 1963) श्रीमती अनीता सुनील नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि टीकमगढ़ जिले में जल संसाधन विभाग से वर्तमान में नहरों का निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ तो उन परियोजनाओं के नाम, प्रारम्भ दिनांक समाप्ति दिनांक एवं परियोजना का रूटवार, एजेंसीवार बतावें? (ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में टीकमगढ़ जिले में जिन नहरों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से कौन-कौन सी नहरे पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र से निकाली जा रही है एवं उन नहरों से कौन-कौन से गॉवों में सिंचाई होगी? गॉववार, रकबावार बतावें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित नहरों के निर्माण में शासन के मापदण्ड अनुरूप कार्य एजेन्सी द्वारा कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मापदण्ड है और नहीं तो क्यों और कौन दोषी है एवं शासन स्तर पर इस तरह के प्रकरणों में क्या कार्यवाही की जाती है एवं कब तक होगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार** है। (ग) जी हां। मापदण्ड रूपांकित सिंचाई क्षमता के लिए आवश्यक जल प्रवेग एवं जल की मात्रा के अनुरूप तकनीकी स्वीकृति में निर्धारित किए गए है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।

परिशिष्ट –''पचास''

लोकायुक्त जांच

90. **(क्र. 2314) श्री जितू पटवारी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में राजस्व,गृह,एवं नगरीय प्रंशासन विभागों के विगत 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 से कितने प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों पर डिपार्टमेण्टल एवं लोकायुक्त की जांच चल रही है? (ख) जिन अधिकारियों पर जॉच चल रही है क्या वे अधिकारी वर्तमान में निलंबित है अथवा विभाग में कार्य कर रहे है? विभागवार पदस्थ अधिकारियों के नाम देवें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन

91. **(क्र. 2598) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन करने की क्या नीति है? जानकारी प्रदान करें? (ख) शासन द्वारा गत् 5 वर्षो में गैर पंरम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति निर्माण और स्वरोजगार हेतु क्या प्रयास किये गये है? (ग) क्या शासन गैर पंरम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रांरभ करने की कोई नवीन योजना बना रहा है? यदि हां, तो विस्तृत जानकारी प्रदान करें? यदि नहीं तो क्यों, कारण स्पष्ट करें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) पवन ऊर्जा परियोजनाओं एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु राजस्व भूमि उपयोग की अनुमति शासन के विभागीय नीतियों के अनुसार भूमि उपयोग अनुज्ञा अनुबंध की शर्तों पर दी जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। (ख) प्रदेश की ऊर्जा क्रियान्वयन नीति अनुसार गत 5 वर्षों में गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में निजी विकासकों द्वारा विभिन्न जिलों में परियोजनायें स्थापित की गई हैं। परियोजना क्रियान्वयन के पूर्व निजी विकासक स्थानीय स्तर पर कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराता है। इन प्रयासों से परियोजनाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर कुशल-श्रमशक्ति निर्माण एवं विभिन्न स्तर पर स्वरोजगार के अवसर निर्मित हुये है। (ग) जी नहीं। गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र के अन्तर्गत नवकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के संचालन, मरम्मत एवं रखरखाव विषय पर आई.टी.आई. संस्थानों में पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग से चर्चा की जाकर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्धारण करने पर विचार किया जा रहा है।

शासकीय महाविद्यालय बरेली की भूमि पर अतिक्रमण

92. **(क्र. 2707) श्री विश्वास सारंग :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरेली जिला रायसेन की स्थापना के समय कुल कितनी भूमि थी? और अब कितनी शेष है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत प्रश्न दिनांक तक महाविद्यालय की कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? अतिक्रमण हटाने के लिए महाविद्यालय की ओर से तहसीलदार को कब-कब आवेदन दिया गया था? तहसीलदार ने प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की है? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत तहसीलदार द्वारा महाविद्यालय की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कब की जायेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) कुल 31.20 एकड़ (12.626 हेक्टेयर) भूमि थी, जिसमें से 1.214 हेक्टेयर क्वाटर न्यायालय विभाग बरेली एवं 0.022 हेक्टेयर महिला एवं बाल

विकास के नाम पर है। शेष भूमि 11.390 हेक्टेयर है। (ख) दिनांक 25.05.2001 को महाविद्यालय की भूमि के सीमांकन के समय 18 व्यक्तियों के अस्थाई अतिक्रमण पाये गये थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्समय उन्हें समझाने पर उनके द्वारा अपना अपना अतिक्रमण हटा लिया था। (ग) सर्वे एवं जांच कराई जाकर यदि पुनः अतिक्रमण है, तो म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। समय सीमा दी जाना संभव नहीं है।